विषय-सूची

हिन्दी रक्षा आन्दोलन के जन्मदाता



पूज्य श्री स्वा. आत्मानन्द जी महाराज

चण्डीगढ़ आर्य समाज मंदिर को पुलिस द्वारा अपवित्र करने के विरोध में आमरण व्रती



पूज्य श्री स्वा. आनन्दभिक्षु जी महाराज

आमरण अनशन पर



ब्रह्मचारी बालकराम जो

सत्याग्रही वीर देवियों का पुलिस द्वारा अपमान



चण्डीगढ़ में महिलाओं द्वारा सत्याग्रह

अमर शहीद वीर सुमेरसिंह के पिता



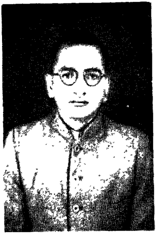
श्री प्रभु दयाल जी

बहू अकबरपुर ग्राम का एक बूढ़ा किसान



जिस पर पुलिस द्वारा निर्मम लाठी प्रहार किया गया।

सार्वदेशिक भाषा स्वातंत्र्य समिति के मंत्री



श्री रघुवीरसिंह जी शास्त्री

पंजाब सरकार ने नजरबंद कर

वीर सुमेरसिंह का दुखी परिवार



अमर शहीद सुमेरसिंह की माता, बहिन आदि
(बीच में माता जी खड़ी हैं)

॥ ओ३म् ॥

सार्वदेशिक

(सार्वदेशिक आर्य-प्रतिनिधि सभा देहली का मासिक मुख-पत्र)

वर्ष ३२ } सितम्बर १९५७. भाद्रपद २०१४ वि०, दयानन्दाब्द १३३ { अङ्क ७

वैदिक प्रार्थना

सा मा सत्योक्तिः परि पातु विश्वतो द्यावा च यत्र ततनन्नहानि च ।
विश्वमन्यन्नि विशते यदेजति विश्वाहापो विश्वाहोदेति सूर्यः ॥

ऋ० ७।८।१२।२॥

व्याख्यान—हे सर्वाभिरक्षकेश्वर ! "सा मा सत्योक्तिः" आपकी सत्य आज्ञा जिसका हमने अनुष्ठान किया वह "विश्वतः, परि पातु, नः" हमको सब संसार से सर्वथा पालन और सब दुष्ट कामों से सदा पृथक् रक्खे कि कभी हमको अधर्म करने की इच्छा भी न हो। "द्यावा, च" और दिव्य सुख से सदा युक्त करके यथावत् हमारी रक्षा करे। "यत्र" जिस दिव्य सृष्टि में "अहानि" सूर्यादिकों को दिवस आदि के होने के निमित्त "ततनन" आपने ही विस्तारे हैं, वहां भी हमारा सब उपद्रवों से रक्षण करो। "विश्वमन्य०" आपसे अन्य (भिन्न) विश्व अर्थात् सब जगत् जिस समय आपके सामर्थ्य से (प्रलय में) "निविशते" प्रवेश करता है (कार्य सब कारणात्मक होता है), उस समय में भी आप हमारी रक्षा करो। "यदेजति" जिस समय यह जगत् आपके सामर्थ्य से चलित हो के उत्पन्न होता है, उस समय भी सब पीड़ाओं से आप हमारी रक्षा करें "विश्वाहापो, विश्वाहा" जो जो विश्व का हन्ता (दुःख देने वाला) उसको आप नष्ट कर देओ, क्योंकि आपके सामर्थ्य से सब जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होता है, आपके सामने कोई राक्षस (दुष्टजन) क्या कर सकता है? क्योंकि आप सब जगत् में उदित (प्रकाशमान) हो रहे हो। (सूर्य्यवत्) हमारे हृदय में कृपा करके प्रकाशित होओ, जिससे हमारी अविद्यान्धकारता सब नष्ट हो ॥४७॥

सम्पादकीय

हिन्दी रक्षा सत्याग्रह
नाजुक चरण में

हिन्दी सत्याग्रह अब अपने अत्यन्त नाजुक चरण में प्रविष्ट हो गया है। हमने इसे शान्त, अहिंसात्मक, असाम्प्रदायिक तथा अराजनैतिक बनाए रखने में 'जो सावधानता बरती है इससमय उससे भी अधिक सावधानता वर्त्तने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट इसकी व्यापकता और प्रचण्डता से भयभीत होकर इसे व्यवस्थित रूप से कुचल डालने पर तुलीहुई देख पड़तीहै। खासखास कार्यकर्ताओं' की गिरफ्तारी, 'चण्डीगढ़, अम्बाला, बहूअकबरपुर, और फिरोजपुर जेल आदि की घटनाओं से उस भय की पुष्टि होती है। परन्तु गवर्नमेन्ट इस सत्याग्रह को कुचलने के लिए जिन हथियारों का प्रयोग कर रही है, वे जनतंत्रात्मक शासन और सत्याग्रह के गौरव के अनुरूप नहीं हैं। शान्त सत्याग्रहियों को पुलिस की दया पर छोड़ देना अत्यन्त आपत्तिजनक और अनुचित है विशेषतः उन अधिकारियों पर जिनकी मनोवृत्ति रात दिन अपराधियों के साथ वास्ता पड़ने से इतनी दूषित हो गई हो कि वे नैतिक अपराधियों और सत्याग्रहियों में भेद करने में असमर्थ होकर उनके साथ भी चोरों डकैतों आदि की भांति व्यवहार करने के लिये प्रेरित करती हो। पुलिस और गवर्नमेन्ट को यह अनुभव होता प्रतीत नहीं होता कि उनकी दण्डनीय भूलों से उनकी प्रतिष्ठा नष्ट हो रही है और प्रजा का उन पर से विश्वास उठता जा रहा है। आर्य समाज का पक्ष सत्य और न्याय पर अवलम्बित है। दमन से तो वह और भी बल पकड़ता है। सत्याग्रह करते समय आर्यसमाज दमन की परिस्थितियों से बेसुध न था अतः यदि राज्य दमन से इस आन्दोलन को कुचल डालना चाहता है तो यह उसकी भूल है, और उसने सत्याग्रहके संग्रामोंसे कुछ सीखा प्रतीत नहीं होता। गवर्नमेन्ट बल प्रयोग और दमन से आर्य समाज के इस विशुद्ध सांस्कृतिक आन्दोलन को दबाने में कुछ समय के लिए समर्थ भी हो जाय जिसकी कोई आशा नहीं है तब भी उसे आर्य समाज के पक्ष के सामने झुकना पड़ेगा क्यों कि वह सत्य न्याय और दूरदर्शिता पर अवलम्बित है। सत्य दमन से दबाया नहीं जा सकता। वह तो विजयी होकर रहता है। पुलिस को यह स्मरण रखना चाहिए कि उसका ब्रिटिश कालीन ढांचा अब देर तक न चल सकेगा। उसमें इस प्रकार परिवर्तन होकर रहेगा जो स्वतन्त्र देशों की पुलिस के गौरव के अनुरूप हो और पुलिस नागरिकों के साथ व्यवहार करते समय अपने विभाग एवं राज्य की प्रतिष्ठा के साथ साथ नैतिकता और मानवता की मर्यादाओं को समक्ष रखकर आचरण करने की योग्यता रखती हो।

हमारे आन्दोलन को बदनाम करने के लिए सरकार और शासक दल ने कोई भी प्रयत्न उठा नहीं रखा है। इस आन्दोलन को साम्प्रदायिक और राजनैतिक कहने की रट लगाने का ही यह परिणाम है कि पंजाब का वातावरण विषाक्त बनता जा रहा है। यदि आर्य समाज के इस आन्दोलन के विरुद्ध विषैला प्रचार न होता बात न करने दिया जाता और राज्य की नीयत आर्य समाज की मांगों को स्वीकार करने की होती तो न तो वातावरण दूषित होता और न राज्य की कठिनाइयां ही बढ़तीं। गवर्नमेन्ट का सब से बड़ा आक्षेप यह है कि यह आन्दोलन जनसंघ के हाथ में चला गया है। गवर्नमेन्ट का यह भ्रम है। यह आन्दोलन आर्य समाज के ही हाथ में है अन्यथा यह भारत तथा भारत से बाहर के हिन्दुओं का आन्दोलन न बन पाता। भारतीय जनता को सांस्कृतिक हितों की रक्षा की बात ही सब से अधिक अपील करती है। आर्य समाज का

आन्दोलन विशुद्ध सांस्कृतिक है और जनता को उसके नेतृत्व पर पूर्ण विश्वास है इसीलिए यह आन्दोलन दिन पर दिन वेगवान् हो रहा है।

राज्य और हिन्दी रक्षा समिति के मध्य हुई समझौता वार्ता के भंग हो जाने की अवस्था में दमन चक्र के उग्र हो जाने की संभावना का आर्य समाज को आभास था। अब तो उसके सामने आन्दोलन को अनिश्चित कालतक उग्रगतिसेचलाने के सिवा और कोई चारा नहीं रह गया है।

२८-८-५७ रघुनाथ प्रसाद पाठक

सम्पादकीय टिप्पणियाँ

श्रीयुत स्वामी ध्रुवानन्द जी महाराज का आशीर्वाद

श्रीयुत स्वामी ध्रुवानन्द जी महाराज इन दिनों ईस्ट अफ्रीका और मोरीशस में आर्य समाज के कार्यका निरीक्षण और वैदिकधर्म का प्रचार कर रहे हैं। वे भारत आकर सत्याग्रह में सक्रिय भाग लेने के लिए बड़े उत्सुक हैं। उन्होंने एक विशेष सन्देश भेजा है जिसमें हिन्दी आन्दोलन की सफलता की कामना करते हुए अपनी विवशता पर दुःख प्रकट किया है। सन्देश इस प्रकार है:—

"प्रभु पर भरोसा कर सत्य के आधार पर वैधानिक रूप में मानव समाज के कल्याण की भावना से प्रेरित होकर निःस्वार्थ भाव से सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा ने हिन्दी रक्षा का कार्य भार उठाया है इसमें सफलताअवश्यमेवसमुपलब्ध होगी। किसी में कोई शक्ति नहीं कि सत्य के आधार पर आरम्भ किये हुये आन्दोलन को दबा सके। प्रत्येक हिन्दी हितचिन्तक आबाल-वृद्ध-स्त्री और पुरुष का परम कर्तव्य है कि अपना सर्वस्व समर्पण करके भी इस आन्दोलन को सफल बनाने का प्रचुर प्रयास करें। इस आन्दोलन को सफल बनाने के लिये प्रबल प्रचार की आवश्यकता है। समस्त उपदेशक और प्रचारक प्रचार में जुट जायें। जन मत को हिन्दी हित की ओर आकृष्ट करें। सर्वत्र हिन्दी रक्षा की भावनामय भारत का वातावरण बनादें।

मैं आर्य समाज का सेवक हूं अतः सेवक के नाते सेवा करने का मेरा ध्रुव संकल्प है। किन्तु मेरा यह दुर्भाग्य है कि विदेश की दूरी ने मुझे इस पवित्र कार्य में सक्रिय भाग लेने से वंचित कर दिया है। निःस्वार्थ भावना से सेवक रूप में आर्य-समाज की सेवा करना अपना कर्तव्य समझता हूँ क्योंकि वीतराग पूज्यपाद स्वर्गीय श्री स्वामी सर्वदानन्द जी महाराज ने इसी कार्य के लिये मुझे तैयार किया था। यद्यपि विदेश में होने के कारण सत्याग्रह में सक्रिय भाग न ले सकूंगा तथापि मैं यहां जब तक रहूंगा हिन्दी आन्दोलन की सफलता के लिये धन संग्रह करके भिजवाता रहूगा। आर्य-समाज नैरोबी ने १००० शिलिंग और आर्य समाज किसुमु से ५०० शिलिंग भिजवाये हैं। नैरोबी से बाहर जब जाऊंगा तब वहां से भी भिजवाऊंगा।"

फ़ीरोज़ पुर जेल कांड पर समाचार पत्रों की प्रतिक्रिया

फ़ीरोज़पुर जेल कांड पर भारत के समाचार पत्रों की प्रतिक्रिया का आभास कराने के लिए नीचे कुछ पत्रों की सम्पादकीय आलोचनाएँ अंकित की जाती है:—

Times of India Delhi 27 8-57
Brutal.

Is lathi charge meant to disperse rowdy persons or to inflit the maximum injury on them ? That one Hindi Raksha Samiti prisoner should have been killed and as ma-

ny as fifty received injuries in the Feiozpur Central Jail makes one wonder if it was a mere lathi charge which achieved those results.

It is a grim comment on the Jail administration in the state that the authorities can not restore order among unarmed prisoners however rowdy they may be, without recourse to extreme brutality. The prisoners in the Ferozpur Jail are said to have hurled brickbats at the Jail staff. But no one has explained how they were allowed to collect the brickbats in the first instance, in any case why did the authorities have to employ convicts to conduct the lathi charge ? Some of them were presumably hoodlums and seem to have made the lathi do the work of a rifle.

It is hardly surprising that the public feels incensed. The least that the state Govermnent can do is to await report of the Judicial enquiry into the unfortunate incident which can not but adversely affect the chances of a settlement of the language dispute in the state:—

क्या लाठी प्रहार भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया जाता है या लोगों को अधिक से अधिक चोट पहुंचाने केलिए ? फिरोजपुरकी सेन्ट्रल जेल में हिन्दी रक्षा समिति के एक कैदी की मृत्यु हो गई और ५० सत्याग्रही बुरी तरह जख्मी होगए। जिस लाठी प्रहार का परिणाम इतना भयंकर हुआ हो क्या वह एक मात्र लाठी प्रहार कहा जा सकता है ? यदि कहा जाय तो इस पर आश्चर्य हुए बिना नहीं रह सकता। राज्य के जेल शासन पर यह भयङ्कर आरोप है कि जेलके अधिकारी निहत्थे हिंदी रक्षा समिति के बन्दियों को भले ही वे उदंड रहे हों घोर निर्दयता का आश्रय लिए बिना काबू में नहीं रख सकते। कहा जाता है कि बन्दियों ने जेल के कार्यकर्ताओं पर पत्थर फेंके परन्तु किसी ने भी यह नहीं बताया कि उन्हें ईंटें कैसे इकट्ठी करने दी गई और जेल के अधिकारियों ने अन्य कैदियों का प्रयोग क्यों किया ? प्रहार कर्ताओं में से कुछ ने लाठी से राइफल का काम लिया प्रतीत होता है। यदि जनता में रोष व्याप्त है तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। राज्य सरकार अब इस दुर्भाग्य पूर्ण घटना की कानूनी जांच पड़ताल की रिपोर्ट की ही प्रतीक्षा कर सकती है जिसका (घटना का)भाषा समस्या के समाधान की सम्भावनाओं पर बुरा प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता।

नव भारत टाइम्स दिल्ली—

यद्यपि जेलों में सुरक्षा और व्यवस्था कायम रखना जेल अधिकारियों का कर्तव्य अवश्य है; परन्तु फिरोजपुर जेल में उसके नाम पर हिंदी-रक्षा सत्याग्रहियों के साथ जो व्यवहार किया गया है उसे मानवता की घोर अवज्ञा ही कहा जायगा। उससे उन अत्याचारों की स्मृति एक बार पुनः ताजा हो उठी है जो ब्रिटिश शासन काल में स्वतन्त्रता-संग्राम के बन्दी खिलाड़ियों के साथ किये जाते थे। सन्देह नहीं कि बन्दियों ने स्वयं पहले कुछ अनुचित एवं उत्तेजनात्मक व्यवहार किया होगा और निश्चय से ऐसा करके उन्होंने बहुत बुरा किया; परन्तु प्रश्न यह है कि क्या जेल अधिकारियों को इससे रुष्ट होकर बन्दियों पर इतना निर्मम लाठी-प्रहार करना उचित था कि उससे १ व्यक्ति प्राणों से हाथ धो बैठते और दो सौ घायल हो जाते ?

बन्दी लोग उपद्रव कर बैठें तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उनका कभी-कभी उत्ते-

जना के वशीभूत हो जाना स्वाभाविक है। परन्तु जेल अधिकारियों का यह धर्म नहीं कि वे भी अपना सब संयम और धैर्य खोकर उस उत्तेजना का शिकार हो जायँ। स्थिति को शान्त करना उनका कर्तव्य अवश्य है; पर इस प्रकार से कि 'सांप भी मर जाय और लाठी भी न टूटे।' किन्तु हुआ क्या है कि इस काण्ड के बाद जेल अधिकारियों और पंजाब सरकार की घोर बदनामी हो रही है। यह कुछ-अच्छा नहीं हुआ। जो काम वह-अश्रु गैस अथवा अपने ऊपर कष्ट झेलने द्वारा कर सकती थी उसके लिये उसने निर्मम लाठी प्रहार का अवलम्बन और वह भी बन्दियों द्वारा क्यों लिया? क्या कोरिया के युद्ध बन्दी शिविरों में भारतीय सेना का उदाहरण उसके सम्मुख उपस्थित नहीं था? विभागीय तथा मजिस्ट्रेट की जांच द्वारा इस काण्ड के लिये जिम्मेवार कुछ जेल अधिकारियों को कार्य मुक्त अवश्य कर दिया गया है; पर इस काण्ड से उत्तेजित जनता का सन्तोष इतने मात्र से कैसे हो सकता है?

राज्य में शान्ति और व्यवस्था के वातावरण को कायम रखने के लिये पंजाब सरकार का एक ही कर्तव्य है कि वह केवल विभागीय जांच पर सन्तुष्ट न रहकर इसकी अदालती (जांच की आज्ञा हो गई है) जांच की व्यवस्था करे। तभी यह ज्ञात हो सकेगा कि इस प्रकार के विवेकहीन एवं निर्दय काण्ड के पीछे वास्तविक बात क्या है। यदि यह नहीं किया गया तो बहू-अकबरपुर की घटना के बाद सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के निर्मम अत्याचार की यह दूसरी घटना होगी जिसका दाग जनता के हृदय से मिट नहीं सकेगा।

पंजाब-सरकार को इस समय मनोवैज्ञानिक तरीके से काम लेना चाहिये। लाठी और मुक्के से नहीं। कोई भी सरकार अत्याचार और दमन से स्थिति को शान्त नहीं कर सकती। अग्नि में घी के समान उससे अशान्ति की अधिक आशंका है। इसलिये भविष्य में उसे हिन्दी-आन्दोलन और उसके सत्याग्रहियों के सम्बन्ध में ऐसा प्रत्येक कदम उठाने से बचना चाहिये जो जनता को और भी अधिक उत्तेजित करने वाला हो।

हिन्दी सत्याग्रहियों के लिये भी यह अग्नि-परीक्षा का समय है। किसी भी उद्देश्य की सिद्धि तब तक नहीं हो सकती है, जब तक कष्ट न उठाया जाय। पंजाब-पुलिस और जेल-अधिकारी उनके साथ जो कुछ कर रहे हैं वह सब उस कष्ट का ही अंग है। उससे उत्तेजित होकर उन्हें अपना धैर्य और संयम नहीं खोना है। यदि वह खो दिया तो उद्देश्य की सिद्धि कोसों दूर है। उत्तेजना का एक दौर उनके अब तक के समस्त प्रयत्न को नष्ट कर देगा। यह अत्यन्त नाजुक समय है और हिन्दी रक्षा-आन्दोलन के प्रत्येक सत्याग्रही का यह कर्तव्य है कि वह अपने नेता स्वामी आत्मानन्द की इस अपील का मन-वचन कर्म से सम्मान करे कि 'सरकारी अधिकारियों की उत्तेजनात्मक कार्यवाइयों के बावजूद वह स्वयं उत्तेजना के वशीभूत न हों तथा पूर्णतः शान्त और व्यवस्थित रहें।''

श्रीयुत पं० लोकनाथ जी

श्रीयुत पं० लोकनाथ जी तर्क वाचस्पति हमसे सदैव के लिए वियुक्त हो गये हैं। पं०जीने निरंतर ४० वर्ष पर्यन्त आर्य समाज की सक्रिय मूल्यवान सेवा की यहां तक कि वे अन्तिम समय तक आर्य समाज की सेवा में लगे रहे।

पं० जी वैदिक वाङ्मय के प्रकांड पंडित और उच्चकोटि के व्याख्याता थे। उनकी गणना आर्य समाज के शास्त्रार्थ महारथियों में की जाती थी। उन्होंने ईसाइयों पौराणिकों और मुसलमानों से अनेक सफल शास्त्रार्थ किए। यद्यपि उनका कार्य क्षेत्र पंजाब और सिंध रहा तथापि इन प्रान्तों

से बाहर की आर्य समाजें भी उनके व्याख्यानों से लाभ उठाने के लिए उत्सुक रहती थीं।

पञ्जाब की १९४७ की महानविपत्ति के पश्चात उन्होंने दिल्ली को अपना निवास स्थान बना लिया था। यहां भी वे आर्य समाज की सक्रिय सेवा में संलग्न रहे।

श्रीयुत पं० जी का जीवन सात्विक और प्रभावशाली था। वे उन आर्यों में से थे जो वैदिक शिक्षाओंको क्रियात्मक जीवनका रूप देतेहैं। उन्होंने अब से लगभग ३८ वर्ष पूर्व श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी की प्रेरणा पर जन्म की जातपात तोड़ कर अन्तर्जातीय विवाह करके वैदिक वर्ण व्यवस्था को क्रियात्मक रूप देने का साहस किया था। आर्य समाजों में अत्यधिक लोक प्रिय गीत 'यज्ञरूप प्रभो' ....उन्ही की रचना थी।

श्री पं० जी के निधन से सचमुच आर्य समाज की बड़ी क्षति हुई है। परमात्मा उनकी आत्मा को सद्गति और उनके परिवार को वियोग को सहन करने की क्षमता प्रदान करें।

सच्चर फ़ार्मूले को कानूनी स्थिति प्राप्त नहीं है

सरकारी क्षेत्रों से बार २ यह घोषणा की जाती है कि सच्चर फार्मूला पार्लियामेन्ट द्वारा स्वीकृत है। हमारे सामने श्रीयुत भीमसेन जी सच्चर के जिनके नाम से यह फार्मूला प्रख्यात है, कई प्रेस वक्तव्य हैं। उन्होंने २९ अगस्त ५५ को जब वे पंजाब के मुख्य मन्त्री थे, एक प्रेस कान्फ्रेंस में कहा था कि 'हम विभिन्न क्षेत्रों से सूचनाएं एकत्र कर रहे हैं और सूचनाओं के पूर्ण हो जाने पर विधान सभा के समक्ष एक बिल प्रस्तुत किया जायगा।' एक दूसरे वक्तव्यमें उन्होंने कहा 'राज्य सचिवालय के स्तर का समस्त सरकारी काम हिन्दी में होगा। समस्त मुख्य दफ्तरों में भी हिन्दी में ही काम होगा, छोटे दफ्तरों में पञ्जाबी में' परन्तु इन विषयों में कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। ये विचाराधीन हैं। उन्होंने सरकारी नीति स्पष्ट करते हुए यह भी कहा कि पञ्जाबी गुरुमुखी या देवनागरी दोनों में से किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। कोई लिपि न लादी जायगी और न लादी जा सकती है। हम जिलों तथा विभागों के अफसरों से यह ज्ञात कर रहे हैं कि उर्दू का स्थान पञ्जाबी और अङ्गरेजी का स्थान हिन्दी द्वारा ग्रहण किये जाने पर उनको क्या २ कठिनाइयां होंगी। इस कार्य में ४ वर्ष लग जाने की सम्भावना है। यदि विशेषज्ञों की सम्मति प्राप्त हो गई तो यह समय कम हो सकता है। भाषा योजना के सम्बन्ध में जनता की सम्मति प्राप्त की जायगी। इस प्रकार हम समस्या का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन पूर्ण हो जाने पर हम विधान सभा से आवश्यक बिल पास करायेंगे।" श्री सच्चर महोदय के इन वक्तव्यों से स्पष्ट है कि सच्चर फार्मूला विधान सभा में जाने वाला था परन्तु गया नहीं।

श्रीयुत पं० श्रीराम शर्मा एम. एल. ए. के १९ अगस्त ५७ के एक प्रेस वक्तव्य से भी इस बात की पुष्टि होती हैं कि सच्चर फार्मूले की कानूनी और वैधानिक स्थिति विवाद ग्रस्त है। वे लिखते हैं:—

"इस फार्मूले के अन्तिम पैरा ७ में इसे 'ये प्रस्ताव' कहा गया है। मुझे पता नहीं कि इन प्रस्तावों को कब और किस अवसर पर निर्णीत और स्वीकृत मान लिया गया था। मुझे निश्चित रूप से पता है कि इन प्रस्तावों की न तो पञ्जाब के मन्त्री मण्डल से, न कांग्रेस के विधान सभायी दल से और न विधान सभा से ही स्वीकृति प्राप्त की गई है। पञ्जाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी से भी इसकी संपुष्टि नहीं हुई। इस पर भी यह फार्मूला निर्णीत तथ्य माना जा रहा है"

आर्य समाज का पक्ष यही है कि इसको वैधानिक वा कानूनी स्थिति प्राप्त नहीं है।

———

हिरोशिमा की वह रात जीवन पर्यन्त न भूल सकेगी

श्री अब्दुल रज़ाक की वर्तमान अवस्था ३२ वर्ष है तथा वह मलयवासी है और वहां एक शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र में प्राध्यापक है। सिंगापुर 'सण्डे-टाइम्स' में उस भयंकर कांड के विषय में उन्होंने लिखा है कि इतना दुःख तथा पीड़ा भरा वातावरण मैंने कभी नहीं देखा। वह दिन मुझे मृत्यु पर्यन्त स्मरण आता रहेगा।

श्री अब्दुल रज़ाक सन् ४५ में हिरोशिमा कांड के समय हिरोशिमा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते थे। उनकी अवस्था तब २१ वर्ष की थी।

'सन्डे टाइम्स' में श्री रज़ाक ने लिखा है उस दिन प्रातःकाल के समय अल्जीरिया क्लास में पढ़ रहे थे, कि हवाई आक्रमण को सूचना देने वाला भोंपू बजा। कुछ समय उपरान्त सूचना दी गई कि अब कोई खतरा नहीं हम लोग पुनः अपनी कक्षा में आकर पढ़ने लगे। यकायक आँखों को चौंधिया देने वाली प्रकाश की लपट दिखाई दी। इमारत गिर पड़ी तथा सर्वत्र रात्रि के सा अन्धकार व्याप्त हो गया।

मैंने देखा कि लगभग एक मील की दूरी पर धूंए का गहरा बादल धीरे २ आकाश की ओर उठ रहा है।

कुछ समय के बाद अन्धकार समाप्त हुआ। धुंएं की तेज बदबू चारों ओर व्याप्त थी जिसके कारण मैं अचेत सा हो गया।

"जब मैं इमारत के बाहर आया तो देखा कि अनेकों आदमी पृथ्वी पर पड़े हैं जिनमें से कुछ मृतक थे तथा कुछ घायल। आहत व्यक्ति बड़ी मर्मान्तिक तथा भयावह आवाज में कराह रहे थे।

कुछ व्यक्ति इस बुरी तरह जल गये थे कि त्वचा का पता ही न था, बाल साफ हो चुके थे। उन माँस-लोथड़ो में स्त्री पुरुष की पहिचान करना भी कठिन था।"

श्री अब्दुल रज़ाक ने बताया कि किस प्रकार वे वहां से अपने मित्रों के एक छात्रावास तक पहुंचे परन्तु वहां भी तमाम भवन नष्ट भ्रष्ट हो गया था तथा उसमें रहने वाले सभी काल कवलित हो चुके थे।

मैंने देखा कि चारों ओर सर्वत्र मकानों में आग लगी हुई थी। वहां से चल मैं नदी किनारे पहुंचा तथा पानी में कूद पड़ा।

उक्त शिक्षक ने बताया कि "जहां तक मुझे याद है मेरे चारों ओर शव ही शव बह रहे थे तथा उस अवस्था में मैं कम से कम ६ घंटे तैरता रहा।"

वह तमाम रात्रि मुझे नदी तट पर ही बितानी पड़ी। आहत रात्रि भर पानी-पानी चिल्लाते रहे। उस रात्रि को जो दुख तथा पीड़ा मुझे मिली, उसके कारण उसे भूल सकना असम्भव है। वह खौफनाक रात मुझे सदैव जीवन पर्यन्त याद रहेगी।

शीघ्र ही उन्हें वहां से टोकियो तथा फिर मनीला और वहां से एक जहाज द्वारा सिंगापुर पहुंचाया गया।

अब्दुल रज़ाक को कुछ मामूली चोटें आयीं थी।

समझौते की कुंजी

इसे देश का और विशेषकर पञ्जाब का दुर्भाग्य ही कहना चाहिये कि वहां भाषा के प्रश्न पर हिंदी रक्षा-समिति तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधियों में जो वार्ता बड़े आशा एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में चल रही थी वह भंग हो गयी। यद्यपि समिति के प्रवक्ता श्री वीरेन्द्र ने वार्ता की इस समाप्ति को भंग का ही नाम दिया है; परन्तु सरकारी प्रतिनिधियों की ओर से इतना मात्र कहा गया है कि वार्ता का एक प्रकरण समाप्त हो गया। प्रशासनिक क्षेत्रों में अब भी यह आशाव्यक्त की जा रही है

कि वार्ता पुनः प्रारम्भ हो सकती है। पञ्जाब देश का सीमान्त प्रदेश है। वहां शान्ति और व्यवस्था की अत्यन्त आवश्यकता है। इसलिये, हमारी तो यही कामना है कि यह पुनः प्रारम्भ हो और जिन मतभेदों के आधार पर पहली वार्ता समाप्त हो गयी उनके सम्बन्ध में उदार एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण से विचार किया जाय। अभी कुछ दिन पूर्व पं० पन्त यह प्रकट कर चुके हैं कि भाषा सम्बन्धी विवादों का एकमात्र हल पारस्परिक विचार विनिमय है। इसलिये पञ्जाब के भाषा सम्बन्धी विवाद की कोई कुंजी है तो वही और उसे पुनः प्रयोग में लाया जाना चाहिये।

अगली कोई समझौता वार्ता सफल हो इसके लिये पहले यह जान लेना बहुत आवश्यक है कि पहली वार्ता के असफल होने में क्या २ कारण थे। यह तो सब जानते हैं कि समिति की सात मांगें थीं और इनमें से अधिकांश स्वीकार की जा चुकी हैं। जिन दो मुख्य मांगों के सम्बन्ध में मतभेद है वे हैं—(१) जिला स्तर के सब रिकार्ड पञ्जाबी और हिन्दी दोनों भाषाओं में रखे जायं तथा (२) किसी भी क्षेत्र में दूसरी भाषा अनिवार्य न हो। यह निश्चित है कि यदि उनके सम्बन्ध में कोई समझौता हो जाय तो पंजाब में जो एक संकट काल की सी स्थिति उत्पन्न हो गयी है वह समाप्त हो जाय।

पं० नेहरू इस आश्वासन पर कि जिला-स्तर तक कोई भी रिकार्ड किसी व्यक्ति को उसकी अपनी मनपसन्द भाषा में बिनाकिसी अतिरिक्त व्यय के मिल सकेगा; समिति दोनों भाषाओं में रिकार्ड रखे जाने के आग्रह का परित्याग कर चुकी है; पर राज्य सरकार इसके बदले इतना झुकने को तैयार नहीं कि वह जिला अधिकारियों को यह आदेश दे दे कि वे फाइलों पर अपनी टिप्पणियां अपनी मनपसन्द की भाषा में लिख सकते हैं। वार्ता में भाग लेने वाले सरकारी प्रतिनिधियों ने यह तो प्रकट किया कि वे ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेंगे; परन्तु उसके सम्बन्ध में गारण्टी देने को तैयार नहीं। सरकारी प्रतिनिधि श्री ज्ञानी कर्तारसिंह को इससे प्रशासनिक अव्यवस्था और साम्प्रदायिक भेदभाव बढ़ने का भय है; परन्तु यदि यही बात होती तो वे 'कोई कार्रवाई न करने का आश्वासन क्यों देते ? फिर एक बात यह भी सोचने की है कि क्या थोड़ी सी अव्यवस्था के कारण पञ्जाब में एक बड़ी अव्यवस्था और साम्प्रदायिक तनातनी को कायम रखना अच्छा है ?

जहां तक दूसरी मांग का प्रश्न है उसके सम्बन्ध में भी उभय दल समझौते के कगार तक पहुंच कर भी केवल इसलिये ऊपर नहीं चढ़ सके कि समस्त समझौते के विषय में अभी उक्त तथा समस्त पञ्जाब में एक भाषा नीति सम्बन्धी अनिर्णीत स्थिति की बाधा विद्यमान थी। एक भाषा नीति के सम्बन्ध में ज्ञानीजीका यह कथन बिल्कुल निःसार है कि वह अन्य दलों से परामर्श किये बिना कुछ नहीं कर सकते। जब सरकार यह स्वीकार करती है कि पञ्जाब और पेप्सू में समान भाषा नीति होनी चाहिये तो किसी एक वर्ग विशेष की प्रसन्नता अथवा सुविधा की बात क्यों सोची जानी चाहिये ? क्या यह स्वयं सरकार की ओर से साम्प्रदायिकता का सूचक नहीं ? फिर सरकार में तो अकाली पहले ही सम्मिलित हैं; इसलिये किसी अन्य दल से परामर्श लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

संक्षेप में, पहली वार्ता की असफलता का बहुत बड़ा कारण सरकारी प्रतिनिधियों की अनुदारता प्रतीत होती है। जब उभय दल 'कुछ तुम बढ़ो और कुछ हम बढ़ें' की नीति अपना चुके हैं तो सरकार की ओर से अन्तिम क्षण में यह बाधा क्यों ? यदि उसने स्थिति को भली प्रकार हृदयंगम मान कर पुनः वार्ता के लिये उचित वातावरण तैयार नहीं किया तो समझौता न हो सकने के लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगी।

—नवभारत टाइम्स

श्रीयुत पं० जवाहरलाल जी

का

श्री स्वामी आत्मानन्द जी को पत्र

इसके एक पहलू की विवेचना

लेखक—श्रीयुत रत्नलाल बी० ए०
भूतपूर्व उपप्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश

हिन्दी के सम्बन्ध में श्री स्वामी आत्मानन्दजी की मौलिक मांग यह है कि समस्त पंजाब केलिये एक ही भाषा योजना होनी चाहियें और भाषा के आधार पर पंजाब का क्षेत्रीय विभाजन न होना चाहिये। हिन्दुओं की इस प्रार्थना के विषय में श्रीयुत पं० जवाहरलाल जी नेहरू ने अपने एक पत्र में एक बड़ी आवश्यक बात स्वीकार की है। वे लिखते हैं 'आपकी पहली मांग यह थी कि समस्त नये पंजाब में राज्य के लिये एक ही भाषा योजना होनी चाहिये। यह मांग उचित जान पड़ती है परन्तु ऐसी बहुत सी उचित बातें होती हैं जिनका किया जाना किसी खास समय पर उचित और बुद्धिमत्ता पूर्ण नहीं होता। "धीरे २ ही ये चीजें बदली जा सकती हैं।" रेखांकित शब्द मेरे अपने हैं। श्री नेहरू जी के इस उत्तर से उस नैतिक प्रभाव का प्रश्न मन में उठ आता है जो राजनैतिक भावना से राष्ट्र के चरित्र पर पड़ा करता है। स्व० विशननारायण दर कहते हैं "बुद्धि और चरित्रका बड़ाप्रबल एवं विशुद्ध प्रकाश होता है जिसकी आभा एक दूसरे के लिये क्रिया और प्रति क्रिया का काम करती है।" अर्द्ध सत्यों वा उपयोगी समझी जाने वाली कपोल कल्पित बातों को स्वीकार करने के स्वभाव से उन मानसिक उलझनों की सृजना होती है जो चरित्र को नष्ट किये बिना नहीं रहतीं। मिल के शब्दों में "नैतिक दोष से पहले बौद्धिक दोष उत्पन्न हुआ करता है। निजी जीवन में राजनीतिज्ञ अपनी अन्तरात्मा का अनुसरण करता है परन्तु सार्वजनिक जीवन में उसे दलीय (पार्टी) भावना के प्रकाश में विचरण करना होता है। उसे ध्येय के रूपमें नहीं अपितु किसी राजनैतिक ध्येय के साधन के रूप में सत्य का अनुसरण करना चाहिये। जब सत्य और पार्टी के हित आपस में टकरा जायँ तो सत्य को धत्ता बता देना चाहिये।" जैसा कि लैकी (Lecky) ने किसी स्थल पर कहा है "अपनी पार्टी के साथ काम करने से राजनीतिज्ञ अपने चरित्र की स्वतन्त्र सत्ता खो बैठते हैं" ठीक उसी भांति जिस भांति वे भीड़ भड़क्के में विचार करने से अपनी बौद्धिक मौलिकता से वंचित हो जाते हैं। वीर भावना का ह्रास हो जाता है और विरोध के बवंडर में कर गुजरने का साहस नष्ट हो जाता है ··· उग्र राजनैतिक भावना बौद्धिक प्रयासों के लिये अनुकूल नहीं होती। हो सकता है यह बात कल्पित जान पड़े फिर भी यह सत्य है······जिन लोगों का अर्द्ध सत्यों पर अवलम्बित राजनीति से वास्ता पड़ता है······ जब किसी के लिये अपने विचारों को दलीय आधार पर व्यवस्थित करना आवश्यक हो जाता है तो सत्य के प्रति प्रेम का अन्त हो जाता है जो पार्टी या दल से अनभिज्ञ होता है। ···भारतीय राजनीतिज्ञों को वाक् छल से काम लेना होता है जिसका औचित्य सिवाय इसके कि उन्हें जनता की भावनाओं को

श्रीयुत बाबू रत्नलाल जी मेरठ के आर्यसमाज के बहुत पुराने रत्न और सुप्रसिद्ध ऐडवोकेट हैं वर्षों पर्यन्त वे सरकारी उच्च न्यायाधीश रह चुके हैं।

लक्ष्य में रखकर चलना होता है और कुछ नहीं हो सकता। वे अपनी सम्मति को किसी अच्छे सिद्धान्त वा व्यापक सत्य पर केन्द्रित नहीं करते अपितु प्रचलित राजनीति के किसी क्षणिक दाव-पेंच के अर्पण रखते हैं। भारतमें इस समय निष्काम बौद्धिक प्रयास का महत्त्व कम हो रहा है जिसका परिणाम यह है कि यद्यपि भारत के राजनैतिक नेता अपने अनुयायियों के मानसिक स्तर से यथा सम्भव कम से कम ऊपर उठने के उपलक्ष्य में पूर्ण प्रतिष्ठा और सम्मान का उपभोग कर रहे हैं तथापि वे इस बात को भूलते प्रतीत होते हैं कि वे विचार की समृद्धि और मौलिकता के ह्रास के रूप में उस प्रतिष्ठा की बड़ी भारी कीमत चुका रहे हैं।"

पंडित नेहरू हमारे राजनैतिक गगन के सबसे अधिक प्रकाशमान् नक्षत्र हैं और स्वामी आत्मानन्द भारत के सुयोग्य ब्रह्मवादियों के सुयोग्य उत्तराधिकारी हैं। जैसा कि अरविन्द घोष ने अपने 'दिव्य जीवन' (The life divine) ग्रन्थ में लिखा है "आध्यात्मिकता से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह जीवन की त्रुटियों का राजनैतिक सामाजिक वा अन्यान्य कृत्रिम उपायों से वा दूसरे शब्दों में लौकिक प्रयत्न से सुधार करे जिनके सुधार का मानवीय मस्तिष्क निरंतर प्रयास कर रहा है और जो सदैव असफल होते हैं और होते रहेंगे।" हिन्दी की स्थिति के महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर जिसे भारत के संविधान के अनुसार हमारी राष्ट्र भाषा का स्थान प्राप्त है, स्वामी आत्मानन्द और पंडित नेहरू के दृष्टिकोणों के भेद का समाधान उपर्युक्त अवतरण से सहज ही हो जाता है। इस आवश्यक समस्या ने आर्य समाज और कांग्रेस को दो विरोधी दलों में क्यों विभक्त किया है, इसका उत्तर भी उपर्युक्त तथ्य से प्राप्त हो जाता है। इस प्रसंग में हमें भारतीय इतिहास की एक आधुनिक सच्चाई को ध्यान में रखना चाहिये। स्व० पंडित विशननारायण दर 'सम्मति का निर्माण' शीर्षक अपने विद्वत्तापूर्ण निबन्ध में लिखते हैं— "यहां मैं एक बड़े निर्देशपूर्ण चमत्कार का वर्णन करता हूँ और वह यह है कि हमारे प्रत्येक आन्दोलन का सूत्रपात और संचालन चाहे वह सामाजिक, नैतिक वा धार्मिक रहा हो, उन लोगों के द्वारा हुआ है जिन्होंने अपने जातीय इतिहास और साहित्य का अध्ययन किया था, जो अपने भूतकाल पर गर्व करते थे, जो अपने जीवन प्रद उत्साह के स्रोत के प्रति आदर भाव रखते थे जो न्यूनाधिक रूप में धार्मिक सुधारक थे इसलिये कि हमारे जातीय जीवन में धर्म्म को मूर्द्धन्य स्थान प्राप्त रहा है और जिन्होंने जनसाधारण तक पहुंचने के लिये देश की लोक भाषाओं को पुनर्जीवित और संशोधित करने का प्रबल प्रयास किया था।" गत शताब्दी राममोहनराय के महान् नाम के साथ प्रारम्भ हुई थी जो बंगाली साहित्य के भी जनक थे। दर महोदय कहते हैं 'स्वामी दयानन्द प्रत्यक्षतः पुराने ढंग के सुधारक देख पड़ते हैं। उन्होंने एक आन्दोलन (आर्यसमाज) को जन्म दिया जिसने अपने राष्ट्रीय स्वरूप के कारण, भूतकाल के प्रति निष्ठा के कारण, और हमारे धर्म के उन मूल भूत सिद्धान्तों और आचार विचार के दृढ़ और निर्भीक प्रचार के कारण जिनसे हमारा जातीय जीवन निर्मित हुआ था हिन्दू समाज में सच्चे उच्चतम राष्ट्रीय संगठन का स्थान प्राप्त किया।" दर महोदय एक दूसरे स्थान पर ठीक ही कहते हैं 'हिन्दी गद्य अपने विकास के लिये अंग्रेजी प्रभाव की ऋणी है। दयानन्द के प्रभाव ने इसके विकास और प्रसार में बहुत योग दिया।" दर महाशय 'आधुनिक भारत में प्रतिभा का ह्रास' शीर्षक निबन्ध में लिखते हैं 'गुजरात में एक महान् आत्मा का प्रादुर्भाव हुआ जो असमय में ही हमसे छिन गई, जिसके भाग्य में वेदों के बुद्धिवाद पर आश्रित करके मरणोन्मुख हिन्दू धर्म को नव जीवन प्रदान करना लिखा था। महर्षि दयानन्द के उदाहरण और शिक्षाओं का हिन्दू मस्तिष्क

पर जो प्रभाव पड़ा उसकी सक्रियतामें मतभेद नहीं हो सकता। निर्जीव हिन्दू समाज में राष्ट्रीयता की भव्य भावना फूंककर उसे जीवन प्रदान करने का जो श्रेय दयानन्द को प्राप्त है वह इस शती में अन्य किसी भारतीय को प्राप्त नहीं है। ब्रह्म समाज की अपेक्षा आर्य समाज की एक बहुत बड़ी सफलता है। आर्य समाज ने उन भारतीय वर्गों में सुधार और उन्नति की प्रेरणा दी है जो अंग्रेजी शिक्षा और विचारधारा से बहुत कम प्रभावित थे। अतः महर्षि दयानन्द इस युग के सर्वाधिक मौलिक हिन्दू और महान् सुधारक थे जिन्हें पाश्चात्य संस्कृति की कोई भी देन प्राप्त न थी। यदि उत्तर भारत के—पंजाब और राजपूताना के हिन्दू और वे हिन्दू जो अंग्रेजी का एक अक्षर भी नहीं जानते हैं खुले रूप में जातपात का खंडन करते हैं, बाद के कालों की विकृति को स्वीकार किये बिना अपने प्राचीन धर्म की पवित्रता पर गर्व करने में समर्थ हैं, यदि वे विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा और समुद्र यात्रा के प्रबल समर्थक हैं, यदि आक्रमण एवं रक्षा के लिये वे पहले की अपेक्षा अधिक संगठित हैं और वे प्रबल राष्ट्रीय चेतना से ओत प्रोत हैं जो उनके वर्तमान राजनैतिक पुनरुज्जीवन के मूल में काम कर रही है तो इस सबका श्रेय दयानन्द की प्रखर प्रतिभा को प्राप्त है। राममोहनराय की तरह और संसार के अन्य महान् पुरुषों की तरह महर्षि दयानन्द को अपने विचारों के कारण सताया गया। उनके देशवासियों की मतान्धता ने स्थान २ पर उनका पीछा किया परन्तु उन्होंने इसकी परवाह न की। वे अपने महान् कार्य के सम्पादन में विचलित न हुये। सुदिन और दुर्दिन, कीर्ति और अपकीर्ति से ऊपर उठे रह कर वे इस दृढ़ विश्वास के साथ अपने प्रचार कार्य में संलग्न रहे कि मेरा पक्ष सच्चा है और उसकी विजय होगी। वस्तुतः उनका पक्ष विजयी रहा।" अपने स्वामी की भावना के प्रति सच्चा रह कर आर्यसमाज ने डी० ए० वी० कालेज लाहौर और गुरुकुल कांगड़ी की अपनी दो महान् संस्थाओं तथा अन्यान्य विविध संस्थाओं में हिन्दी की उन्नति और प्रसार को चार चांद लगाये। अतः यह कहना नितान्त असत्य है कि नये पंजाब में हिन्दी का पक्ष लेकर आर्यसमाज किसी काल्पनिक बहाने से राजनैतिक क्षेत्र में पग धर रहा है। यह कहना दयानन्द के जीवन भर के कार्य और आर्यसमाज के इतिहास की उपेक्षा कर देना है। वस्तुतः दयानन्द की महान् दूरदर्शिता की यह महान् विजय है कि अन्त में परमात्मा की कृपा से वह समय आया जबकि हिन्दी को भारतीय संविधान में राष्ट्र-भाषा का गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। भारतीय संविधान की धारा ३५१ में हम यह विशेष निर्देश पाते हैं:—

"संघ का यह कर्त्तव्य होगा कि वह हिन्दी के प्रचार को बढ़ाये, हिन्दी को इस प्रकार विकसित और उन्नत करे कि वह भारत की मिली जुली संस्कृति के समस्त तत्वों की अभिव्यक्ति के माध्यम का काम कर सके और हिन्दुस्तानी तथा ८ वें शिड्यूल में उल्लिखित भारत की अन्य भाषाओं के रूपों, शैलियों और अभिव्यक्तियों से मेल मिलाकर तथा जब कभी आवश्यक एवं वांछनीय हो मुख्य रूप से संस्कृत से तथा गौण रूप से अन्य भाषाओं से शब्द लेकर उसके भण्डार को समृद्ध करे परन्तु किसी अवस्था में भी उसकी प्रतिभा में व्यवधान उपस्थित न होने दिया जाय।"

अतः नये पंजाब में हिन्दी भाषा के पक्ष को लेकर आर्यसमाज न केवल नये पंजाब की भावी संततिकी एक महान् एवं महत्त्वपूर्ण शिक्षा समस्या का समाधान कर रहा है अपितु वह भारतीय संविधान के विशेष निर्देश पर भी आचरण कर रहा है। पंडित नेहरू का यह कहना ठीक है कि आर्यसमाज धार्मिक संस्था है परन्तु उनके पत्र में एक भी युक्ति नहीं है जिससे यह सिद्ध होता हो कि आर्यसमाज नये पंजाब में हिन्दी के लिये

मौलिक और उचित स्थान प्राप्त करने के लिये जो आन्दोलन कर रहा है उसके द्वारा वह राजनीति में पदार्पण कर रहा है। मुझे संसार के किसी ऐसे सभ्य देश का ज्ञान नहीं है जहां विवाह, तलाक और शिक्षा जैसे मामलों में धर्म्म संघों द्वारा शासन का विरोध राजनीति में हस्तक्षेप समझा जाता हो। दक्षिण भारत में गवर्नमेन्ट ने केरल शिक्षा बिल विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया है और कथोलिक चर्च ने इसकी कुछ धाराओं के सम्बन्ध में विरोधी रुख अपनाया है। क्या एक क्षण के लिये भी यह कहा जा सकता है कि कथोलिक चर्च राजनीति के क्षेत्र में पदार्पण कर रहा है? शासनों की इस प्रकार की मनोवृत्ति के सम्बन्ध में लास्की ने ठीक ही कहा है कि

"कोई शासन जो कुछ निश्चित सम्मत्तियों को उन्नत करने के लिये संगठित संस्था पर आक्रमण करता है जो उसकी सुरक्षा के लिये खतरनाक बन जायं तो उसके विषय में यह उचित रीति से कल्पना की जा सकती है कि वह कोई बात छिपा रहा है।"

श्री श्रीमन्नारायण ने इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित अपने लेख में पंडित नेहरू के पत्र का सार देते हुये एक रहस्य का उद्घाटन किया है। वे कहते हैं 'इस योजना के फलस्वरूप पृथक् पंजाबी सूबे की मांग का परित्याग कर दिया गया था।' इस प्रकार पंजाब के बच्चों की शिक्षा के लिये हिन्दी के स्थान का निश्चय किसी सिद्धान्त पर अवलम्बित नहीं है अपितु राजनैतिक स्तर पर सिक्खों के साथ हुये अल्पकालीन समझौते पर आश्रित है। यही कारण है कि हिन्दी भाषा के इस प्रश्न को अपने हाथ में ले लेने से आर्यसमाज पर राजनीति में प्रविष्ट हो जाने का दोषारोपण किया जा रहा है। प्रत्येक निष्पक्ष व्यक्ति पर यह स्पष्ट हुये बिना न रहेगा कि कांग्रेस की लौकिक कार्पोरेशन को इस समझौते को करने का जितना अधिकार था उतना ही धार्मिक भारत को विशुद्ध शैक्षणिक मामले में इस अविचारपूर्ण समझौते को चुनौती देने का अधिकार है। धार्मिक भारत पर यह अत्यन्त निर्मम प्रहार है यद्यपि इस बार इस प्रहार का लक्ष्य आर्यसमाज है। यह विषय बड़े गंभीर विचार का है कि भारत में धार्मिक संस्थाओं को उन मामलों में जो उचित रीति से उनके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत हैं, विचार और आचरण की स्वतन्त्रता है या नहीं?

श्रीयुत नेहरू ने अपने पत्र में कहा है कि "पंजाब के साम्प्रदायिक दल इस मामले में आप का और आर्यसमाज का साथ दे रहे हैं।...... क्या किसी को यह सन्देह नहीं हो सकता कि आपका उद्देश्य भले ही कुछ हो, अन्य लोग अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिये उसका अनुचित लाभ उठा रहे हैं और इस प्रकार जहां वे आपके पक्ष को क्षति पहुचा रहे हैं वहां आर्यसमाज जैसे महान् संगठन पर भी लांछन लगवा रहे है।"

धार्मिक एवं राजनैतिक संस्थाओं को विविध सामाजिक प्रगतियों में संलग्न होना पड़ता है, यदि अन्य जन उन्हें अपना कर अपना सक्रिय योग देने लगें तो मूल प्रगतियों का स्वरूप नहीं बदलता और न बदल सकता है। जिन मामलों को व्यक्ति और संस्थाएँ अपना सम्मिलित मामला मान लेती हैं उनमें एक दूसरे की सहायता करने का रिवाज चला आता है। वस्तुतः यह तो विशाल हृदयता का प्रमाण है और समाज के लिये हितकर है। जनता को यह स्मरण होगा कि असहयोग आन्दोलन के आरम्भिक काल में महात्मा गांधी ने कुछ लोगों द्वारा विरोध किये जानेपर भी, उन पतिताओं के सहयोग का स्वागत किया था जो कांग्रेस में भरती होना चाहती थीं। यह स्पष्ट ही है कि आर्यसमाज शासन की एक अविचारपूर्ण योजना का विरोध करने के लिये बाध्य हुआ है। वे सब जो शासन के अपने नहीं हैं, यदि चाहें तो इस

विशेष आन्दोलन में भाग ले सकते हैं और इसके लिये आर्यसमाज दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आर्यसमाज अपने पक्ष का समर्थन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सहायता का स्वागत करेगा। इसमें कोई बुराई नहीं है और इससे आर्यसमाज पर लांछन नहीं लगता। (आर्यसमाज के इस आन्दोलन में प्रत्येक व्यक्ति आर्यसमाज के अनुशासन के आधीन आर्य वा हिन्दी प्रेमी के रूप में भाग ले रहा है किसी राजनैतिक संस्था के सदस्य के रूप में नहीं—सम्पादक)

भारत के वर्तमान शासन की स्थापना पंजाब की लाश पर हुई है। क्या अब पंजाब के नवयुवकों और बच्चों को मानसिक भूख से मरने दिया जाय और क्या कांग्रेस के बाहर के लोग इस कांड को चुपचाप खड़े देखते रहें? हम प्रत्येक को यह आश्वासन दे देना चाहते हैं कि भारत में और संसार में क्या होने वाला है उससे हम अनभिज्ञ नहीं हैं। हम जानते कि "देश में अर्थ संकट की अंधियारी छाई हुई है और वह तेजी से गहरी होती जा रही है।" हम यह भी जानते हैं कि देश में वर्ष पर्यन्त दुर्भिक्ष की स्थिति बनी रहती है और किसी न किसी राजनैतिक बहाने से भारत के नागरिकों की सम्पत्ति और देवियों के आभूषण धीरे २ परन्तु दृढ़ता के साथ छीने जा रहे हैं। हमें पता है कि इस समय संसार की सबसे बड़ी आवश्यकता युद्धवर्जन है और मानवता पुकार २ यह कह रही है कि उद्‌जन बमों वा विश्व युद्ध से मेरी रक्षा की जाय। परन्तु ये विषय ऐसे हैं जो स्वयं पंडित नेहरू ने अपने हाथ में लिये हुये हैं। ये आपत्तियां लगभग गत १० वर्ष से चली आ रही हैं और किसी को पता नहीं हम कबतक इनसे पीड़ित रहेंगे। सरकार की अन्य समस्त प्रगतियां जोर शोर के साथ चल रही हैं। जो अपने को दुःखी और पीड़ित अनुभव करते हैं वे निराश होकर हड़तालें कर रहे हैं। एक मात्र बहुमत के बल पर प्राचीन आर्य संस्कृति की जड़ में कुठाराघात करने वाले कनून बनाये जा रहे हैं। प्रति वर्ष संविधान का संशोधन किया जा रहा है। स्थिर न्यायालयों का उन मामलों पर से अधिकार छीना जा रहा है जो हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करते हैं। खेल के लिये और जिन्हें सांस्कृतिक नृत्यों की संज्ञा दी जाती है उनके लिये मिशन के बाद मिशन विदेश भेजे जा रहे हैं। इन सब के होते हुये भी सरकार इस बात को युक्ति युक्त नहीं समझती कि हिन्दू लोग उस सरकारी अविचार पूर्ण योजना का विरोध करें जिनका प्रभाव पंजाब की भावी संतति पर पड़ता हो।

हिन्दू लोग अपने बच्चों की शिक्षा में सरकार की धर्म निरपेक्षता की नीति को सहन कर रहे हैं जिसके दुष्परिणाम सर्वत्र देख पड़ रहे हैं। ये दुष्परिणाम क्या है? श्री विशननारायण दर जो कांग्रेस के भूतपूर्व प्रधान थे पुराने कांग्रेसी थे राजनीतिज्ञ तथा राजनैतिक तत्त्वदर्शी थे जिनका उद्देश्य यह था कि ज्ञान एवं सुसंस्कृत बुद्धि की शुद्ध एवं पवित्र करने वाली रश्मियां प्राचीन विचार धारा, प्रथाओं और संस्थाओं पर उत्तम प्रभाव डालें, इस विषय में कहते हैं—"सूर्य की छत्रच्छाया में किसी राष्ट्र की मृत्यु के समान कोई दूसरी दुःख जनक घटना नहीं होती और राष्ट्र की यह मृत्यु उन विश्वासों और राष्ट्रीय विशेषताओं के विनाश में सन्निहित होती है जो उस राष्ट्र को वैयक्तिक चरित्र का स्वरूप प्रदान करती हैं। यह भयंकर कांड आजकल भारत में हो रहा है। पुराना धर्म मर रहा है, पुराना सदाचार नष्ट हो रहा है। प्रथाओं और परम्पराओं के बंधन जो सामाजिक शरीर की हड्डियां और मांस पेशियां होती हैं ढीले पड़ रहे हैं। चहुं ओर मृत्यु और विकृति देख पड़ती है। इससब के लिये शिक्षा की लौकिक प्रणाली उत्तरदाता है। यह संकट गंभीर है। राष्ट्र का भाग्य दाव पर लगा है। एक मात्र निरपेक्षता के रूख से

काम न चलेगा। जो चीज नष्ट हो रही है उसके स्थान की पूर्ति के लिये कुछ अवश्य होना चाहिये।" ऐसा लगता है कि यतः पंजाब के हिन्दू और आर्य इस प्रकार की शैक्षणिक नीतियों से अलग थलग से रहे इसीलिये उन्हें भाषा विषयक मामलों में सक्रिय भाग लेने से रोका जा रहा है। यह उचित नहीं है। कुछ दिन हुये श्रीमन्नारायण ने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि पंजाब की भाषा योजना पार्लियामेन्ट द्वारा स्वीकृत है अतः सर्वोत्तम है। यह तो बङ्गाल के राजनैतिक इतिहास में बहुप्रचलित प्रसिद्ध शब्द 'निर्णीत तथ्य' की व्याख्या मात्र है। बङ्गालियों को कहा गया था कि बङ्गाल का विभाजन निर्णीत बात है और बङ्गालियों को इसे इसी रूप में लेना चाहिये। मैं वही उत्तर देना पसन्द करूंगा जो डा० रासबिहारी घोष ने लार्ड कर्जन को दिया था। उन्होंने कहा था कि "यद्यपि यह 'निर्णीत तथ्य' है तथापि यह अनिर्णीत प्रश्न है।" यदि हमें यह कहा जाय कि भाषा के आधार पर पंजाब का विभाजन 'निर्णीत तथ्य' है तो हमारा उत्तर पूर्ण आशाओं के साथ "नहीं" है। इसके अतिरिक्त इस थ्योरी का अन्त हुए बहुत समय हो गया है कि पार्लियामेन्ट जो कुछ पास करे उसे जनता आंख बंद करके स्वीकार करले। जैसा कि लास्की ने कहा है कि "जब नागरिक पार्लियामेन्ट के लिये या स्थानीय राज्य संस्था के लिये अपना प्रतिनिधि चुन लेता है तो वह इस बात से निश्चित रहता है कि उसकी आवश्यकताएँ ज्ञात हो गई हैं और उसके हितों का संरक्षण हो रहा है। इस विचार को जरा भी समर्थन प्राप्त नहीं होता।" हमें यह कहने के लिये क्षमा किया जाय कि हम अपरिहार्यता की युक्ति को मानने के लिये उद्यत नहीं हैं? हम अनुभव करते हैं कि हम अपने मित्रों के साथ अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं।

मैं पंजाब के अपने सिख बन्धुओं से भी एक बात कहना चाहता हूँ। भले ही कोई कुछ कहे, पंजाब के हिन्दू और सिख पंजाब के दो अविभाज्य अङ्ग हैं, दोनों के ही हित समान हैं और एक का दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। विधान सभा में प्रतिनिधित्व या सरकारी नौकरियों में हिस्सों के प्रश्नों से बढ़कर उस प्रश्न का ठीक समाधान करने का प्रश्न है जो दोनों वर्गों के समान हित से सम्बद्ध है और जिनका दोनों के पारस्परिक प्रयत्नों के बिना ठीक समाधान सम्भव न होगा। हिन्दुओं और सिक्खों को यह बात हृदयङ्गम कर लेनी चाहिये, कि किसी भी गवर्नमेन्ट के लिये भले ही वह किसी पार्टी की क्यों न हो, अपनी पार्टी के उद्देश्यों के लिये एक को दूसरे से अलग करने के प्रलोभन से ऊपर उठना कठिन होगा। उन्हें इस विशुद्ध भाषा के प्रश्न पर विचार और सहानुभूति पूर्वक मनन करना चाहिये और पंजाब की आनेवाली सन्तान की कृतज्ञता प्राप्त करनी चाहिये। विभाजन चाहे भाषा के आधार पर हो या भौगोलिक आधार पर बड़ा भयावह होता है। भारत के वर्तमान राजनैतिक इतिहास में हुआ विभाजन हानिकर सिद्ध हुआ है और हमें वर्चस्व की अपेक्षा न्याय की मांगों की विजय में पूर्ण निष्ठा रखनी चाहिये।

श्रीयुत पं० जवाहरलाल जी नेहरू जैसे महान् व्यक्ति से मतभेद रखना प्रसन्नता का विषय नहीं है और उन जैसे महान् पुरुषों के प्रति स्वाभाविक सम्मान का भाव रखते हुये भी मैंने उनके विचारों की आलोचना करने का साहस किया है। इसका कारण यह है कि मैं अन्तरात्मा से यह विश्वास करता हूँ कि सत्य कहीं अन्यत्र है।

हम आशा करते हैं कि हमारे देशवासी इस खेल की वास्तविकता को समझेंगे और इस आन्दोलन (हिन्दी रक्षा आन्दोलन) को अपना अमूल्य सक्रिय सहयोग देंगे जो देश भक्त नेताओं के द्वारा वीरोचित साहस और आत्म-त्याग के साथ संचालित हो रहा है।

*

Statement of Shri G. S. Gupta

President

Bhasha Swatantrya Samiti

Issued on the 23rd July 1957 at Ghandigarh

I. From all indications the time is fast approaching when the Arya Samaj Satyagrah for the liberty of language in Punjab must become the concern not only of the Arya Samaj sts of Punjab and their local supporters but of the whole Arya Samaj movement in the country and of all right thinking persons and organisations throughout the length and breadth of India.

2. For the information of the general public, I would like to state in clear terms that our main demand is absolutely simple and almost fool proof. We, don't want particular language to be thrust down unwilling throats. We make no exception to Hindi. We agree with Pt. Jawahar lal ji in his oft repeated assertion that it will ill serve the cause of Hindi to force it on unwilling persons. Use of force react and repels. No true friendship can be obtained by coercion. It can only produce servility of a coward which is no asset of any nation.

We have no quarrel with any language much less with any community. We have regard for all languages and wish their unbinder-ed progress and development. The idea (if present any where that our movement aims at forcing Hindi in Punjab and to oust Gurmukhi (Punjabi) is pure myth. We proclaim from house top that no student in Punjab be compelled to learn Hindi. But we would also want that no student be compelled to learn Gurmukhi (Punjabi) as well. This simple matter is being missed in a jungle of high sounding, phrases and sentences which results in creating unnecessary misunderstandings and prejudices. We also grant that the qualification for the holder of a Government or Semi Government post in bilingual Punjab may be the knowledge of both the languages. And in actual working he may be free to use any of the two languages he may like.

3. Now a word to the Arya Samaj and other friends and supporters. I am well aware there is great enthusiasm and mass support to our movement. But we have to realise that the path is not easy and there is no short cut to success. Not only our enthusiasm, but our firm determination, spirit of continued suffering and inexhaustible patience are on trial. Let us have faith in God and in the justice of our cause.

One more thing which is most essential. Let us not forget, I would rather say let us always remember that we have chosen the path of Satyagrah truth and non-violence. Any deviation from that is sure to injure our cause. Let every Satya-

grahi be determined not to swere from that path whatever the provocation. We have to convince all those who hold differently from us by the strength of our argument and to win them over to our side by our self suffering and sacrifices born of the conviction as to the justice of our case.

4. I may be excused for addressing a word to the Government. You can ill afford to loose your balance of mind and get irritated or act in a spirit of retaliation. You are not an alien Governm-nt coming from six thousand miles. The Satyagrahis are all your own kith and kin. Please do not forget they are no robbers or dacoits. They are agitating for what they consider as just.

The treatment alleged to have been meted out to the Satyagrahis and the ban on the three papers, Pratap, Vir Arjun and Hind Samachar do no credit to you. Power misused seldom adds to the strength or prestige of persons in authority.

5. I cannot conclude without adding a word of appeal to my great leaders of the Congress. I would implore them to rise above the Government. Plea-e examine the Arya Samaj case objectively and independently of what the Government has done, I am sure if they do that, they will, like conscientious lawyers reject the brief and ask their client to settle the case in good spirits.

सार्वदेशिक भाषा स्वातन्त्र्य समिति के अध्यक्ष श्रीयुत घनश्यामसिंह जी गुप्त का प्रेस वक्तव्य

ऐसे लक्षण देख पड़ रहे हैं कि वह समय तेजी के साथ आ रहा है जब पंजाब में चल रहा आर्य समाज का भाषा स्वातन्त्र्य सत्याग्रह न केवल पंजाब के आर्य जनों और उनके स्थानीय समर्थकों का ही अपितु समस्त आर्य जनता, समझदार व्यक्तियों और सगठनों का भी आन्दोलन बन जायगा।

सर्व साधारण जनता की सूचना के लिए यह स्पष्ट किए देता हूँ कि हमारी मुख्य माँग बड़ी सरल और अकाट्य है। हम यह नहीं चाहते कि कोई विशेष भाषा अनिच्छुक लोगों के गले बलात् उतारी जाय। हम हिन्दी को भी अपवाद नहीं बनाते। हम श्रीयुत पं० जवाहरलाल जी की इस स्वीकारोक्ति से जिसकी वे बार २ घोषणा करते रहते हैं सहमत हैं कि हिन्दी को बलात् थोपने से हिन्दी के हित को क्षति पहुंचेगी। बाध्यता की प्रतिक्रिया घृणा उत्पन्न करती है और बाध्यता से सच्ची मित्रता स्थापित नहीं हो सकती। इससे तो एकमात्र कायरों जैसी परवशता उत्पन्न होती है जो किसी भी राष्ट्र की निधि नहीं हो सकती।

हमारा झगड़ा न तो किसी वर्ग से है और न भाषा से। हमारे हृदयों में सभी भाषाओं के लिए प्रेम है और हम उनकी निर्बाध उन्नति के इच्छुक हैं। पंजाब में हिन्दी को बलात् लादने और गुरुमुखी को बहिष्कृत करने के लिए ही यह आँदोलन चलाया गया है, यह विचार (यदि किन्हीं व्यक्तियों का हो) कपोल कल्पना है। हम ऊँचे स्वर में यह घोषणा करते हैं कि पंजाब का कोई विद्यार्थी हिन्दी पढ़ने के लिए बाध्य न किया जाना चाहिए। साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि

कोई विद्यार्थी गुरुमुखी (पंजाबी) पढ़ने के लिए विवश न किया जाय । यह साधारण सी बात जटिल शब्दों और वाक्यों के द्वारा क्लिष्ट बनाई जा रही है जिसके फल स्वरूप अनावश्यक भ्रम और वैमनस्य उत्पन्न हो रहा है ।

हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि द्विभाषी पंजाब में सरकारी वा अर्द्ध सरकारी नौकरी पर नियुक्त कर्मचारी को हिन्दी और पंजाबी दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए परन्तु उसे वास्तविक व्यवहार में अपनी पसन्द की भाषा का प्रयोग करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए ।

आर्य समाज के मित्रों तथा इस आन्दोलन के अन्य समर्थकों को भी एक बात कह देना आवश्यक प्रतीत होता है । मैं इस बात को भली भांति जानता हूं कि हमारे आन्दोलन के प्रति जनता में बड़ा उत्साह है और उसे जन सामान्य की सहायता प्राप्त है, परन्तु हमें यह अनुभव करना चाहिए कि मार्ग सरल नहीं है और सफलता यों ही प्राप्त नहीं हो जायगी । न केवल हमारे उत्साह अपितु हमारे दृढ़ निश्चय, निरन्तर सहिष्णुता और अडिग धैर्य्य की भी परीक्षा हो रही है । हमें परमात्मा पर और अपने पक्ष के औचित्य पर विश्वास रखना चाहिए ।

एक और आवश्यक बात । हमें कभी भी इस बात को न भुलाना चाहिए वरन् सदैव इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमने सत्याग्रह अर्थात् सत्य और अहिंसा के मार्ग को चुना है । इस मार्ग से जरा भी हट जाने से हमारे कार्य को बड़ा धक्का लग सकता है । प्रत्येक सत्याग्रही को इस मार्ग से न हटने का दृढ़ निश्चय करना होगा भले ही उसे भयंकरसे भयंकर उत्तेजना का सामना करना पड़ जाय । हमें अपने से मतभेद रखने वालों को युक्ति कष्ट सहिष्णुता और अपने पक्ष की युक्तियुक्तता से उत्पन्न त्याग भावना से जीतकर अपने पक्ष में लाना है ।

मैं राज्य से भी एक बात कहने की क्षमा चाहता हूं । आप लोगों को अपने मस्तिष्क का सन्तुलन खोकर और क्रोध के वशीभूत होकर बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिये । आप ६००० मील दूर से आने वाले विदेशीय राज्याधिकारी नहीं हैं । समस्त सत्याग्रही आपके अपने ही आदमी हैं । कृपया यह न भूलें कि वे चोर डाकू नहीं हैं । वे जिस बात को न्याय्य समझते हैं उसी के लिये आन्दोलन कर रहे हैं ।

सत्याग्रहियों के साथ क्रूर व्यवहार की जो बात कही जा रही है तथा प्रताप, वीर अर्जुन और हिन्द समाचार पर जो प्रतिबन्ध लगाया गया है वह राज्याधिकारियों के लिए शोभनीय नहीं है । शक्ति के दुरुपयोग से राज्याधिकारियों की शक्ति और वर्चस्व में वृद्धि नहीं होती ।

अन्त में मैं कांग्रेस के अपने महान् नेताओं से अपील करूंगा कि वे शासन के स्तर से ऊँचे उठें और आर्य समाज के केस पर स्वतन्त्र और निष्पक्ष रूप से विचार करें । ऐसा करने से मुझे निश्चय है कि वे समझदार वकील के समान राज्य के पक्ष को रद्द करके उसे प्रेरणा करेंगे कि वह सद्भावना से इस मामले का निपटारा करदें ।

चण्डीगढ़ २३-८-'५७

हिन्दी रक्षा आन्दोलन के विरोधियों को युक्तियुक्त उत्तर

[लेखकः—श्री सन्तराम बी० ए०]

आर्य समाज ने पञ्जाब में हिन्दी की रक्षा के लिए जो सात्विक आन्दोलन जारी किया है उसके विरोधियों की आपत्तियों का सारांश यह है :—

१—पञ्जाबी १४ स्वीकृत भाषाओं में से एक क्षेत्रीय भाषा है। इसको दबा कर इसका स्थान हिन्दी को दिलाने पर हठ करना अनुचित और हिन्दी के लिये घातक है।

२—यह आन्दोलन धार्मिक या सांस्कृतिक नहीं, यह संस्कृति की आड़ में राजनीति सत्ता हथियाने का आन्दोलन है।

३—हिन्दी राष्ट्र भाषा घोषित हो चुकी है। हिन्दी के साथ यदि क्षेत्रीय भाषा पञ्जाबी भी पढ़ ली जाय तो इसमें कोई आपत्ति क्यों है ?

४—पञ्जाब एक सीमावर्ती राज्य है। यहां सिखों की बहुतायत है। यहां अशान्ति फैलने से सिख रूठ कर पाकिस्तान से जा मिलेंगे और भारत पर पाकिस्तान का आक्रमण हो जायगा।

१—यह ठीक है कि पंजाबी भी १४ भाषाओं में से एक भाषा मानी गई है; परन्तु आर्य समाज किसी भाषा को दबाने की मांग नहीं करता। उसका कहना तो यह है कि जो लोग पंजाबी को अपनी क्षेत्रीय भाषा मानते हैं वे बेशक पंजाबी पढ़ें। परन्तु जो लोग पंजाबी को अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा नहीं मानते उन पर पञ्जाबी बलात् न लादी जाय। पञ्जाब की सत्तर प्रति सैकड़ा जनता हिन्दी को अपनी मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा तथा धार्मिक भाषा मानती है। हमारी माएं-बहनें सदा से हिन्दी पढ़ती और लिखती आई हैं। हमने गुरुमुखी लिपि में पंजाबी को कभी अपनी मातृभाषा या धार्मिक भाषा नहीं माना। हमारे सभी धार्मिक ग्रन्थ हिन्दी में हैं। कथा-वार्ता हिन्दी में होती है, पंजाब विश्वविद्यालय में अब भी जितने छात्र हिन्दी परीक्षाओं में बैठते हैं उनका पांचवां भाग भी पंजाबी की परीक्षाओं में नहीं बैठते। अवधी, ब्रज, डिंगल और जौनपुरी की भांति पंजाबी भी हिन्दी की ही एक शाखा है। इस बात को पंजाब सरकार का सरकारी पत्र 'जागृति' भी मानता है। क्या कभी किसी ने ब्रज या अवधी भाषा को उत्तर प्रदेश की साहित्यिक या अदालती भाषा बनाने का दुराग्रह किया ? फिर पंजाबी को पंजाब की अदालती भाषा बनाने पर किस उद्देश्य से हठ किया जा रहा है ? हिमाचल प्रदेश और बिहार में अदालत की भाषा और शिक्षा का माध्यम हिन्दी है। मैं पूछता हूं, क्या हिमाचल में वही भाषा बोली जाती है जो पटना में बोली जाती है ? कश्मीर में भी उर्दू नहीं बोली जाती। वहां अदालत की भाषा उर्दू क्यों रखी गई है ? संस्कृत भी १४ भाषाओं में से एक मानी गई है। बताया जाय कि भारत के किस भाग में शिक्षा का माध्यम और अदालत की भाषा संस्कृत है।

इस आन्दोलन के विरोधी तनिक सोचें कि यदि पंजाबी हिन्दुओं की मातृ भाषा है तो वे इतने मूढ़ और अदूरदर्शी क्यों हैं जो इसे अपनी मातृभाषा मानने से इन्कार करते हैं ? सिक्खों को ही पंजाब की बोली की रक्षा की इतनी चिन्ता क्यों है ? बंगाल में यदि बंगाली है तो इसका कारण यह है कि वहां के सौ प्रति सैकड़ा अधिवासी बंगाली के पक्ष में हैं। पर यह बात पंजाब में नहीं। यहां सिख राजा रणजीतसिंह के राजत्वकाल में भी पंजाबी राजभाषा कभी नहीं बनी। उनके राजत्वकाल में भी सिक्कों पर हिन्दी तो लिखी रहती थी, गुरुमुखी नहीं।

जो लोग गुरुमुखी नहीं जानते वे नहीं जानते कि गुरुमुखी और हिन्दी अक्षर एक साथ पढ़ने से बच्चे के विकास में कितनी बाधा आती है, प, भ, म, स, घ, ध इत्यादि अक्षर ऐसे हैं जिनका रूप दोनों लिपियों में है, परन्तु उनकी ध्वनि या उच्चारण एक में कुछ है तो दूसरी में कुछ और।" हिन्दी में 'परम' लिखा हो तो गुरुमुखी और हिन्दी दोनों पढ़ने वाला बालक दुविधा में पड़ जाता है कि इसे 'परम' पढ़े या 'धरम'। उर्दू और अंग्रेजी लिपियों की दशा में हिन्दी के साथ इस प्रकार की कोई गड़बड़ नहीं होती। "सिख रिलीजन" नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक श्री मकालिफ ने तो इस गड़बड़ को देख कर यहां तक लिख दिया है कि कोई व्यक्ति संस्कृत और हिन्दी में कितना ही निपुण क्यों न हो, एक बार गुरुमुखी का अभ्यस्त हो जाने पर वह नागरी लिपि में लिखे ग्रन्थ पढ़ना बिलकुल छोड़ देगा। (देखो, "सिख रिलीजन" दूसरा भाग, पृष्ठ ५६-५७) इसके अतिरिक्त बच्चे को एक बड़ी कठिनाई यह है कि गुरुमुखी अध्यापक के पास यदि वह "कृपा, स्पष्ट, मनुष्य- सभ्यता" कहेगा तो थप्पड़ खायगा और यदि हिन्दी अध्यापक की घण्टी में इनको "किरपा, सपशट मनुख, सभयता" कहेगा तो थप्पड़ खायगा।

हिन्दी-प्रेमी पञ्जाबियों को डराया जा रहा है कि यदि तुम पंजाबी नहीं पढ़ोगे और हिन्दी पर बल दोगे तो मद्रास के तमिल और बंगाल के बंगाली हिन्दी से विद्रोह कर देंगे। मेरा उत्तर यह है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आदि कई राज्यों के लोग अब भी आरम्भ से हिन्दी पढ़ते हैं। उनको भी आप तमिल आदि लोगों के इस हिन्दी के विरुद्ध विद्रोह का भय दिखा कर हिन्दी छोड़ने पर क्यों विवश नहीं करते? जिस प्रकार पञ्जाब में सिखों की भाषा पढ़ने पर लोगों को बाध्य किया जा रहा है, उस तरह किसी भी राज्य में हिन्दी वहां के अधिवासियों पर बलात् ठूंसी नहीं जा रही। हिन्दी को यदि राष्ट्रभाषा बनाया गया है तो पञ्जाब के हिन्दुओं पर कोई उपकार नहीं किया गया है। हिन्दी के अपने गुणों और प्रसार के कारण ही उसे राष्ट्रभाषा का पद देना पड़ा है। बताइये तो सही और कौन सी ऐसी भाषा है जो भारत की राष्ट्रभाषा बनने की योग्यता रखती है? चाहिए तो यह था कि जो लोग हिन्दी का विरोध करते हैं उनको दबाया और जो प्रचार चाहते हैं उनको प्रोत्साहित किया जाय, परन्तु किया इसके विपरीत जा रहा है। सरकार न्याय और तथ्य की रक्षा में असमर्थ है। तभी तो वह पंजाब के सिख कांग्रेसियों, विधान-सभाइयों, मन्त्रियों और लोक सभा के सिख उपाध्यक्ष को सिख आन्दोलन में भाग लेने, लोगों को सिख बनाने के लिये 'अमृत-प्रचार, आन्दोलन चलाने और हिन्दुओं को भयभीत करने के लिये 'धोती-टोपी यमुना पार' जैसे उत्तेजक नारे लगाने से रोकने का साहस नहीं करती।

२—दूसरी आपत्ति का उत्तर यह है कि जिस व्यक्ति को पांडु रोग हो जाता है उसे प्रत्येक वस्तु पीली दीखती है। पंजाब का सत्ताधारी दल क्योंकि उचित और अनुचित सब रीतियों से अपनी सत्ता को बनाये रखना चाहता है, इसलिये उसे आर्य समाज का हिन्दी रक्षा आन्दोलन राजनीतिक और साम्प्रदायिक ही लगता है। उनसे कोई पूछे कि जो वीतराग संसार-त्यागी वृद्ध संन्यासी अपने प्राणों की आहुति देने को उद्यत हुए हैं क्या वे राजसत्ता हथियाने के लिये इस आन्दोलन में कूदे हैं? कांग्रेस को तो आज हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार आया है, परन्तु आज से नव्वे वर्ष पूर्व आर्य समाज के पूज्य प्रवर्त्तक, त्रिकालदर्शी महर्षि दयानन्द ने, काठियावाड़ गुजरात में जन्म लेने और संस्कृत के प्रकाण्ड पण्डित होने पर भी हिन्दी को अपनाया और अपने अनुयायियों को

उसे अपनाने का उपदेश दिया था।

३—कहने को हिन्दी राष्ट्रभाषा है, परन्तु पञ्जाब में वह सिख सत्ताधारियों की बांदी है।

पञ्जाब में आरम्भ में सब बच्चों को गुरुमुखी पढ़ाने की व्यवस्था है। चौथी या छठी कक्षा में जाकर ही उन्हें हिन्दी अक्षर सिखाने का आदेश है। जब तक किसी स्कूल में चालीस छात्र हिन्दी पढ़ने के लिये आवेदन-पत्र देने वाले न हों, ३९ छात्रों के लिए हिन्दी—शिक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जाता। देहातों में तो सारे स्कूल में ही कठिनता से ४० बच्चे होते हैं! इसलिए अधिकांश बच्चे हिन्दी पढ़े बिना ही अपनी शिक्षा समाप्त कर देते हैं। वे हिन्दी में लिखी अपनी धर्म-पुस्तकें नहीं पढ़ सकते! फिर जिला स्तर तक सारी कार्यवाही गुरुमुखी में कर दी गई है। ऐसी दशा में साधारण मनुष्य हिन्दी किस लिए पढ़ेगा? राष्ट्रभाषा के रास्ते में इस प्रकार की रुकावटें डाल कर भी कहा जा रहा है कि इसकी गति अबाध है।

अंग्रेजों ने जब पहले-पहल सिखों को हरा कर पञ्जाब पर अधिकार किया तो सिखों को जनता की दृष्टि में गिराने के लिए ट्रम्प नामक एक विद्वान् से सिखों के धर्म-ग्रन्थ का अनुवाद कराया। उसमें ट्रम्प महाशय ने सिख गुरुओं की अपनी 'साखियों' से ही उन गुरुओं के चरित्र को बड़ा गिरा हुआ और उनके धर्म को बे-सिर पैर का सिद्ध किया है। इसके बाद जब सन् १९०९ में अंग्रेजों को हिन्दुओं को कमजोर करने के लिए सिखों को उनसे अलग करने की आवश्यकता अनुभव हुई तो उन्होंने मकालिफ नाम के एक दूसरे विद्वान् से उसी 'ग्रन्थ' का अनुवाद कराया, उसमें मकालिफ ने एड़ी-चोटी का जोर लगा कर सिखों को हिन्दुओं से एक बिलकुल अलग धर्म वाला सिद्ध करने का यत्न किया है। उसने लिखा है कि हिन्दू धर्म रूपी अजगर ने अपेक्षाकृत शिशु सिख धर्म को अपनी लपेट में ले लिया है। यदि अंग्रेजी सरकार सिख धर्म की रक्षा नहीं करेगी तो यह अजगर इसे निगल जायगा। (देखो मकालिफ कृत "सिख रिलीजन", भूमिका, पृष्ठ २५)। तब अंग्रेजों ने सिखों को नौकरियों में कई सुभीते दिये, जिससे बहुत से लोग सिख बन गये। इस लोकराज्य में क्योंकि किसी सम्प्रदाय को विशेषाधिकार नहीं मिल सकते, इसलिये सिख पंजाबी भाषा, सिख सूबा, सीमावर्ती प्रान्त इत्यादि नाना प्रकार के बहानों से उन्हीं विशेष सुविधाओं को अपने लिये सुरक्षित करना चाहते हैं।

४—सीमावर्ती राज्य में शान्ति रखने का यह कोई अच्छा उपाय नहीं कि न्यायालय और सत्यासत्य का विचार छोड़ कर जनता की भावनाओं को बलपूर्वक कुचल डाला जाय। न्याय और सत्य की प्रतिष्ठा से ही सच्ची और स्थायी शान्ति हो सकती है।

स्मरण रहे कि न कोई जाति कायर है और न ही कोई जाति वीर। परिस्थिति ही उसको ऐसा बना देती है। यदि भारत सरकार को सिखों का डर है तो वह डरती फिरे। हिन्दू सिखों से भयभीत नहीं।

आर्य समाज के इस आन्दोलन को चलाने वाले कोई अपढ़ किसान या मजदूर नहीं। इसके संचालक विद्या-बुद्धि, देश-प्रेम और सत्य-निष्ठा में भारत सरकार के बड़े से बड़े अधिकारी से कम नहीं। सीमा पुनर्गठन आयोग के निष्पक्ष और उच्च कोटि के विद्वान आयुक्तों का प्रतिवेदन भी आर्य समाज की मांगों का समर्थन करता था। परन्तु सरकार ने उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया इसी से वह उलझन में फंस गई है।

पंजाब का हिन्दी आन्दोलन

(लेखक :—श्री ओमप्रकाश पुरुषार्थी)

भारतीय विधान

धारा ३५० A—It shall be the endeavours of every state and every local authority within the state to provide adequate facilities for instruction in the mother tongue at the primary stage of education to children belonging to the minority group. (Constitution of India Page 188)

अर्थात् भारत के प्रत्येक प्रान्त व लोकल बाडीज (म्युनिसिपल कमेटी तथा जिला बोर्ड) का यह प्रयत्न होगा कि वह अल्प संख्यकों के बच्चों को प्राइमरी शिक्षा उनकी मातृभाषा में ही दिलाने की सन्तोषजनक सुविधा प्रदान करें।

पंजाब की भाषा

जिस प्रकार बंगाल की भाषा बंगाली, गुजरात की गुजराती व महाराष्ट्र की मराठी है उस प्रकार पंजाब की भाषा पंजाबी नहीं है। पंजाब की जन संख्या १ करोड़ ६२ लाख के लगभग है। जिसमें ९७ लाख हरियाना प्रान्त तथा कांगड़ा जिला के ऐसे निवासी हैं कि जो न पंजाबी बोलते हैं और न समझते ही हैं। उनकी मातृ-भाषा हिन्दी है। शेष में केवल ३९ लाख सिक्ख ही ऐसे हैं जो अपनी मातृ-भाषा पंजाबी और लिपि गुरुमुखी कहते हैं। बाकी २६ लाख जालन्धर क्षेत्र के आर्य (हिन्दू) पंजाबी बोलते अवश्य हैं; परन्तु लिखने पढ़ने तथा नित्य के व्यवहार में उन्होंने पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में कभी प्रयोग नहीं किया। उनकी मातृ-भाषा सदैव से हिन्दी ही रही है।

पञ्जाब की कुल जन संख्या के ७० प्रतिशत निवासी आर्य (हिन्दुओं) की मातृ-भाषा हिन्दी है इसके प्रबल प्रमाण निम्न हैं :—

१—गत पाँच वर्षों में पञ्जाब विश्वविद्यालय की ओरियन्टल फैकल्टीज परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों में से ६२.२ प्रतिशत विद्यार्थियों ने देवनागरी लिपि तथा ३७.८ प्रतिशत ने गुरुमुखी लिपि में परीक्षा पत्र दिये।

२—गत चार वर्ष की मैट्रिक परीक्षाओं में भूगोल तथा इतिहास के परीक्षा-पत्रों के उत्तर किसी भी भाषा में देने की छूट होने के कारण ७३.५ प्रतिशत परीक्षार्थियों ने हिन्दी में और २६.५ प्रतिशत परीक्षार्थियों ने पञ्जाबी में प्रश्न-पत्रों के उत्तर दिये। (S. R. C. Report)

३—सन् ५१ की जनगणना में पञ्जाब की कुल जन संख्या के ८० प्रतिशत लोगों (हिन्दुओं) ने अपनी मातृ-भाषा हिन्दी लिखाई थी।

४—स्वतन्त्रता की प्राप्ति के पश्चात् पञ्जाब के समस्त स्कूलों में आर्य (हिन्दुओं) के बच्चों ने शत प्रतिशत हिन्दी को ही अपनाया। केवल सिक्खों के बच्चों ने गुरुमुखी को पढ़ा।

मास्टर तारासिंह व अकाली सिक्खोंकी मांग

अंग्रेजों काल से ही मास्टर तारासिंह के नेतृत्व में अकाली सिक्ख, पाकिस्तान की भांति एक स्वतन्त्र सिक्खिस्तान की मांग करते आ रहे हैं। अंग्रेजों ने इनकी मांग को अनुचित समझ कर अस्वीकृत कर दिया था। स्वतन्त्रता की प्राप्ति के पश्चात् जब इन्होंने पुनः अपनी आवाज उठाई तो भारत के लोह पुरुष प्रातः स्मरणीय सरदार बल्लभ भाई पटेल ने उसे अराष्ट्रीय मांग समझ कर तुरन्त दबा दिया था।

भाषा की आड़ में वही मांग

जब भाषा के आधार पर देश की प्रान्तीय सीमाओं का पुनर्गठन करने के निमित्त सरकार ने एक सीमा कमीशन की नियुक्ति की तो मास्टर जी व अकालियों ने फिर अपना सिर उठाया और

उन्होंने अपनी असली सिक्खिस्तान की मांग को पञ्जाबी भाषा का जामा पहिना कर सीमा कमीशन के सम्मुख उपस्थित किया।

सीमा कमीशन का मत

सीमा कमीशन ने अकालियों की मांग को समूचे देश, पञ्जाब तथा पंजाब के हिन्दू सिक्ख निवासियों के लिये अहितकर समझकर ही रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। पंजाबी भाषायी सूबे अथवा पंजाब प्रान्त का भाषा के आधार पर बटवारे के सम्बन्ध में कमीशन का निम्न मत था :—

"There is no denying the fact that the demand that Punjabi written in Gurumukhi script alone should be recognised as the Punjabi language is of relatively recent origin"

"The proposed state will solve neither the language problem nor the communal problem : and far from removing internal tension, which exists between communal and not linguistic and regional groups, it might further exacerbate the existing feelings."

"A single language group would inevitably encourage exclusivism. It may even blur, if not obliterate, the feeling of national unity."

"Experience everywhere has shown that States based on languages are intolerant, agressive and expansionist in character. They persue policies of their own without regard to the interests of the nation as a whole."

"The case for a Punjabi speaking State falls" was the Commission's final verdict.

अर्थात् सीमा कमीशन ने केवल भाषा के आधार पर किसी प्रान्त के बटवारे को देश की एकता, उन्नति व सुरक्षा के लिए घातक समझा और इसी आधार पर उसने पंजाबी सूबे की माँग को अस्वीकृत कर दिया।

सरकार ने कमीशन के निश्चय को ठुकरा दिया

कमीशन के निश्चय को जान कर श्री मास्टर तारासिंह जी व अकालियों ने पंजाबी सूबे के लिये आन्दोलन प्रारम्भ किया। सरकार ने उस आन्दोलन को अनुचित व अराष्ट्रीय समझ कर दबाना चाहा, परन्तु अपनी पुरानी घुटना टेक दब्बू नीति के कारण सरकार अकाली सिक्खों की हुल्लड़बाज़ी के सन्मुख झुक गई, और अपने ही द्वारा नियुक्त सीमा कमीशन की रिपोर्ट की उपेक्षा करके उसने पंजाब प्रान्त को भाषा के आधार पर दो भागों में अर्थात् पंजाबी व हिन्दी क्षेत्रों में विभक्तकर दिया और सिक्खों को प्रसन्न करने के लिए जालन्धर पंजाबी क्षेत्र में से कांगड़ा जिले को निकाल कर हरियाना हिन्दी क्षेत्र में मिला दिया ताकि जालन्धर क्षेत्र में सिक्ख बहुसंख्या अर्थात् ५५ प्रतिशत हो जायँ और वास्तव में बहुसंख्यक हिन्दू ४५ प्रतिशत के रूप में अल्पसंख्यक बन जायँ। अकालियों के पंजाबी सूबे की माँग को स्वीकार करते हुए निम्न तीन फार्मूला सरकार ने आर्य (हिन्दुओं) की सम्मति लिए बिना ही बना दिये।

(१) पेप्सू फार्मूला। (२) सच्चर फार्मूला। (३) क्षेत्रीय फार्मूला।

(१) पेप्सू फार्मूले के अनुसार सरकार ने जालन्धर क्षेत्र के कुछ भाग में पंजाबी गुरुमुखी लिपि में मैट्रिक तक हिन्दू-सिक्ख सभी बच्चों को अनिवार्य रूपसे पढ़ने के लिये बाध्य कर दिया है।

(२) सच्चर फार्मूले के अनुसार समस्त विद्यार्थियों को पंजाबी क्षेत्र में पंजाबी गुरुमुखी लिपि में और हिन्दी क्षेत्र में पढ़ना अनिवार्य किया, परन्तु इतनी छूट दी कि यदि किसी स्कूल में ४० विद्यार्थी अथवा किसी कक्षा में १० विद्यार्थी प्रार्थना-पत्र अपनी मातृ-भाषा पढ़ने के लिये दें तो उनके पढ़ाने का प्रबन्ध किया जा सकता है। परन्तु यह छूट कागज तक ही सीमित रही। वास्तव में जालन्धर क्षेत्र में सर्वत्र गुरुमुखी को ही पढ़ाया जा रहा है। आर्य समाज के स्कूलों में जहाँ पहिले हिन्दी पढ़ाई जाती थी वहाँ भी सरकार ने हिन्दी को हटाकर पंजाबी कर देने का आदेश दिया अन्यथा सरकारी सहायता बन्द कर देने की धमकी दी है।

(३) क्षेत्रीय फार्मूले के अनुसार जिलास्तर तक सरकारी भाषा जालन्धर क्षेत्र में पंजाबी और हरियाना क्षेत्र में हिन्दी करदी गई। परिणाम स्वरूप नौकरी की इच्छा रखने वाले विद्यार्थियों को विवश होकर क्षेत्रीय भाषा पढ़नी ही होगी और अपनी मातृ-भाषा की उपेक्षा करनी पड़ेगी।

फार्मूले अवैधानिक तथा अहितकर

तीनों ही फार्मूले भारतीय विधान की दृष्टि से अवैधानिक हैं जिनका स्वीकार करना किसी अनुशासन प्रेमी नागरिक के लिये असम्भव व अशोभनीय है। अवैधानिक होने के अतिरिक्त तीनों ही फार्मूले देश के लिये अहितकर हैं और पंजाब के हिन्दू-सिक्खों के लिये विनाशकारी हैं—कारण निम्न प्रकार हैं:—

१—फार्मूलों को पंजाब विधान सभा, लोक सभा तथा राष्ट्रपति में से किसी की भी स्वीकृति प्राप्त नहीं है।

२—भारतीय विधान की धारा ३५० A के प्रकाश में बच्चों की मातृ-भाषा पर प्रतिबन्ध व किसी भाषा की अनिवार्यता, सर्वथा अनुचित व अवैधानिक है।

३—भारतीय विधान के अनुसार देश में सर्वत्र अंग्रेजी का स्थान राष्ट्र-भाषा हिन्दी को लेना है; परन्तु क्षेत्रीय फार्मूले की धारा १० के अनुसार जिलास्तर तक की सरकारीभाषा क्षेत्रीय भाषा होगी अर्थात् जालन्धर क्षेत्र में पंजाबी होगी। इस प्रकार अंग्रेजी के स्थान पर जहाँ राष्ट्र-भाषा हिन्दी को स्वभावतः आना चाहिये वहाँ बलात् पंजाबी को लाया जा रहा है।

४—इन फार्मूलों के कारण हिन्दू-सिक्खों के बीच शत्रुता व द्वेष की खाई चौड़ी होती जायगी, और एक दिन ऐसा आयेगा कि सरकार को विवश होकर सिक्खिस्तान स्वीकार करना पड़ेगा और जालन्धर क्षेत्र के हिन्दू या तो अपने घरों को छोड़ कर अन्यत्र चले जायेंगे या वहाँ घसियारे बनकर रहेंगे या उन्हें सिक्ख बनना पड़ेगा।

आर्य समाज की मांगे

१—समस्त पंजाब राज्य में एक ही भाषा योजना लागू होनी चाहिये।

२—शिक्षा संस्थाओं में बच्चों की शिक्षा के माध्यम का चुनाव सर्वथा माता-पिताओं की इच्छा पर छोड़ देना चाहिये।

३—किसी भी विशेष स्तर पर दोनों भाषाओं में से किसी एक का द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाना अनिवार्य न होना चाहिये।

४—शासन के प्रत्येक स्तर पर अंग्रेजी भाषा का स्थान हिन्दी को दिया जाना चाहिये।

५—जिले के स्तर या उनके नीचे की सब सरकारी सूचनायें और निर्देश दोनों भाषाओं में होने चाहियें।

६—किसी भी भाषा में प्रार्थना-पत्र देने की आज्ञा होनी चाहिये। उनके उत्तर भी उसी भाषा में होने चाहियें।

७—जिला स्तर तथा उनके नीचे के सरकारी कागजात दोनों लिपियों में होने चाहिये।

वैधानिक उपाय

उपरोक्त फार्मूलों का पंजाबके आर्य (हिन्दुओं)

ने और मुख्यतः आर्य समाज ने लगभग दो वर्ष तक लगातार वैधानिक विरोध किया। ७० हजार हरियाना निवासियों ने हस्ताक्षर करके अपना विरोध पत्र सरकार के पास भेजा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्याधीश श्री मिहरचन्द जी महाजन की अध्यक्षता में पंजाब के सभी वर्ग के प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से इन फार्मूलों के विरुद्ध प्रस्ताव पास किया। प्रान्त में सर्वत्र इनके विरुद्ध सम्मेलन हुए; जुलूस निकाले गये तथा कांग्रेस व सरकार के लगभग सभी प्रमुख अधिकारियों के पास अपने प्रतिनिधि मण्डल भेजे गये, परन्तु वे सब बेकार सिद्ध हुए।

सत्याग्रह करना पड़ा

जब आर्यसमाज के नेतृत्व में पंजाब की आर्य (हिन्दू) जनता के समस्त वैधानिक उपाय निष्फल सिद्ध हो गये तो उन्हें सत्याग्रह का कड़वा घूँट पीना पड़ा और आर्य जगत् के प्रसिद्ध विद्वान्, त्यागी, तपस्वी एवं वीतराग संन्यासी पूज्यपाद श्री स्वा० आत्मानन्द जी को सर्वाधिकारी बना कर उनके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। परन्तु फिर भी ऐसा करने से पूर्व सरकार को समझौते का एक और अवसर प्रदान करने की दृष्टि से श्री पूज्यपाद स्वामी आत्मानन्द जी महाराज ने प्रारम्भ में सद्भावना मिशन ले जाने का निश्चय किया; और आर्य जगत् के प्रसिद्ध चार संन्यासियों को अपने साथ लेकर पंजाब के मुख्य मन्त्री श्री प्रतापसिंह कैरों के दरबार में उसी प्रकार गये जिस प्रकार पाँच हजार वर्ष पूर्व पाँच पाण्डव कौरवों के दरबार में अपना अधिकार मांगने गये थे। पाण्डवों के साथ जैसा राज्यशक्ति में मदमस्त दुर्योधन ने व्यवहार किया उससे भीनिम्नस्तरकाव्यवहारहमारे संन्यासियों केसाथ किया गया, तीन बार इसी प्रकार श्री स्वामी जी महाराज कैरों के दरबार में गये और अपमानित होकर वापिस लौट आये, अन्त में उन्होंने सत्याग्रह करने का आदेश दिया।

इस आदेश के पश्चात् श्री स्वामी जी महाराज ने आर्य जगत् की शिरोमणि सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा से सहयोग की प्रार्थना की। परिणाम स्वरूप जिस प्रकार कुरुक्षेत्र के मैदान में पाण्डवों को घनश्याम का सफल नेतृत्व प्राप्त हुआ था उसी प्रकार आर्य जगत् के प्रसिद्ध सेनानी व हैदराबाद सत्याग्रह के विजेता श्री घनश्यामसिंहजी गुप्त भूतपूर्व स्पीकर मध्य प्रदेश के नेतृत्व में एक "अखिल भारतीय भाषा स्वातन्त्र्य समिति" का निर्माण सार्वदेशिक सभा ने पंजाब में चल रहे हिन्दी आन्दोलन के संचालनार्थ किया।

हमें पूर्ण आशा एवं दृढ़ विश्वास है कि इस वर्तमान संघर्ष का भी वही परिणाम होगा कि जो पाँच हजार वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था।

राजनीति से कोसों दूर

कांग्रेस व कांग्रेस सरकार की यह आदत सी बन गई है कि वह अपने विरोधियों को साम्प्रदायिक बतलाकर या उनके आन्दोलनों को राजनैतिक स्टण्ट बतलाकर जनता की दृष्टि में उन्हें गिराने की चेष्टा किया करती है। यही हथियार उसने आर्य समाज के हिन्दी आन्दोलन पर चलाया है। परन्तु कौन नहीं जानता कि आर्य समाज शुद्ध सांस्कृतिक संस्था है। शक्ति एवं व्यवस्था की दृष्टि से इसमें इतना सामर्थ्य है कि जब चाहे तब खुले रूप से राजनैतिक क्षेत्र में उतर सकता है और सर्वत्र सफलता प्राप्त कर सकता है। यदि यह आन्दोलन राजनैतिक होता तो आर्य समाज इसे चुनावों के समय चला सकता था। यदि ऐसा हो जाता तो निश्चित रूप से पंजाब में कांग्रेस की हार हो जाती और आज वहाँ किसी अन्य पार्टी की सरकार होती।

चूँकि भारतीय जन संघ; हिन्दू महासभा तथा रामराज्य परिषद् का इस आन्दोलन को सहयोग

पंजाब की भाषा समस्या और आर्य समाज

(लेखक—रघुनाथ, केन्द्रीय हिन्दी रक्षा समिति, आर्य समाज माटुंगा बम्बई १९)

यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि पंजाब में पंजाबी की स्थिति प्रान्तीय भाषा के तौर पर वैसी ही नहीं जैसी बंगाली की बंगाल में, मराठी की महाराष्ट्र में और गुजराती की गुजरात में। जब कि बंगाली, मराठी आदि प्रान्तीय भाषाओं का उपयोग बहुत लंबे अर्से से, उनकी निश्चित लिपि में, बंगाल, महाराष्ट्र आदि प्रान्तों में, बिना किसी भेदभाव के, सभी लोग बोलचाल की तथा साहित्यिक भाषा के तौर पर करते हैं किन्तु पंजाब में पंजाबी को जनता केवल बोलचाल के तौर पर उपयोग में लाती है, दूसरे सभी कार्य जैसे लिखने पढ़ने, तथा निजी और व्यापारिक पत्र व्यवहार में, कभी भी ७० प्रतिशत हिन्दुओं ने गुरुमुखी लिपि को नहीं अपनाया।

यहां तक कि तथा कथित पंजाबी प्रदेश में जो कि केवल सांप्रदायिक अकालियों की राजनैतिक भूख शांत करने के लिये बनाया जा रहा है, केवल गुरुमुखी लिपि को कभी भी सर्वसाधारण ने प्रयोग में नहीं लिया, किन्तु वह सिक्खों तक ही सीमित रही। पंजाब विश्वविद्यालय का पिछले दस वर्षों का रिकार्ड इस बात को सिद्ध करने के लिये पर्याप्त है। शिक्षण क्षेत्रमें हिन्दी का प्रयोग करनेवालों की

प्राप्त है, इसलिये इस पर यह लांछन लगाया जाता है; परन्तु आक्षेप कर्ताओं को विदित होना चाहिये कि इन संस्थाओं से संस्थाओं के रूप में सहयोग लेना आर्य समाज ने स्वीकार नहीं किया अपितु इनके सदस्य व्यक्तिगत रूप से इस आन्दोलन में भाग ले रहे हैं। हिन्दी से प्रेम रखने वाले सभी व्यक्तियों का सहयोग इस आन्दोलन को प्राप्त है। अनेकों कांग्रेसी भी इस आन्दोलन में भाग ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त आर्यसमाज के सदस्य लगभग सभी राजनैतिक पार्टियों के सदस्य हैं। यदि वह इस आन्दोलन में भाग लेते हैं तो एक आर्यसमाजी के रूप में ही भाग लेते हैं न कि राजनैतिक पार्टी के सदस्य के रूप में। इसी प्रकार अन्य मतावलम्बी व्यक्ति सनातनी (पौराणिक), जैनी आदि के रूप में ही भाग ले रहे हैं।

हमारा कर्तव्य

पापी की अपेक्षा पाप को सहन करने वाला अधिक पापी होता है, क्योंकि वही समस्त पापों की जड़ होता है। अतः पाप व अन्याय का विरोध करना ही मनुष्य के लिये परम धर्म है। जब से आर्य हिन्दू जाति ने अपने इस धर्म को छोड़ा है तभी से यह पददलित, अपमानित तथा उपेक्षित होती चली आ रही है। आज इसकी स्थिति इतनी दयनीय बन गई है कि नित्य कहीं न कहीं और किसी न किसी रूप में इसके धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक व आर्थिक अधिकारों का हनन होता रहता है, इसके महापुरुषों पर कीचड़ उछाली जाती है, इसके निर्धनव अपढ़ लोगों का बलात् धर्म परिवर्तन कर लिया जाता है। अतः यदि इस दयनीय स्थिति से ऊंचा उठ कर आर्य (हिन्दू) जाति को स्वाभिमान के साथ संसार में या अपने घर में रहना है तो इसे अपने अधिकारों के साथ किये जा रहे अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना ही होगा। यदि आर्य जाति ने ऐसा कर दिखलाया तो भारत के सभी वर्ग इसके मित्र बन जायेंगे और यहां तक एक सच्ची राष्ट्रीयता का उदय हो जायगा। अन्यथा यहां की राष्ट्रीयता की लाश पर यहां अनेकों नये पाकिस्तानों का निर्माण हो जायगा, और आर्य जाति घसियारे के रूप में रह जायगी।

इसलिये वैदिक धर्म तथा संस्कृति से प्रेम रखने वाले प्रत्येक आर्य (हिन्दू) नर-नारी का यह कर्तव्य है कि वह तन, मन, धन से इस आन्दोलन को सफल बनाने का पूर्ण प्रयास करे अन्यथा यह इस आन्दोलन की असफलता आर्य (हिन्दू) जाति के लिए पानीपत के चौथे युद्ध के समान घातक एवं विनाशकारी सिद्ध होगी।

संख्या गुरुमुखी से बहुत अधिक है। पिछले पांच वर्षों में हिन्दी विषय से मैट्रिक (S S. C.) परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या ६२ प्रतिशत से कम नहीं जब कि पंजाबी से ३८ प्रतिशत ही है, तथा ७३ प्रतिशत छात्रों ने इतिहास और भूगोल के प्रश्नों के उत्तर हिन्दी में ही लिखे।

परिस्थिति अनुसार भले ही गुरुमुखी लिपि में लिखने के इच्छुकों को सहूलियतें दे दी जातीं और हिन्दी की स्थिति उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान की भांति राज्य की सर्वमान्य भाषा कर दी जाती। परन्तु आज की व्यवस्था में हिन्दी और देवनागरी को पंजाबी और गुरुमुखी की समानता के स्थान पर भी न रखकर हिन्दी को पंजाबी के मुकाबले पर शिक्षण और शासनिक क्षेत्र में पिछड़ी दशा में रखकर, गुरुमुखी को अनुचित बढ़ावा दिया गया है।

बम्बई में जहां कि मराठी और गुजराती दोनों मान्य प्रान्तीय भाषायें हैं सरकार मान्य और सहायता प्राप्त बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल भी हैं जिनका माध्यम हिन्दी, अंग्रेजी, कन्नड़ आदि है और वे मराठी या गुजराती को वैकल्पिक विषय के तौर पर ही पढ़ाते हैं। जहां माता-पिता अपने इच्छित माध्यम से अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं वहां पर यहां तक कि मैट्रिक (S. S. C.) परीक्षा में बैठने वाले छात्र मराठी और गुजराती तक को भी छोड़कर अन्य १४ मान्य प्रान्तीय भाषाओं में से किसी एक को वैकल्पिक भाषा ले सकते हैं।

इसी प्रकार की व्यवस्था पंजाब के द्विभाषिक राज्य में भी की जा सकती है, परन्तु यह सर्वविदित ही है कि केवल अकालियों तथा सत्तारूढ़ पार्टी के स्वार्थों की पूर्ति के लिये ही इस समस्या को उलझा दिया गया है।

वास्तवमें अकालियों को न तो पंजाब और न पंजाबी की कोई चिन्ता है किन्तु उन्हें तो सिक्ख राज्य चाहिये चाहे वह भाषा के नाम पर हो अथवा किसी और तरीके से। जिसके प्रमाण में अकाली नेता मास्टर तारासिंह के विभिन्न अवसरों पर दिये गये वक्तव्य और भाषण मौजूद हैं। यदि वे पंजाब के सच्चे हितैषी होते तो राज्य तथा देश की एकता के लिये देश विभाजन से बचे हुये पंजाब को और अधिक दो भागों में बांटने की बात न करते। साथ ही यदि वे पंजाबी के सच्चे प्रेमी होते तो उन्होंने कभी भी पंजाबी के लिये एकमात्र गुरुमुखी लिपिका हठ न किया होता, क्योंकि गुरुमुखी प्रारम्भ से कभी भी पंजाबी की एकमात्र अनिवार्य लिपि नहीं रही तथा पंजाबी का सर्वोत्तम साहित्य गुरुमुखी की उपेक्षा कर फारसी लिपि में ही लिखा गया है। इस निराधार पंजाबी-गुरुमुखी के हठ ने बड़ी संख्या में जनता को पंजाबी से विलग कर दिया है।

वस्तुतः अकालियों ने अपनी सिक्ख राज्य अथवा सिक्ख बहुसंख्यक प्रदेश की पूर्ति के लिये ही भाषा की ओट ली है और उनकी यह मांग इस रूप में स्वीकार करने से जनता के मन पर विशेषतः भाषा के प्रश्न से जबर्दस्त आघात हुआ क्योंकि अल्पसंख्यकों की मांग स्वीकार कर बहुसंख्यकों की पूर्णतः उपेक्षा की गई। हिन्दी पंजाब की बहुसंख्यक जनता की राष्ट्रभाषा ही नहीं किन्तु सांस्कृतिक और मातृभाषा भी है। यही कारण है कि जनता हिन्दी पर लगी पाबन्दियों के विरोध में तथा उसे उचित स्थान दिलाने के लिये आर्यसमाज के नेतृत्व में हिन्दी रक्षा आन्दोलन लेकर प्रबल रूप से खड़ी हो गई है।

इस विषय में आर्य समाज का मत यह है कि पंजाब को द्वि भाषिक राज्य मानकर हिन्दी और पंजाबी दोनों को राज्य की मान्य भाषाओं का बराबर स्थान दिया जाय तथा शिक्षण व शासनिक मामलों में किसी भी स्तर पर, कोई प्रतिबन्ध या अनिवार्यता न लादी जाय।

यह आन्दोलन किसी भी प्रकार से सिक्ख और पंजाबी के विरोध में नहीं है किन्तु यह विशुद्ध "जीओ और जीने दो" के सिद्धान्त पर आधारित है।

*

Memorandum to Punjab Governor

Sir,

We have come to meet you to-day on our request. It is because of this that we have written down the points which we want to discuss with you to avoid any misunderstanding.

1. You are perhaps aware of the fact that Punjab Hindi Raksha Samiti is asking for study and use of their mother-tongue in Punjab. You are also aware of the fact that these reasonable demands were rejected by the Punjab Government and we had to resort to Satyagraha against our own will, but we feel sorry to say that our non-violent and peaceful mission was totally misunderstood by the Government and very nefarious type of propaganda as well as violent action was started by the Punjab government against our good will mission., as well as the yatrias. It was most unfortunate that a Government wedded to non-violence should drag the Satyagrahis on the roads in June Sun; beat them; harass them; keep them without food & water for hours; leave them in jungles at dead of night; desecrate the Om Flag and congregations. The most insulting however, was the beating of ladies; dragging them by hair; beat the Press Photographers harassing the press correspondents and instigating the Congressmen and Akalis to provoke and oppose the modest demands. We may also add that one of the Punjab Government Ministers had been openly taking part in the conversion business and he has been openly giving threats to the Hindus. It is as a result of these threats and underground instigation that the whole atmosphere in the province is surcharged and tense.

2. The proof that Government is determiend to crush our modest demands and in the process the whole voice of the Hindi lovers of the Punjab is clear from the fact that they have banned the incoming of Partap; Vir Arjun from Delhi and the Government has gagged Vir Arjun, Partap and Hind Samachar of Jullundur. Perhaps the Punjab Government does not realise that by gagging these news papers which were fairly publishing the Hindi Raksha News, Punjab Government has simply created panic and it little realises that due to this rumour mongering has been encouraged in Punjab and in most of the towns and villages the

communal tension has been aggravated due to this rumour mongering in the absence of objective news which were being published by these three news-papers which were infact the only Vernacular papers free from the Governmental influence and patronage. We therefore wish that in the interest of the communal peace and harmony in the State the ban on these three newspapers should be immediately removed.

3. In comparison to the above act of gagging the three newspapers, which were publishing the objective news about Hindi Raksha Samiti movement we request you to just go through the pages of Akali Dailies like Prabhat, Ajit and Akali Patrika and you will find that highly inflammatory, communal, Anti-Hindu and provocative articles are being published. There have been open declarations by the Akali leaders, through press and platform to finish the Arya Samaj in particular and Hindus in general. We hope that you must have read the recent declaration of Master Tara Singh declaring open war against Hindus. Although unfortunate but it is a fact that Government is very partial in favour of Akalis and Akali Press. We therefore, request you to see that all citizens of the State are treated as equal in the eye of law. If the present policy of the Government is pursued further, we are afraid the already frustrated Hindus will further lose total confidence in the Government. To support our this allegation, we give below some points over and above that we have already mentioned above in the matter of Dailies—

(a) About 3,000 Akalis fully armed raided Ambala City on Sunday the 4th August, I957 and fortunately enough the crisis was averted but the Government has not cared to enlighten the public as to who were responsible for bringing the army of attackers and who fed them in Ambala City and where they housed for about 24 hours and why did they take out a procession fully armed and shouting ·most provocative slogans. We feel that that the full reply to these points should be published in the newspapers. Futher more, it should be made clear whether the persons responsible for housing them have been rounded up or not and if not why ?

(b) In comparison to above a number of peaceful citizens of Ambala city of only one community

have been arrested and put behind the bars although those very persons were resposible for keeping the Hindi masses in control and it was because of them that the serious clash was averted. If the mischief makers from Ambala City are not to be arrested we feel that Hindu leaders should also be released forthwith.

(c) The most striking example of partially is the case of Professor N. D. Grover, who belonge to absolutely no political party & is entiraly un-concerned with the happenings in the city but he has been put under detention, whereas the mischief makers of the other community are going about still creating communal tension.

(d) Exactly the same charges can be levelled by us in connection with the happenings at Samarta Mandi, Phagwara, Ambala Cantt and at Chandigarh.

(e) There has been a raid by the Akalis thousands in number and fully armed on a Sanatan Dharam Temple at Ambala Cantt. And police has arrested those persons who were just defending their position and have not cared to put behind the bars those persons who came from distant villages to desecrate the sacred temple.

(f) The Dayanand Math at Rohtak was desecrated by the Police and some persons were arrested while performing daily Havan Yajna. Even Rohtak police has been encouraging un-ruly elements to attack the Arya Samaj and the peaceful and non-violent Satyagrahis. The leaders of the Arya Samaj movement who had full ontrol over the situation at Rohtak have been put behind the bars for no fault and the leaders in the opposite camps who mean to create trouble are being encouraged.

(g) while Arya Samaj Chandigarh has been attached by the police and has been desecrated; ladies beaten and molested; men lathi-charged and harassed; a number of articles removed and workers are arrested and put behind bars from the alleged use of loudspeakers after 10 P. M. without giving any notice and warning,i t is really surprising that the Govern ment publicity Dapartment continues with its strong volume loudspeakers just near the vicinity even after 10 P. M. daily. Is it not a clear case of partiality ? We request you to stop this show of films within the heart distance of Arya Samaj, Chandigarh because this act of the Government is openly encouraging tension and we feel that the

situation may go out of our control if this show of publicity films, which is being resented by the residents themselves is not shifted at the earliest. We may add that the Government has no business to take action against others for the alleged violating of laws if its own department may continue to flout these.

(h) Hindu GovernmentOfficers and employees are being harassed transfered and dismissed on flimsy excuses like that of helping in hindi Movement. This is very objectionable and should stop forthwith.

4. Mahatama Anand Bhiksu one of the top-leaders of the Arya Samaj and a higly learned Banprasthi has gone on fast unto death as a protest against the action of the Police in desecrating the Arya Samaj Mandir and of beating and insulting the ladies. We have pursuaded him to discontinue the fast with the maximum pressure which we could exert but he has not agreed to our proposal although he has declared due to our pressure that he will discontinue the fast on the following conditions:—

(a) That all persons arrested from within the Arya Samaj Mandir or in connection with that incident should be immediately released forth with.

(b) That the police officers responsible for these objectionable acts should be duly punished and that the Punjab Chief Minister shoulddduly atone for the insult and desecration.

We however, feel that all the articles and cash recovered by the police should also be returned immediately.

5. We also bring to your notice the fact that the Hindi Raksha Satyagrahies in judicial lock ups and jails are not being treated properly. In this connection we bring to your notice the following facts —

(b) Our satyagrahis in jails are forced to sleep in the barracks during this hot weather whereas Akali prisoners, were given as special permission to sleep in the open.

(c) The satyagrahis are not being issued any utensils.

(d) The satyagrahis are being treated as the worst criminals and are-not being given even the same facilities as are allowed to 'C' class political prisoners. It may be pointed out that most of them belong to very rich and well to do families and belong to most respectable professions and almost all come from highly connected families. We may add that the Akali Satagrahies on the other hand were given full sorts

of facilities.

(e) The satyagrhis when shifted from one place to the other are hand cuffed whereas nowhere in the whole country.

(f) In this connection we would suggest that they should not be mixed up with the criminals in jails and that they must be given the human treatment.

6. We have learnt with great dismay about the third degree methods being used by the Police and jail authorities to demoralise some of the Government imposed Satyagrahis and through them our authorised Satyagrahis. This we may add is most un-becoming of a damocratic Government and we may add that it will not succeed in cowing us down.

Yours faithfully.

(1) Swami Atmanand

(2) Bhagwan Dass

8-8-57 (Principal)

माननीय पंजाब गवर्नर की सेवा में

आवेदन पत्र *

महोदय !

आज हम अपनी प्रार्थना पर ही आपसे भेंट करने के लिये आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं, जिन बातों पर हम आपके साथ विचार करना चाहते हैं उन्हें हमने नोट कर लिया है जिससे किसी प्रकार की भ्रान्ति की सम्भावना न रहे।

१—कदाचित आपको विदित होगा कि पंजाब की हिन्दी रक्षा समिति पंजाब में मातृभाषा की पढ़ाई और प्रयोग की मांग कर रही है। आपको यह भी ज्ञात होगा कि पंजाब सरकारने हमारी उचित मांगें अस्वीकार करदी थीं और हमें अनिच्छापूर्वक सत्याग्रह का आश्रय लेना पड़ा था। हमें इस बात का दुःख है कि पंजाब सरकार ने हमारे शान्त और अहिंसात्मक मिशन (सद्भावना यात्रा) का नितान्त ग़लत अर्थ लगाया और उसने हमारी सद्भावना यात्रा और यात्रियों के विरुद्ध घृणित प्रचार और बल प्रयोग किया। अहिंसा का आचरण करने वाली सरकार के लिये जून की धूप में सत्याग्रहियों को सड़कों पर घसीटना, पीटना, डराना धमकाना तंग करना, घन्टों तक भूखा प्यासा रखना, आधीरात में जंगलों में छोड़ देना, ओ३म् के झण्डे को फाड़ देना तथा वेदि को अपवित्र करना, बड़े कलंककी बात थी। स्त्रियों को पीटना, उनके बाल पकड़ कर खींचना, अखबारों के फोटो ग्राफरों को पीटना, पत्र प्रतिनिधियों को तंग करना हमारी विनम्र मांगों का विरोध करने तथा उनके विरुद्ध उत्तेजना फैलाने के लिये कांग्रेस जनों एवं अकालियों को भड़काना अत्यन्त दुःख और लज्जा की बात थी। हम यह भी कह देना चाहते हैं कि पंजाब सरकार के एक मन्त्री ने धर्म परिवर्तन के कार्य में प्रकाश रूप में भाग लिया और वह हिंदुओं को धमकाता फिरा। इन धमकियों और गुप्त उत्तेजनाओं का फल यह हुआ कि समस्त प्रान्त का वातावरण विषाक्त और उत्तेजनामय बन गया।

२—पंजाब-सरकार हमारी मांगों को ठुकराने और इस प्रकार पंजाब के हिन्दी प्रेमियों का मुंह बन्द करने पर तुली हुई है। पंजाब प्रान्त में

*यह आवेदन पत्र श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज ने चंडीगढ़ में पंजाब के राज्यपाल महोदय को ८—८—५७. को स्वयं दिया उनके साथ श्री प्रिंसिपल भगवानदास जी आदि चार महानुभाव थे।

देहली के 'वीर अर्जुन' और 'प्रताप' का प्रवेश निषिद्ध करना और पंजाब के 'वीर अर्जुन' 'प्रताप' और 'हिन्द समाचार' का गला घोंट देना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। शायद पंजाब सरकार इस बात को अनुभव नहीं करती कि इन समाचार पत्रों का गला घोंट कर जो हिन्दी रक्षा आन्दोलन के निष्पक्ष समाचार छापते थे, उस ने आतंक व्याप्त कर दिया है। उसे यह भी अनुभव नहीं हो रहा है कि इन पत्रों के बन्द हो जाने से पंजाब में अफवाहों को प्रोत्साहन मिल रहा है और इन अफवाहों और प्रामाणिक खबरों के न मिलने से जो सरकारी प्रभाव और संरक्षण से मुक्त ये समाचार पत्र प्रकाशित करते थे, पंजाब के अधिकांश नगरों और कस्बों में साम्प्रदायिकतनाव बढ़ गया है। अतः हम चाहते हैं कि राज्य में साम्प्रदायिक शान्ति और एकता की रक्षा के लिये इन तीनों समाचार पत्रों पर लगा हुआ प्रतिबन्ध तत्काल हटा लिया जाय।

३—हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप 'प्रभात' 'अजीत' और 'अकाली पत्रिकाओं के पृष्ठों का अध्ययन करके इन तीनों पत्रों में प्रकाशित होने वाली खबरों के साथ उनकी तुलना करें। ऐसा करने पर आप पर स्पष्ट होजायगा कि अकालियों के उपर्युक्त तीनों पत्रों में अत्यन्त उत्तेजनात्मक उकसाने वाले, एवं हिन्दू विरोधी आपत्तिजनक लेख छप रहे हैं। अकाली नेता प्रेस और प्लेटफार्म से खुले तौर पर साधारणतया हिन्दुओं को और मुख्यतया आर्यसमाज को समाप्त करने की घोषणा कर रहे हैं। हमें आशा है आपने मास्टर तारासिंह का अभी हाल में दिया हुआ वह वक्तव्य पढ़ा होगा जिसमें उन्होंने हिन्दुओं के विरुद्ध खुले युद्ध की घोषणा की है। यद्यपि यह दुर्भाग्य की बात है परन्तु है सचाई कि पञ्जाब सरकार अकालियों और अकाली प्रेस का अत्यधिक पक्ष लेती है। अतः हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस बात को देखें कि कानूनी आधार पर राज्य के समस्त नागरिकों के साथ समानता का व्यवहार हो। हमें भय है कि यदि सरकारी नीति इसी प्रकार आगे भी व्यवहृत होती रही तो पहले से ही दुःखी और और पीड़ित हिन्दुओं का राज्य सरकार पर से पूर्ण विश्वास उठ जायगा। अपने इस आरोप के समर्थन में हम दैनिक पत्रों के प्रसंग में उल्लिखित बातों के अतिरिक्त कुछ अन्य बातें नीचे उद्धृत करते हैं:—

(अ) लगभग ३००० अकालियों ने जो शस्त्रों से पूर्णतया सज्जित थे ४-८-५७ को अम्बाला नगर पर धावा बोला। सौभाग्य से संकट टल गया। परन्तु सरकार ने जनता को यह बताने की चिन्ता नहीं की कि आक्रमणकारियों की फौज को लाने के लिये कौन जिम्मेवार था, अम्बाला शहर में उनके खाने का प्रबन्ध किसने किया, वे २४ घंटे तक किसके मकान में ठहरे रहे और उन्होंने नंगी तलवारें दिखाते और अत्यन्त आपत्तिजनक नारे लगाते हुए जलूस क्यों निकाला? इन बातों का पूर्ण उत्तर समाचार पत्रों में प्रकाशित होना चाहिये। यह स्पष्ट किया जाना चाहिये कि इन लोगों को अपने घरों पर ठहराने वाले लोग गिरफ्तार हुए हैं या नहीं? यदि नहीं तो क्यों?

(ब) इसके विपरीत अम्बाला नगर के एक वर्ग के बहुत से शान्त नागरिक गिरफ्तार किये जाकर जेल में ठूंसे गये हैं यद्यपि उन्होंने ही हिन्दू जनता को काबू में रक्खा और उन्हीं के प्रयत्नों से भयंकर संघर्ष होने से बच गया था। उन हिन्दुओं को तत्काल मुक्त किया जाय और शरारती लोगों को गिरफ्तार किया जाय।

(स) प्रो० एन० डी० ग्रोवर का मामला पक्षपात का अत्यन्त ज्वलन्त उदाहरण है। प्रोफेसर महोदय का किसी राजनैतिक पार्टी के साथ जरा भी सम्बन्ध नहीं है और वे नगर की घटनाओं से अलग थलग रहते हैं फिर भी उन्हें नजरबन्द किया

गया है जबकि दूसरी जाति के शरारती लोग अब भी साम्प्रदायिक तनाव फैलाते फिरते हैं।

(द) समाणा मण्डी, फगवाड़ा, अम्बाला कैंट और चण्डीगढ़ की घटनाओं के सम्बन्ध में भी ठीक यही आरोप लगाये जा सकते हैं।

(य) अम्बाला छावनी के सनातन धर्म के एक मन्दिर पर ३००० अकालियों ने आक्रमण किया जो हथियारों से पूर्णतया सज्जित थे। पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार किया जिन्होंने अपनी रक्षा की और उन लोगों को गिरफ्तार करने की ओर ध्यान नहीं दिया जो पवित्र मन्दिर को भ्रष्ट करने के लिये दूर २ के ग्रामों से चल कर आये थे।

(र) रोहतक में पुलिस ने दयानन्द मठ को भ्रष्ट किया, और दैनिक यज्ञ करते हुए कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। रोहतक में पुलिस शान्त और अहिंसात्मक सत्याग्रहियों तथा आर्य समाज मन्दिर पर आक्रमण करने के लिये उपद्रवियों को उकसाती रही है। आर्य समाज के जो नेता रोहतक में स्थिति को संभाले हुए थे वे बिना किसी अपराध के गिरफ्तार किये जाकर जेल में डाल दिये गये हैं। विरोधी दल के नेताओं को जो उपद्रव कराना चाहते हैं प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

(ल) चण्डीगढ़ के आर्य समाज मन्दिर पर पुलिस ने आक्रमण किया, उसे भ्रष्ट किया, स्त्रियों को सता कर पुरुषों को लाठियों से मार २ कर तंग तथा पीड़ित किया गया। वस्तुएं हटाई गईं और कार्यकर्त्ता गिरफ्तार किये गये इस तथाकथित आरोप पर कि रात्रि को १० बजे के पश्चात् लाउड स्पीकर का प्रयोग होता था। यह सब कुछ बिना चेतावनी या सूचना दिये हुआ। यह आश्चर्य की बात है कि पंजाब सरकार का प्रचार विभाग (पब्लिसिटी विभाग) आर्य समाज मन्दिर के निकट ही हर रात को १० बजे के बाद तक लाउड स्पीकर बजाता रहता है। क्या यह पक्षपात नहीं है? आर्यसमाज चंडीगढ़ के निकट फिल्म प्रदर्शन के इस कार्य को रोकने की विनीत प्रार्थना है क्योंकि इस सरकारी कार्यवाही से कटुता को खुला प्रोत्साहन मिलता है। यदि प्रचार के इन फिल्मों के प्रदर्शन की अन्यत्र व्यवस्था न हुई जिसका विरोध मुहल्ले वाले भी करते हैं तो स्थिति के अनियन्त्रित हो जाने का भय है। उस कानून के तथाकथित उल्लंघन के लिए दूसरों के विरुद्ध कार्यवाही करने का सरकार को अधिकार नहीं है जिसका वह स्वयं उल्लंघन करती है।

(व) हिन्दू अफसरों और कर्मचारियों को हिंदी आन्दोलन को सहायता देने जैसे नगण्य बहानों पर तंग किया जाता है, उनके तबादले किये जा रहे हैं या उन्हें बर्खास्त किया जा रहा है। यह बात बड़ी आपत्तिजनक है और तत्काल बन्द होनी चाहिए।

४—महात्मा आनन्द भिक्षु जी आर्य समाज के उच्च कोटि के नेता और विद्वान् वानप्रस्थी हैं। उन्होंने आर्यसमाज को भ्रष्ट करने और देवियों को अपमानित करने की पुलिस की नृशंसता के विरोध स्वरूप आमरण अनशन किया हुआ है। हमने इस अनशन को समाप्त करने की प्रेरणा करने के लिये अपना पूरा बल लगा लिया परन्तु उन्होंने हमारी बात नहीं मानी यद्यपि उन्होंने हमारी प्रार्थना पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति हो जाने पर अनशन समाप्त करना स्वीकार कर लिया है:

(अ) आर्य समाज मन्दिर के भीतर वा इस घटना के सिलसिले में गिरफ्तार हुए सब व्यक्ति तत्काल मुक्त कर दिये जायँ।

(ब) इन आपत्तिजनक कार्यवाहियों के लिए जिम्मेवार पुलिस अफसरों को उचित दण्ड दिया जाय और पंजाब के मुख्य मन्त्री देवियों के अपमान और मन्दिर की भ्रष्टता का प्रायश्चित करें। हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज

पंजाब सरकार से—

समझौता वार्ता क्यों भंग हुई ?

समिति के नेताओं का वक्तव्य

पंजाब हिन्दी समिति की वार्ता समिति की वार्ता समिति के ५ में से ४ सदस्यों ने एक संयुक्त वक्तव्य में कहा है कि भाषा की समस्या सुलझाने सम्बन्धी समझौता वार्ता सरकारी समिति के कुछ सदस्यों के अनुचित जिद्दी रवैये के कारण असफल हुई है।

समिति के पांचवें सदस्य श्री जगदेवसिद्धांती जेल में है।

समिति की मांगों के बारे में बातचीत पर प्रकाश डालते हुए वक्तव्य में कहा है कि सारे राज्य में समान भाषा-फार्मूला के बारे में समिति की प्रथम मांग को प्रतिनिधियों ने उचित और विवेक पूर्ण बताया परन्तु वेइसे व्यवहार में लाने की बात स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। समिति के प्रतिनिधि तो सरकारी धारणा को स्वीकार करने को तैयार थे। यदि सरकारी प्रतिनिधि सरकार से यह सिफारिश करते कि वह समूचे राज्य में यथा शीघ्र

मन्दिर से उठाई गई वस्तुएं तथा नकदी तुरन्त लौटा दी जाय।

५—(अ) हम आपके नोटिस में यह ला देना आवश्यक समझते हैं कि जेलों और हवालातों में रखे गये हमारे सत्याग्रहियों के साथ ठीक व्यवहार नहीं हो रहा है। इस सम्बन्ध में हम निम्नलिखित बातें आपके नोटिस में लाते हैं :—

(१) हमारे सत्याग्रही इस गर्म ऋतु में बैरकों के भीतर सोने के लिये बाध्य किये जाते हैं जबकि अकाली कैदियों को खुले में सोने की विशेष आज्ञा दे दी गई थी।

(२) सत्याग्रहियों को बर्तन नहीं दिये जा रहे हैं।

(३) सत्याग्रहियों के साथ आचार विहीनता अपराधियों जैसा दुर्व्यवहार किया जाता है। उन्हें वह सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं जो सी० श्रेणी के कैदियों को दी जाती है। इन सत्याग्रहियों में से बहुत से सत्याग्रही बड़े धनी घरों के हैं। अकाली सत्याग्रहियों को पूरी सुविधाएं दी गई थीं।

(४) जब सत्याग्रही एक स्थान से दूसरे स्थान को लेजाएजाते हैं तो उनके हाथोंमें हथकड़ियां लगाई जाती हैं जब कि ऐसा देश में कहीं नहीं होता।

इस सम्बन्ध में हमारा सुझाव यह है कि जेल में आचार विहीनता (अखलाकी) के कैदियों के साथ हमारे सत्याग्रहियों को न रखा जाय और उनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाय।

६—हमें यह जानकर बड़ा दुःख हुआ है कि पुलिस और जेल के अधिकारी सरकार द्वारा भेजे हुए कुछ सत्याग्रहियों और उनके द्वारा हमारे प्रामाणिक सत्याग्रहियों को बदनाम करने के बड़े कुत्सित ढंग अपना रहे हैं। यह प्रजातन्त्रीय शासन के लिये शोभनीय नहीं है और इससे हम भयभीत न होंगे।

हमने ये बातें आपके समक्ष इस आशय के साथ प्रस्तुत की हैं कि आप निष्पक्ष शासक के रूप में उस साम्प्रदायिक और अशोभनीय रीति नीति का तत्काल अन्त करायेंगे जो पंजाब सरकार और उसके अधिकारियों ने अपना रखी है।

१—आत्मानन्द सरस्वती २—आचार्य रामदेव
३—भगवानदास 'प्रिंसिपल' ४—ज्ञानचन्द

एक समान फार्मूला लागू करने का प्रयत्न करेंगे तो बात कुछ और ही होती।

परन्तु इस सुझाव को भी ठुकरा दिया गया।

मतभेद का दूसरा मामला दूसरी भाषा की पढ़ाई में अनिवार्यता के तत्व के सम्बन्ध में था। २१ अगस्त को सरकार ने हमारे सामने एक नया फार्मूला रखा। हमने फार्मूले का अध्ययन और विचार कर अपना मत आगामी बैठक में पेश करने का प्रस्ताव किया। हमने सरकार के विचारार्थ एक फार्मूला भी रखा परन्तु सरकारी प्रतिनिधियों ने उसे तत्काल रद्द ही नहीं कर दिया वरन उन्होंने हमें सरकारी फार्मूले पर विचार करने का समय भी नहीं दिया और अन्त में उसे भी वापिस ले लिया।

जहां तक हिन्दी को प्रशासन के सब स्तरों पर अङ्गरेजी का स्थान देने की मांग का प्रश्न है, समिति के प्रतिनिधि श्री नेहरू के स्पष्टीकरण को स्वीकार करने के लिए तैयार थे परन्तु ज्ञानी करतारसिंह का हठ था कि यह उन्हें स्वीकार नहीं और इस प्रकार इस मामले पर भी बात टूट गई।

नेताओं ने यह घोषणा भी की कि वार्ता टूटने से हिन्दी रक्षा आन्दोलन नये चरण में प्रविष्ट हो गया है।

उन्होंने पँजाब के हिंदी प्रेमियों से अपील की कि राज्य के शिक्षा तथा प्रशासन ढाँचे में हिंदी को न्यायोचित स्थान दिलाने के संघर्ष का पूर्ण समर्थन करें।

बात-चीत क्यों टूटी ?

कैरों मन्त्रिमण्डल ने पञ्जाब के राज्यपाल के शुभ प्रयास को मिट्टी में मिला दिया। हिन्दी रक्षा समिति और सरकार के बीच समझौते की बात क्यों टूटी ? इस पर समिति का तो एक वक्तव्य समाचार पत्रों में आया है परन्तु सरकार चुप है। समिति ने इसका दायित्व ज्ञानी करतारसिंह के हठ पर डाला है। प्रकटतया यह ठीक है परन्तु उसके लिए मैं ज्ञानी जी को कोई दोष देना नहीं चाहता। वह कांग्रेस में सम्मिलित हुए हैं तो अकाली दल को समाप्त करने के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस को अकाली दल का प्रतिरूप बनाने के लिए। अकालियों की स्थिति कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि उसे सुदृढ़ करने के लिये। उनकी सुदृढ़ता हिन्दू मन्त्रियों के लिये अनुकरणीय है। दुःख है तो यह कि हिन्दू मन्त्री ढिलमिल सिद्ध हुए हैं। उनका अपना कोई सिद्धान्त नहीं। इसलिए किसी बात पर अड़ते नहीं। उनके लिये मन्त्रिपद सब कुछ है। उनकी आत्मा पर कोई छापा मारे उन्हें परवाह नहीं। पं० अमरनाथ जी विद्यालंकार को छोड़कर जो मन्त्री बनने से पहले भी सच्चर फार्मूले के प्रबल पक्षपाती थे और जो किसी प्रकार कैरों के मन्त्रिमण्डल के किसी एहसान के अधीन नहीं, शेष सब मन्त्री कैरों की पैदावार हैं। वे उसकी सिफारिश पर मन्त्रिमण्डल में आये हैं। अपनी योग्यता या जनसेवा के आधार पर नहीं। इसलिये उन्हें मन्त्रिमण्डल में रहना है तो कैरों की प्रत्येक बात माननी होगी। मन्त्रिपद उनके लिये इतनी बड़ी चीज है कि वे उसके लिये अपने राष्ट्र से द्रोह तक करने के लिये तैयार हैं। जरा उन लोगों के भाषण पढ़ें और देखें कि भाषा के आधार पर पंजाब के विभाजन के पक्ष में क्या कहते हैं। वे भी जानते हैं कि उनकी कोई सुनता नहीं परन्तु वे कृतज्ञता निभाये जा रहे हैं। इसलिए ज्ञानी करतारसिंह की सुदृढ़ता पर शोक न करना चाहिये बल्कि हिन्दू मन्त्रियों की कमजोरी पर शोक मनाना चाहिये।

दुःख की बात यह है कि भारत सरकार ने एक ऐसी स्थिति ले रखी है जिसे न्याय, नीति और कानून किसी भी दृष्टि से ठीक सिद्ध नहीं किया

जा सकता। सच्चर फार्मूला बनाया गया तो इस इस सर्वमान्य सिद्धान्त को तिलाञ्जलि देकर कि बहुसंख्या पर किसी अवस्था में अल्पसंख्या की भाषा न ठूंसी जाये। पंजाब की ७० प्रतिशत जन-संख्या पर ३० प्रतिशत की भाषा ठोंस दी गई है। इस फार्मूले को न पंजाब विधान सभा की स्वीकृति प्राप्त है न लोक सभा की। इस फार्मूले पर चार हस्ताक्षर है और वह ९ वर्षों से इस लिये कानून का रूप धारण कर चुका है कि सरकार के हाथ में कानून का डन्डा है जिससे वह हर किसी की आवाज दबा सकती है। रीजनल फार्मूले में सच्चर फार्मूला मिला दिया गया है और यह बढ़ाया गया है कि पेप्सू को पंजाब से मिला कर एक पञ्जाबी क्षेत्र खड़ा कर दि गया है और उससे हिन्दू बहुसंख्या को अल्पसंख्या बना दिया गया है। यह सब कुछ अकालियों को प्रसन्न करने के लिये किया गया है। उन्हें प्रसन्न करने के लिये ही हिमाचल को पञ्जाब से अलग रखा गया है। उन्हें प्रसन्न करने के लिये ही भारत सरकार ने सभी निष्पक्ष और समझदार लोगों की दृष्टि में अपने को उपहास का पात्र बनाया है। इस प्रकार पंजाब में भाषा के दो फार्मूले होंगे। एक क्षेत्र में माता-पिता को यह निर्णय करने का अधिकार होगा कि उनका बच्चा किस भाषा में शिक्षा प्राप्त करे परन्तु दूसरे में नहीं।

भारत सरकार जो कुछ पंजाब में कर रही है यह उसकी शिक्षा नीति के नितान्त विरुद्ध है। भारत सरकार के शिक्षा विभाग के राज्य मन्त्री डाक्टर श्रीमाली ने लोकसभा में सरकार की यह शिक्षा नीति बताई है कि तीन भाषाएं अनिवार्य रूप से पढ़ाई जायें :—

(१) मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। अथवा मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा का मिला जुला पाठ्यक्रम या मातृभाषा और कोई प्राचीन भाषा। (२) अंग्रेजी अथवा कोई अन्य योरुपीय भाषा, (३) अहिन्दी और हिन्दी भाषी क्षेत्रों के लिये कोई आधुनिक भारतीय भाषा। यह है भारत सरकार की नीति जो उन्होंने विभिन्न प्रान्तीय सरकारों को लिख कर भेजी है और जिसे पांच प्रान्तीय सरकारों ने स्वीकार कर लिया है। अब बताइये कि पञ्जाब का सच्चर फार्मूला इस शिक्षा नीति से कैसे मेल खाता है। किस सिद्धान्त पर पंजाबी हिन्दी भाषा-भाषी लोगों पर ठोंसी जा सकती है। जालन्धर डिवीजन के हिन्दुओं पर पंजाबी ठोंसने का तो फिर भी कोई कारण हो सकता है परन्तु हिन्दी भाषा भाषी हरियाना पर क्या है? उस पर भी सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है कि हरियाना प्रान्त वालों को पंजाबी पढ़नी होगी। जब शिक्षा सम्बन्धी विषय भी राजनीतिक स्वार्थों से तय होने लगें तो परिणाम विक्षोभ, प्रतिरोध और कटुता के और क्या हो सकता है? सरकार को शिकायत है कि पञ्जाब की परिस्थितियाँ बिगड़ रही हैं। इसके प्रत्युत्तर में उसे कहा जा सकता है कि पंजाब में इस समय जो साम्प्रदायिक तनाव पाया जाता है उसके लिये भारत सरकार उत्तरदायी है। जो कुछ उसने बोया है वह उसे काटना होगा, अपनी भूल का दण्ड उसे भुगतना होगा। पंजाब की स्थिति अब भी सुधर सकती है यदि उसमें यह कहने का साहस हो कि पंजाब की भाषा का प्रश्न अखिल भारतीय स्तर पर सुलझाया जायगा। जब भारत सरकार के शिक्षा विभाग की निर्धारित नीति के अनुसार हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों को कोई और आधुनिक भारतीय भाषा पढ़ने का अधिकार दिया गया है तो हरियाना के लिये पंजाबी की पढ़ाई अनिवार्य क्यों रखी जाये?

—'कृष्ण'

Congress Working Committee Resolution regarding Billingual Area

Adopted on the 5th August, 1949.

"The question of language has been agitating the public mind and in the opinion of the working committee it is desirable to lay down certain principles which ma, be applied having regard to peculiar circumstances prevailing in particular areas.

The question has to be considered fiom two points of view, viz; educational and administrative. There is the further question of a State-Language for the country as a whole which will be the language also of intercourse between different areas, having separate languages.

There are at present provinees or states where more than one language is spoken. Many of these languages are rich and have valuable literatures of their own. They should not only be preserved but further developed and enriched and nothing should be done to act as a handicap to their growth.

In provinces and states where more than .one language prevails there are areas which indisputably belong to one language or another. Besides such areas there are areas on the fringe where one language gradually slips into another and for purposes of this resolution such areas may be termed billingual areas.

It is for a province or state to decide what its language is. In multilingual provinces undisputed areas belonging to the various languages as also the finge or "bilingual areas" should be demarcated and the language of each indicated by the province or state concerned

For administaative purposes the language of the province or the area concerned should be used. In fringe or bilingual areas if the miniority is of a considerable size, i. e. 20°/₀ of the population, documents which the public at large have to use, such Government notices, etc. Electoral rolls, ration cards etc., should be in both languages. For Court and administrative purposes, the language of the province or area will be used in all public offices. It will be open, however, to any person having another language to submit petition in his own language, which is officially recognised.

For all India purposes there will be a state language in which the business of the Union will be conducted. That will be the language of correspondence with the provincial and State Governments. All records of the Centre will be kept and maintained in that language. It will also serve as the language for interpro-

vincial and inter-State commerce and correspondence. During a period of transition which shall not exceed 15 years, English may be used at the Centre and for inter-provincial affairs, provided that the state language will be progressively utilized until it replaces English.

Educational Purposes.

At the primary stage a child shall get instruction in his mother tongue which will be according to the wishes of the guardian or parents of the child. It will ordinarily be the language of the area or the province. But in other places also and particularly in fringe areas and in large cities where people speaking different languages congregate, public primary schools giving instruction in the language of a minority will be opened or sections joined to other primary schools, if there is a reasonable number, say 15 pupils in a class demanding instruction in that language. But even in such schools and sections giving instruction will be introduced at the middle stage even for children speaking the minority language. Instruction at the secondary stage will ordinarily be given in the provincial language but where a sufficiently large number of pupil demand its schools may be run or sections attached to other schools in a minority language, provided that this will be determined having ragard to conditions prevailing, in the locality such as, whether there are any existing institutions, Government or private giving instruction through the minority language, whether the finances can afford such independent schools, etc. At the secondary stage study of the all India State language should be taken up as a second language. At the University Stage, the medium of instruction will be the provincial language.

For the purposes of this resolution Urdu shall be one of the languages concerned."

कांग्रेस वर्किङ्ग कमेटी का द्विभाषी क्षेत्रों विषयक निश्चय ५-८-१९४९

"जन साधारण का मन भाषा के प्रश्न से उद्वेलित है और वर्किङ्ग कमेटी की सम्मति में ऐसे कुछ सिद्धान्तों का निरूपण वांछनीय है जो विशेष क्षेत्रों की विशेष स्थितियों को दृष्टि में रख कर लागू किये जा सकें।

इस प्रश्न पर शैक्षणिक और प्रशासनिक इन दो दृष्टियों से विचार होना है। समस्त देश के लिये समष्टि रूप से राज्य भाषा का प्रश्न भी विचारणीय है जो पृथक् २ भाषाओं वाले भिन्न २ क्षेत्रों के मध्य पारस्परिक बातचीत की भी भाषा होगी।

इस समय ऐसे प्रान्त या राज्य हैं जहां एक से अधिक भाषा बोली जाती है। इनमें से बहुत सी भाषाएं समृद्ध हैं और उनका अपना साहित्य भी मूल्यवान है। न केवल उन साहित्यों का रक्षण ही होना चाहिए अपितु वे विकसित एवं समृद्ध

भी होने चाहिएं और उनके विकास में बाधा डालने वाली कोई बात न होनी चाहिए।

उन प्रान्तों या राज्यों में जहां एक से अधिक भाषा का व्यवहार होता है, ऐसे क्षेत्र विद्यमान हैं जो निर्विवाद रूप से एक वा दूसरी भाषा से सम्बद्ध हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों के अतिरिक्त सीमाओं पर ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां एक भाषा धीरे २ दूसरी भाषा में परिवर्तित हो जाती है और इस प्रस्ताव के उद्देश्य के लिए इस प्रकार के क्षेत्र द्विभाषी क्षेत्र कहलाए जा सकते हैं।

प्रान्त या राज्य को ही अपनी भाषा का निश्चय करना है। बहुभाषा भाषी प्रान्तों में विविध भाषाओं से सम्बद्ध निर्विवाद क्षेत्रों और द्विभाषी क्षेत्रों की सीमाओं वा पट्टियों का निर्धारण हो जाना चाहिये, साथ ही सम्बद्ध प्रान्त या राज्य की प्रत्येक भाषा का भी।

प्रशासनिक कार्यों में प्रान्त या सम्बद्ध क्षेत्र की भाषा प्रयुक्त होनी चाहिये। सीमाओं वा द्विभाषी क्षेत्रों में यदि अल्प मत बड़ा है अर्थात् कुल आबादी का २० प्रतिशत है तो वे कागजात जिनको जनता अधिकांश रूप में प्रयुक्त करती है यथा गवर्नमेन्ट नोटिस इत्यादि, मतदाताओं की सूचियां, राशन कार्डस आदि दोनों भाषाओं में होने चाहियें।

अदालतों और प्रशासकीय कार्यों में प्रान्त या क्षेत्र की भाषा का व्यवहार होगा। फिर भी क्षेत्रीय भाषा से भिन्न भाषा भाषी जन सरकारी रूप में स्वीकृत अपनी भाषा में प्रार्थना पत्र देगा।

अखिल भारतीय कार्यों के लिए एक राज्यभाषा होगी जिसमें भारतीय राष्ट्र संघ का कार्य होगा। प्रान्तों और राज्यों की सरकारों के साथ इसी भाषा में पत्र व्यवहार होगा! केन्द्र का सब रिकार्ड इसी भाषा में रखा जायगा। अन्तर्प्रान्तीय व्यापार और पत्र व्यवहार की भी यही भाषा होगी। इस परिवर्तन काल में जो १५ वर्ष से अधिक का न होगा अन्तर्प्रान्तीय व्यवहार में अंग्रेजी प्रयुक्त हो सकती है इस शर्त के साथ कि जिस समय राज्यभाषा अंग्रेजी का स्थान लेने लगे उस समय तक उसका व्यवहार अच्छी तरह से होने लग जाय।

शिक्षा सम्बन्धी उद्देश्य

प्राइमरी स्तर पर बच्चे की शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से होगी और इसका निश्चय बच्चे के माता पिता या अभिभावक की इच्छा पर निर्भर होगा। साधारणतः यह माध्यम क्षेत्र या प्रान्त की भाषा का होगा। परन्तु अन्य स्थलों पर भी विशेषतः सीमा (पट्टी) के क्षेत्रों में और बड़े २ शहरों में जहां भिन्न २ भाषाओं के बोलने वाले लोग रहते हैं, अल्पसंख्यकों की भाषामें शिक्षा देने वाले स्कूल या अन्य प्राइमरी स्कूलों में सेक्शन खोल दिये जायेंगे। यदि उस भाषा में शिक्षण की मांग करने वाले विद्यार्थियों की संख्या उचित हो उदाहरणार्थ १५। परन्तु इस प्रकार के स्कूलों और सेक्शनों में भी अल्प संख्यकों की, भाषा बोलने वाले बच्चों के शिक्षण की व्यवस्था मिडिल स्तर से होगी। सेकेन्डरी स्टेज पर साधारणतया शिक्षा प्रान्तीय भाषा में दी जायगी परन्तु जहां विद्यार्थियों की पर्याप्त संख्या हो और वे उस भाषा के स्कूल अथवा अल्पसंख्यकों की भाषा के अन्य स्कूलों में सेक्शनों के खुलवानेकी मांग करें। परन्तु इसका निश्चय स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टि में रख कर किया जायगा। यह देखना होगा कि वहां पहले से कोई संस्था सरकारी या प्राइवेट है या नहीं, और प्रान्त की आर्थिक अवस्था इस प्रकार के स्वतन्त्र स्कूलों की अनुमति देती है या नहीं? सेकेन्डरी स्टेज पर अखिल भारतीय राष्ट्र भाषा द्वितीय भाषा के रूप में दी जानी चाहिये। यूनिवर्सिटी स्टेज पर शिक्षा का माध्यम प्रान्तीय भाषा होगी।

इस निश्चय के उद्देश्य के लिए उर्दू सम्बद्ध भाषाओं में से एक भाषा होगी।

卐

पजाब पुलिस के अत्याचार की कहानी
राजधानी के कांग्रेस प्रधान की जबानी

श्रीमान् एडीटर साहब ! जय हिन्द,

१—सेवा में अर्ज है कि चण्डीगढ़ में हिन्दी रक्षा आन्दोलन तकरीबन दो माह से शुरु है। १५ जून का आंखों देखा हाल पहले लिख चुका हूं और उसी दिन से साधु संन्यासियों का अपमान और पुरअमन निहत्थे सत्याग्रहियों पर जुल्म व सितम ढाया जा रहा है जो कि एक आज़ाद मुल्क की जम्हूरी हुकूमत के खिलाफ है और उनको शोभा नहीं देता। ये गांधी जी की अहिंसा और अदम तसद्दुद के खिलाफ है। इस तसद्दुद ने हुकूमत और कांग्रेस की पोज़ीशन गिरा दी है। और जनता का हुकूमत की तरफ से बिल्कुल एतमाद उठ गया है।

२—चाहिए था कि पुरअमन सत्याग्रहियों को गिरफ्तार करके जेल भर दिये जाते, इस तरह कांग्रेस का वकार खतम न होता। आम जनता का और मेरा पुख्ता ख्याल है कि इनके सातों मुतालबात वाजिब हैं। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और हाई कमान ढेवर साहब को कई बार लिख चुका हूं और अपील कर चुका हूं कि पुरअमन सत्याग्रहियों पर तसद्दुद बन्द करा दो वरनः मैं और मेरे सैकड़ों साथी कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर होंगे। मगर कोई अमल नहीं हुआ है।

३—आज मोरखा २५ जुलाई को फिर पुरअमन निहत्थे सत्याग्रहियों पर डबल लाठी चार्ज हुआ जो कि जिन्दगी भर में नहीं देखा ! पुलिस ने एक-दो फर्लांग दौड़ २ करके तमाशाई और राहगीरों को भी लाठियां मार २ कर गिरा दिया। पचास के करीब सत्याग्रही और कुछ पब्लिक के आदमी पुलिस की लाठी से जख्मी हुए हैं। जिनमें छः को सख्त चोटें आई।

४—अब आखिरी पंडित नेहरूजी और हाई कमान से अपील करता हूं बराय मेहरबानी ये सन्देश पढ़ कर फौरन मदाखलत करें और तसद्दुद बन्द करायें। और इसका वाहिद इलाज प्रधान राज्य है। प्रधान राज्य कायम करके जनता को बेखौफ करें और अमन बहाल करें। वरनः मैं और मेरे सैकड़ों साथी कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर होंगे और अखबारात पर पाबन्दी गैर जरूरी लगाई है जो कि विधान की रू के खिलाफ है और जम्हूरियत के खिलाफ है और कांग्रेस गवर्नमेंट के मुंह पर बदनुमा धब्बा है अगर सचाई है तो अखबारात पर से पाबन्दी हटाई जावे। जय हिन्द,

लखपतराय जैन प्रेसीडेन्ट कांग्रेस कमेटी, चण्डीगढ़

नोट—श्री लखपतरायजी जैन, प्रधान कांग्रेस कमेटी चण्डीगढ़ ने उक्त विज्ञापन चन्द्रा प्रेस,अम्बाला में उर्दू में २५-७-५७ को छपवाकर प्रकाशित किया है। हम इसे नागरी लिपिमें प्रकाशित कररहे हैं

सार्वदेशिक प्रेस, दरियागंज, दिल्ली-७ —मन्त्री, हिन्दी रक्षा समिति दिल्ली।

फिरोजपुर जेल कांड

फिरोजपुर जेल में पुलिस लाठी प्रहार से घायल सत्याग्रही की मृत्यु

२४ अगस्त को मध्यान्होत्तर ४ बजे के लगभग फिरोजपुर जेल में जेल के स्टोरकीपर द्वारा सत्याग्रहियों को अपशब्द कहने के परिणाम स्वरुप कुछ कहासुनी हो गई जिस पर जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने पुलिस को जो पहिले से ही तैनात खड़ी थी, बुला लिया और २५० पुलिस के जवानों और १५० खूंख्वार अपराधी कैदियों ने सम्मिलित रुप से सत्याग्रहियों पर लाठी से आक्रमण कर दिया। भयंकर लाठी प्रहार के परिणाम स्वरुप २५० से अधिक सत्याग्रहियों को सख्त चोटें आई हैं जिनमें से २० सत्याग्रहियों की हालत चिन्ताजनक है। श्री स्वामी परमानन्द जी एम० ए० को भी जो कई दिनों से जेल में भूख हड़ताल पर है और जिनकी हालत पूर्व ही चिन्ताजनक है पुलिस ने बहुत बेरहमी से पीटा है। कहा जाता है कि सत्याग्रहियों पर लाठी प्रहार १।। घंटे तक होता रहा। इस घटना के सम्बन्ध में यह दृष्टव्य है कि जेल की इस घटना से पूर्व बड़ी संख्या में लाठियों के गठ्ठर जेल की ओर जाते हुए देखे गये। फिरोजपुर जेल में हुए इस लाठी प्रहार के समाचार पर पर्दा डालने के लिये सभी प्राइवेट टेलीफोन ३। बजे दोपहर से ही काट दिये गये थे।

जेल में हुये इस भयंकर और निर्दयतापूर्ण लाठी प्रहार का समाचार पाकर शहर के ख्यातिलब्ध डा० साधुराम जी फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर के साथ जेल में घायल सत्याग्रहियों को देखने गये। शहर के नागरिक जेल निरीक्षक (नान आफिशल जेल विजिटर्स) नर्सों तथा कई डाक्टरों ने जेल में जाकर घायल सत्याग्रहियों की मरहमपट्टी की। २००) से अधिक मूल्य के इंजैक्शन घायलों को लगाये गये। घायलों का उपचार रात्रि के ९-१० बजे तक चलता रहा।

लाठी प्रहार का समाचार पाकर शहर में सन्नाटा छा गया और एक दम सारा बाजार बन्द हो गया। शहर में पूर्ण हड़ताल के साथ ही एक मातमी जुलूस भी निकाला गया। जेल में सत्याग्रहियों पर पुलिस द्वारा हुये अत्याचारों की गूंज से शहर का वातावरण पुलिस के प्रति रोषपूर्ण हो गया है।

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान महोदय ने केन्द्रीय सरकार के प्रधान मन्त्री, गृह मन्त्री तथा प्रमुख लोक सभा के सदस्यों को तार देकर इस घटना की जानकारी कराते हुये जुडिशिलय इन्क्वारी की मांग की है। सार्वदेशिक भाषा स्वातन्त्र्य समिति की ओर से घटना का समाचार मिलते ही, अधिकारी जांच के लिये फिरोजपुर पहुँच गये थे।

२४ अगस्त को फिरोजपुर जेल में पुलिस लाठी प्रहार में घायल सत्याग्रही सांपला निवासी श्री सुमेर सिंह जी की मृत्यु हो गई है। उनका शव आज सायंकाल रोहतक पहुँच रहा है। अन्य सत्याग्रहियों की हालत बहुत ही चिन्ताजनक है।

प्रकाशवीर शास्त्री
प्रचार मन्त्री
सार्वदेशिक भाषा स्वातन्त्र्य समिति दिल्ली
२५—८—१९५७

पंजाब सरकार ने इस घटना की अदालती जांच करने की आज्ञा दे दी है और श्री जस्टिस कपूर इस कार्य के लिए नियत हुए हैं। सरकार की इस कार्यवाही से उत्तेजित भावनाएं कुछ शांत हो गई हैं।

श्रीयुत घनश्यामसिंह जी गुप्त प्रधान-सार्वदेशिक भाषा स्वातन्त्र्य समिति का
* वक्तव्य *

मुझे निश्चय है कि जनता को उस पाशविक आक्रमण का पता लग गया होगा जो पुलिस ने फिरोजपुर जेल में २४-८-५७ को निहत्थे एवं असहाय सत्याग्रहियों पर किया जिसके फल स्वरूप ३० वर्षीय चौधरी सुमेर सिंह जी नामक सत्याग्रही वीरगति को प्राप्त हुये और दो की अवस्था बहुत चिन्ताजनक बनी हुई है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार लगभग २० और सत्याग्रहियों को गहरी चोटें लगी हैं और १०० से अधिक जख्मी हुये हैं।

यह शोचनीय दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुई क्योंकि स्वतन्त्र जाँच के लिए जेल के भीतर जाने की किसी को आज्ञा नहीं मिल रही है परन्तु एक बात स्पष्ट देख पड़ती है कि जेल के स्टोर कीपर और एक सत्याग्रही कैदी के मध्य हुये एक आकस्मिक एवं साधारण झगड़े का जेल के अधिकारियों ने असहाय सत्याग्रहियों पर घोर अत्याचार करने में लाभ उठाया। अभी कुछ दिन हुये रोहतक से सात मील दूर बहूअकबरपुर में पुलिस द्वारा घोर अत्याचार हुआ था। केवल इन दो दुर्घटनाओं का ही जनता को पता लग सका है परन्तु हमें समाचार मिलता रहता है कि पुलिस और जेल के अधिकारी सत्याग्रहियों और हमारे आँदोलन के समर्थकों तथा अन्य जनों के प्रति अमानुषिक व्यवहार करते हैं। अतः इस सब से यह सुनिश्चित परिणाम निकलता है कि अत्याचार की ये घटनायें अकेली दुकेली घटनायें नहीं अपितु यह साधारण जनता तथा मुख्यतया सत्याग्रहियों को आतंकित करने की एक सुयोजित आयोजना का अङ्ग है।

इन सब घटनाओं के लिये उत्तरदाता अधिकारियों से मैं बल पूर्वक कहूँगा कि वे निश्चय ही आर्य समाज के उत्साह को भंग करने के अपने प्रयत्न में बुरी तरह असफल होंगे।

फिरोजपुर जेल दुर्घटना के सम्बन्ध में सरकारी वक्तव्य विश्वसनीय नहीं है। स्पष्टतः यह विश्वास करना कठिन है कि जेल के सत्याग्रही बन्दी विना पूर्व आयोजित योजना के अचानक ही खतरनाक बन गये जिसके कारण उनके साथ यह पाशविक व्यवहार किया गया। पंजाब सरकार ने मजिस्ट्रेट द्वारा दुर्घटना की जाँचकी आज्ञा दी है परन्तु स्वयं डिप्टी कमिश्नर के वक्तव्य के प्रकाशित हो जाने पर इस जांच पड़ताल का कोई अर्थ नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्याधिकारियों पर से विश्वास हट गया है। केवल ऐसे सज्जनों द्वारा की गई जांच जनता को स्वीकृत हो सकती हैं जो अपनी निष्पक्षता, योग्यता और स्वतन्त्रता के लिये सुप्रसिद्ध हों। यह दुख की बात है कि सरकार ने अभी तक इस दिशा में कोई पग नहीं उठाया है। इतना ही नहीं आर्य समाज चण्डीगढ़ और बहूअकबरपुर की घटनाओं के सम्बन्ध में भी कुछ नहीं हुआ है।

मैं लोक सभा के समस्त सदस्यों मुख्यतया कांग्रेस सदस्यों से अपील करूंगा कि वे फिरोजपुर जेल की चार दिवारी के भीतर हुए पुलिस के निर्दयतापूर्ण लाठी प्रहार की निष्पक्ष जांच करायें और स्वयं सचाई को जानें क्योंकि अन्ततोगत्वा वे जनता के अधिकारों के संरक्षक हैं और भारत के नागरिकों की सुरक्षा के लिये उत्तरदाता हैं।

घनश्याम सिंह गुप्त

दिनांक २६-८-५७ प्रधान

सार्वदेशिकभाषा स्वातन्त्र्य समिति, दिल्ली

वहु अकबरपुर (रोहतक) की घटना का वर्णन

पता चला है कि १५ और १६ अगस्त को इस गांव पर पुलिस का राज था। उस दिन गांव का कोई स्त्री पुरुष ऐसा न था जो पुलिस की निर्मम मार से बच सका हो।

पुलिस ने घरों में घुस कर महिलाओं को पीट डाला और बच्चों को उठा-उठा कर जमीन पर दे मारा। यहां तक कि राह चलते भी पुलिस की मार से न बच सके। चौबीस घण्टे ग्रामीणों की पिटाई होती रही। लोग डर के मारे पशुओं के साथ गांव छोड़ कर भाग गये।

इस गांव का सबसे बड़ा अपराध यह था कि वह हिन्दी रक्षा आन्दोलन में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा था।

आर्यसमाज ने पञ्जाब में हिन्दी रक्षा सत्याग्रह के दो केन्द्र खोल रखे हैं, एक चण्डीगढ़ में और दूसरा रोहतक में। क्योंकि हरियाना प्रान्त आर्य समाज का सुदृढ़ गढ़ है, इसलिये ज्यों ही रोहतक में सत्याग्रह का बिगुल बजाया गया, समूचा हरियाना प्रान्त ओ३म् के झण्डे के नीचे एकत्रित हो गया और ग्राम २ से जत्थे रोहतक पहुँचने लगे। सत्याग्रह के लिए रोहतक आने वाले यह हजारों वीर स्वयंसेवक दयानन्दमठ में एकत्रित होते हैं। वहां उनके लिए भोजन आदि का पूरा प्रबन्ध है और इस मठ से ही जत्थे सत्याग्रह के लिए भेजे जाते हैं। आजकल यह मठ धर्म युद्ध के मैदान का दृश्य पेश कर रहा है। इसके भीतर चारों ओर आर्य समाज के सैनिक दिखाई देते हैं और जिस जत्थे की बारी आती है वह ओ३म् के झण्डे उठाए "देश का बच्चा २ होगा हिन्दी भाषा पर बलिदान" के नारे लगाता हुआ अपने आपको गिरफ्तारी के लिए पेश कर देता है। इस प्रकार वहां प्रतिदिन कई २ जत्थे आते हैं और डेढ़ २ हजार आर्य वीर अपने आपको सत्याग्रह के लिए प्रस्तुत करते हैं। कल जब हमने ऐसे ही एक जत्थे को मठ से कचहरी की ओर जाते देखा तब ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई सेना युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ रही हो। उनमें जो जोश था, उसका अनुमान लगाना कठिन है, वे आगे बढ़ रहे थे और 'हमारी मांग हिन्दी है', 'राष्ट्रभाषा हिन्दी', 'जनता की मांग हिन्दी है' 'ऋषिदयानन्द की जय' और 'स्वामी आत्मानन्द की जय' के गगनभेदी नारे लगा रहे थे। मार्ग में सड़क के दोनों ओर भारी संख्या में जनता ऋषि दयानन्द की इस वीर सेना के दर्शनों के लिए खड़ी थी। जब यह जत्था कचहरी पहुंचा तो पुलिस ने इन्हें रोक लिया और गिरफ्तार कर लारियों में डाल लिया। जत्थों का यह सिलसिला लगभग सारा दिन जारी रहा और एक दिन में ५०७ आर्य वीर गिरफ्तार हुए। हमने जिस जत्थे को सत्याग्रह करते देखा, वह ग्राम बोहर का था और इससे पहले बलयाना, मोरखेड़ी और अड्डाल गांव इत्यादि देहातों के जत्थे गिरफ्तार हो चुके थे।

तूफान

रोहतक में सत्याग्रह का कितना जोर है, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि जिले में सात सौ से अधिक गांव हैं और प्रत्येक गांव के लोगों ने सत्याग्रह के लिए अपने नाम लिखवाये हैं। कांग्रेस के जो नेता यह कहते रहते हैं कि यह आन्दोलन केवल शहरों तक सीमित है, यदि वे रोहतक के देहातों का दौरा करें तो न केवल यह अनुभव ही होगा कि उनका मत गलत है, अपितु वह इस परिणाम पर पहुंचे

बिना न रहेंगे कि हिन्दी के प्रश्न पर समूचा हरियाणा उठ खड़ा हुआ है और जब तक हरियाणा के साथ न्याय न होगा, तब तक यह तूफान जोर पकड़ता रहेगा।

हिन्दी आन्दोलन कितना लोकप्रिय बन गया है, इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि जिले के लगभग सभी कांग्रेसी आन्दोलन में कूद चुके हैं। पिछले दिनों टोहाना मण्डल कांग्रेस के प्रधान श्री हरीसिंह ने भी ८० कांग्रेसियों के साथ सत्याग्रह किया था। इसके अतिरिक्त भूतपूर्व एम० एल० ए० चौधरी बदलूराम भी जिले के प्रमुख कांग्रेसी नेता हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं। इसी प्रकार पण्डित श्रीराम शर्मा के साथी श्री रामचन्द्र शर्मा, जो उनके पत्र 'हरियाणा तिलक' के सम्पादक भी हैं, इस आन्दोलन में गिरफ्तार हो चुके हैं। एक प्रमुख कांग्रेसी ने तो बातचीत के दौरान दावा किया कि यह आन्दोलन जिले के कांग्रेसी ही चला रहे हैं और कांग्रेसी विधान सभाइयों, संसत्सदस्यों और कांग्रेस के कुछ स्वार्थी नेताओं को छोड़ कर शेष सब कांग्रेसी आन्दोलन में कूद चुके हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि हरियाणा में एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया है और ऐसा दिखाई देता है जैसे सारा जिला ही विद्रोही हो गया हो। अब इस पृष्ठ भूमि के प्रकाश में आपको बहू अकबरपुर की घटनाओं को समझने में सुविधा होगी। वह इस प्रकार कि हरियाणा के इस विद्रोह से पञ्जाब सरकार और बड़े२ अधिकारी बौखला उठे हैं और वे इस तूफान को दबाने के लिये हिंसात्मक कार्यवाहियों पर उतर आये हैं।

बहू अकबरपुर में क्या हुआ ?

सत्याग्रह देखने के बाद हम कार द्वारा अकबरपुर पहुँचे। वहां उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी नेता श्री अलगूराय शास्त्री संसत्सदस्य पहले ही उपस्थित थे। वह भी पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों की जांच करने आये थे और उनके पहले ज्ञानी गुरुमुख सिंह मुसाफिर (अध्यक्ष पञ्जाब कांग्रेस) इस गांव में जांच के लिए आ चुके थे। ज्ञात हुआ है कि हरियाणा के कुछ नेताओं ने इस मामले की ओर पं० नेहरू का ध्यान आकर्षित किया था और ज्ञानी गुरुमुखसिंह मुसाफिर उन्हीं के कहने पर बहू अकबरपुर आये थे। ग्रामीणों ने बताया कि पंजाब के मन्त्री चौधरी सूरजमल भी यहां आए थे। जब हम गांव में पहुँचे तब लोग भारी संख्या में एक स्थान पर एकत्रित थे। इसमें से कुछ पुरुषों और महिलाओं ने रो-रो कर पुलिस अत्याचार का विवरण बताया। जमेदार व भूतपूर्व दफेदार पेंशनर ने बताया कि १४ अगस्त की सायं आठ व नौ बजे के लगभग पुलिस की लारी गुजरी। इस लारी से नारों की आवाज आ रही थी। देहातियों का ख्याल था कि पुलिस सत्याग्रहियों को जङ्गल में छोड़ने जा रही है इसीलिए उन्हें रोक कर चाय और पानी पिला दें। किसी ने रोकने के लिए सड़क में बैलगाड़ी खड़ी कर दी। पुलिस की लारी रुक गई। परन्तु सत्याग्रहियों ने बताया कि पुलिस उन्हें जङ्गल में छोड़ने नहीं जा रही, अपितु हिसार की जेल में ले जा रही है, क्योंकि उन्हें सजा हो चुकी है। इस पर लारी को जाने दिया गया। पुलिस की इस लारी को तीस देहातियों ने रोका था। इस लारी में जो थानेदार था उसने अधिकारियों को रिपोर्ट की कि गांव वालों ने पुलिस पर आक्रमण किया है। उस दिन चौधरी रामसिंह डी० आई० जी रोहतक में थे। उन्होंने अगले दिन अर्थात् १५ अगस्त को पुलिस भरी हुई सात लारियाँ अकबरपुर भेजी। इन पुलिस वालों ने गाँव पहुँचकर अन्धाधुन्ध हिंसा शुरू कर दी और जो भी दिखाई दिया उसे पकड़ कर मारपीट शुरू कर दी। पुलिस ने यात्रियों तक को पीट डाला। बताया जाता है कि एक ग्रामीण गोवर्धन बैलों को पानी पिलाने जा रहा था, पुलिस ने उसे बुलाया तो उसने जवाब दिया कि बैल छोड़कर आ रहा हूँ। इस पर उसे पकड़ लिया गया और इस निर्ममतापूर्ण ढंग से

पीटा गया कि वह बेहोश हो गया। बाद में उसे रोहतक के अस्पताल में लाया गया और अब वह जेल में है। १५ अगस्त १२ बजे दोपहर से १६ अगस्त प्रातःकाल तक गाँव में पुलिस का शासन रहा और डायरशाही की याद ताजा हो गई। देहातियों की चौबीस घण्टे तक मार पिटाई होती रही। ग्रामीण घर बार छोड़ पाँव से भागने शुरू हो गये। १६ अगस्त प्रातःकाल डी० आई० जी० पुलिस चौधरी रामसिंह स्वयं वहाँ पहुँचे। इससे पहले लोगों को एक स्थान पर इकट्ठा किया गया था और उन्हें बताया गया था कि डिप्टी कमिश्नर और दूसरे बड़े अधिकारी आ रहे हैं। उस समय केवल एक सौ के लगभग व्यक्ति गाँव में थे। शेष सब गाँव से भाग चुके थे।

जमेदारने चौधरीरामसिंहसे कहा कि "आप जिस व्यक्ति को चाहते हैं मैं पेश कर दूंगा, गाँव वालों से सख्ती न की जाए परन्तु उन्होंने मेरी एक न सुनी और मार पीट का आदेश दिया। पुलिस ने कप्तान जयसिंह और सरपंच भगवानसिंह के अतिरिक्त शेष सबको मारा। गाँव वालों को सड़क पर लिटाया गया और उन्हें नंगा करके उनके नितंबों पर इतना मारा गया कि वे चिल्लाते रहे।

अर्जुनदेव का वक्तव्य

चौ० बदलूराम के बाद आर्य वीरों के नेता श्री अर्जुनदेव ने बताया कि इस घटना के पीछे एक काँग्रेसी संसत्सदस्य का भी हाथ है और उस संसत्सदस्य ने अपने विरोधी काँग्रेसियों से बदला लेने के लिये ऐसा कराया है। इस गाँव के लोगों ने गत चुनाव में इस संसत्सदस्य को मत नहीं दिए थे।

इसके बाद श्री रामपत पटवारी की धर्मपत्नी श्रीमती सूरैया ने रोते हुए कहा कि १४ अगस्त को थानेदार हमारे घर आए। मैं बड़ी बहू और पांच लड़कियां घर पर थी। थानेदार ने कहा कि वह पटवारी और उसके दो लड़कों गजराजसिंह और रघुबीरसिंह को गिरफ्तार करना चाहते हैं। मैंने कहा कि वे घर पर नहीं हैं। इस पर थानेदार ने मुझे धक्का देकर कहा कि यदि अपने लड़कों को मेरे हवाले न करोगे, तो बहू बेटियों का अपमान करूंगा। मेरी एक लड़की आठवीं श्रेणी में पढ़ती है। उससे पुस्तकें छीन कर फेंक दी गई और उसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया। मेरा दो मास का दोहता झूले में था, उसे भी बाहर फेंक दिया गया आगे हमें घर से निकाल निकाल कर ताला लगा दिया गया। मेरी बहू को लात मारी गई और धक्के दिये गये। गांव में बहुत आतंक फैला हुआ था। मेरा पति और दोनों लड़के गिरफ्तार हैं। सारे गांव से ५० व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। मैं भूतपूर्व कांग्रेसी एम० एल० ए० चौधरी बदलूराम के परिवार से हूं और उन्होंने सत्याग्रह में भाग लिया है, इसलिये सारे परिवार को तंग किया जा रहा है। एक प्रश्न के उत्तर में उसने बताया कि पुलिस ने कई अन्य घरों में भी घुसकर चालीस पचास महिलाओं को पीटा उनका अपमान किया यहां तक कि एक लड़की की भुजा टूट गई। उसकी उम्र १४ वर्ष है। मैंने कल ज्ञानी गुरुमुखसिंह मुसाफिर को भी यही बयान दिया और अपनी लड़की सुखियादेवी दिखाई जिसे पुलिस ने बूटों से मारा था। अन्त में उसने रोते हुए कहा कि हमारी बहू बेटियों का इतना अपमान हुआ है कि मैं बता नहीं सकती। उसने न्याय की मांग करते हुए कहा कि मेरे जो दो लड़के गिरफ्तार किये गये हैं, उनमें से एक माल अफसर रोहतक के दफ्तर में कर्मचारी है। एम० पी० पुलिस ने हमें बताया कि पटवारी का एक लड़का हिसार में पुलिस का सिपाही है और उसकी गिरफ्तारी का आदेश भी जारी कर दिया गया है, क्योंकि वह विद्रोह पूर्ण प्रचार कर रहा है।

श्रीराम

नोना माजरा के श्री श्रीराम ने बताया कि मैं

पुलिस अत्याचारों का हाल सुनकर बहू अकबरपुर गया था। मैं इस गाँव में शिक्षक रह चुका हूं और जो हालात ऊपर बताये गए हैं, स्थिति उनसे भी अधिक खराब थी। टटोली आर्यसमाज के नेता चौधरी जगतसिंह ने बताया कि मैं थाना सदर में सत्याग्रहियों को रोटी देने गया था और सरदार चन्दरसिंह थानेदार ने मुझसे कहा कि बहू अकबर-पुर वालों को ठीक कर दिया गया हैं और अब तुम्हारे टटोली गाँव की बारी है। एक और गवाह ने बताया कि पुलिस स्थान २ पर धमकियाँ दे रही है। देहातियों ने बताया कि डी० आई० जी० दो घण्टे तक गाँव में ठहरे और इसी बीच महिलाओं की पिटाई और अपमान हुआ।

मन्त्रियों के दौरे

इस दुर्घटना से समूचे हरियाणा में बेचैनी फैल गई है और मन्त्री लोगों को शाँत करने के लिए दौरे कर रहे हैं, परन्तु वे जहाँ भी जाते हैं उन्हें काले झण्डे दिखाये जाते हैं। गत दिनों जिन मन्त्रियों ने इस गाँव का दौरा किया, उनमें चौ० सूरजमल, पं० मोहनलाल, उप मन्त्री श्री दलवीर सिंह और संसद सदस्य श्री रणवीर सिंह के नाम उल्लेखनीय हैं परन्तु एक भी गाँव में उनकी नहीं चली और लोगों ने 'वापस जाओ' के नारों से स्वागत किया।

हमने रामपत पटवारी की लड़की को भी देखा उसके हाथ पर पट्टी बंधी थी। उसकी बहिन सूरज-मुखी ने बताया, कि उसे पुलिस ने थप्पड़ मारे हैं। हमने पौने दो मास का बच्चा भी देखा, जिसे पुलिस ने उठा कर बाहिर फैंक दिया था।

झंग से आए हुए एक शरणार्थी श्री सन्तलाल ने बताया कि एक चौकीदार तथा पुलिस वाला हम चौदह शरणार्थियों को बुला ले गया। जब हम वहाँ पहुँचे, तब डी० आई० जी० चौ० रामसिंह ने कहा कि "इन सबको लिटा दो"। हमें भूमि पर लिटा दिया गया और नितंबों पर बुरी तरह मारा गया।

उसने अपने नितंबों पर पड़े घाव भी हमें दिखाये।

सूरजी नामक एक महिला ने बताया कि पुलिस ने मुझे घर से निकाल दिया और मेरे पति को पकड़ ले गये। गोवर्धन जिसे पहले गिरफ्तार किया गया था, की पत्नी भी हमसे मिली। वह जोर २ से रो रही थी। सूरजी ने रो २ कर प्रार्थना की कि हमारे घर में और कोई पुरुष नहीं इसलिए मेरे पति के साथ न्याय हो और उसे रिहा किया जाये।

पुलिस कप्तान

इस सिलसिले में हम पुलिस कप्तान श्री कर्मसिंह से भी मिले उन्होंने कहा कि "१४ अगस्त को ३८ कैदी रोहतक जेल से हिसार भेजे जा रहे थे। हमारी यह लारी पौने आठ बजे इस गाँव से गुजरी। देहातियों ने इसे रोकने का प्रयत्न किया परन्तु ड्राइवर ने अपनी होशियारी से गाड़ी निकाल ली। दूसरी लारी साढ़े नौ बजे आई इसमें १४ सत्याग्रही थे। गाँव वालों ने मार्ग में रुकावट डाल कर गाड़ी रोक ली। इस लारी में एक थाने-दार, एक हवलदार और नौ सिपाही थे। गाँव वालों ने इस लारी को दो स्थानों पर रोकने का प्रयत्न किया और पथराव भी किया परन्तु वह न रुकी। जब यह लारी आगे पहुँची तो सड़क पर बैलगाड़ी खड़ी की हुई थी इसलिये हमें रुकना पड़ा। जब लारी रुकी तो लगभग एक सौ व्यक्तियों ने इसे घेर लिया और कहा कि पुलिस वालों को पीटेंगे तथा सत्याग्रहियों को छीन लेंगे। इस पर पुलिस नीचे उतर आई परन्तु इसी बीच पुलिस की गश्त पर एक टुकड़ी भी वहाँ पहुँच गई। ड्राईवर खजान सिंह ने गाँव वालों को समझाया हट जाओ वरना मारे जाओगे। पुलिस वालों की बन्दूकें देख कर गाँव वाले पीछे हट गये और लारी चली गई।

आर्य समाजी तूफ़ान से टक्कर न ली जाए।

हिन्दी रक्षा आन्दोलन सांप्रदायिक नहीं अपितु कांग्रेस की सांप्रदायिक मनोवृत्ति के विरुद्ध एक न्यायोचित पग है।

श्री पं० नरेन्द्र जी, प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा मध्य दक्षिण का ओजस्वी भाषण

आर्य समाज सुलतान बाज़ार द्वारा आयोजित हिन्दी रक्षा आन्दोलन दिवस की सार्वजनिक सभा में श्री पं० नरेन्द्र जी, प्रधान सभा ने भाषण देते हुए कहा कि "हिन्दी रक्षा आन्दोलन जिन तात्विक आधारों पर चलाया जा रहा है, उसके विरुद्ध प्रधान मन्त्री जी भारत सरकार, श्री ढेबर जी प्रधान कांग्रेस तथा प्रधान मन्त्री जी अ० भा० कांग्रेस कमेटी का यह आरोप सर्वथा निराधार-असत्य तथा भ्रान्ति मूलक है कि यह आन्दोलन सांप्रदायिक तथा राजनैतिक उद्देश्यों के आधार पर किया जा रहा है।

आर्य समाज सांप्रदायिक नहीं! यह एक विशुद्ध धार्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय संस्था है। राष्ट्र की प्रगति, उन्नति तथा अभिवृद्धि एवं राष्ट्रीय एकता के विपरीत उठाए जाने वाले ऐसे पग का विरोध करना आर्य समाज का अपना नैतिक धर्म है। इस न्यायोचित वा वैधानिक आन्दोलन को सांप्रदायिक व राजनैतिक बताना राष्ट्र भाषा हिन्दी एवं भारतीय संविधान के प्रति भयंकर विद्रोह एवं विश्वासघात करना व सांप्रदायिक मनोवृत्ति के व्यक्तियों के साथ अपनी सत्ता की सुरक्षा के लिये राष्ट्रीय एकता को धक्का पहुंचा कर सांप्रदायिकता के आगे झुकजाना है। भाषा का यह प्रश्न सांप्रदायिक नहीं वे लोग सांप्रदायिक हैं, जो पंजाबी क्षेत्र के नाम से पंजाबी सूबे की मांग कर रहे हैं और वे व्यक्ति भी सांप्रदायिक हैं, जो इस मांग के आगे सीमावर्ती पंजाब के नाम पर समझौता करना चाहते हैं।

यह आन्दोलन राजनैतिक नहीं हो सकता क्योंकि समाज को चुनाव के पचड़े में पड़ कर सत्ता हस्तान्तरित नहीं करनी है। यह तो केवल सम्पूर्ण भारत की एकता, उसकी परम्परा गत महान् आदर्श संस्कृति तथा भाषा और सम्पूर्ण देश की सर्वांगीण उन्नति चाहता है।

यह आन्दोलन सांप्रदायिकताके आगे नहीं झुकेगा और न ही उसके द्वारा कुचला ही जा सकेगा। सत्य और न्याय के आधार पर चलने वाला यह आन्दोलन सफल हो कर ही रहेगा ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है।

अगले दिन मुकदमा दर्ज किया गया। हम एक सौ व्यक्तियों को गिरफ्तार करना चाहते थे परन्तु अब तक ६६ व्यक्ति ही गिरफ्तार किए जा चुके। शेष की खोज जारी है।" थानेदार ने कहा कि "मैं और डी० आई० ओ० रामसिंह वहाँ गये थे परन्तु हमने कोई सख्ती नहीं की।" जब हमने कहा कि हमें चौ० बदलूराम पटवारी की धर्मपत्नी आदि ने वक्तव्य दिये हैं तो उन्होंने कहा कि सब झूठ है। आपने कहा कि हमारे कारण किसी को कोई चोट नहीं आई, नहीं पुलिस लारी को क्षति पहुंची है। आपने कहा कि पटवारी रामपत की गिरफ्तारी का आदेश भी दे दिया गया है और उसके वारण्ट हिसार भेज दिये गये हैं।

पुलिस कप्तान ने अन्त में बड़ी शेखी के साथ कहा कि विजय हमारी है और मैं पुलिस वालों से अपील करूंगा कि वह कोई ऐसा काम न करें जिससे हमारी विजय पराजय में परिणत हो जाये।

(वीर अर्जुन)

आर्य प्रतिनिधि सभा मध्य दक्षिण का उपदेशकों को महत्वपूर्ण आदेश

संपूर्ण प्रदेश में प्रचार द्वारा हिन्दी रक्षा के लिए प्रेरणा की जाए

हैदराबाद १६ जुलाई; श्री पं० बाल रेड्डी जी उपमन्त्री आर्य प्रतिनिधि सभा मध्य दक्षिण ने सभा के सभी सम्बद्ध तथा प्रतिष्ठित उपदेशकों को निर्देश किया है वे अपने प्रचार में पंजाब में प्रचलित हिन्दी रक्षा आन्दोलन के सम्बन्ध में प्रेरणा करें। प्रचार में आन्दोलन के तथ्य एवं उसकी आवश्यकता से जनता को परिचित कराया जाए तथा आन्दोलन के प्रति फैलाए जाने वाले भ्रम का भी निराकरण कराया जाए। साथ ही इस आन्दोलन की सफलता के लिये धन संकलन करें और सत्याग्रह में भाग लेने स्वयं सेवकों को तैयार किया जाए।

२५० सत्याग्रहियों का पहला जत्था तैयार

हैदराबाद १६ जुलाई, आर्य प्रतिनिधि सभा दक्षिण, आर्य वीर दल तथा आर्य कुमार सभा हैदराबाद का २५० सत्याग्रहियों का पहला जत्था पंजाब हिन्दी रक्षा आन्दोलन में भाग लेने के लिए पूर्ण रूपेण तैयार है। जत्था शिरोमणि सभा के आदेश की प्रतीक्षा में है।

समस्त हैदराबाद में हिंदी रक्षा आन्दोलन दिवस की धूम

आर्य प्रतिनिधि सभा मध्य दक्षिण की ओर से प्रसारित विज्ञप्ति केअनुसार समस्त सम्बद्ध आर्य-समाजों में हिन्दी रक्षा आन्दोलन दिवस का आयोजन समारोह पूर्वक किया गया जिसमें विशेष रूप से सार्वजनिक सभाएं आयोजित की जाकर आन्दोलन के महत्व और आवश्यकता आदि विषयों पर विद्वानों के भाषण द्वारा प्रकाश डाला गया। इन्हीं सभाओं में प्रस्ताव पास हुए।

गुरुकुल घटकेश्वर में हिंदी रक्षा दिवस का आयोजन

गुरुकुल घटकेश्वर (आन्ध्र प्रदेश) में आर्य प्रतिनिधि सभा मध्य दक्षिण की प्रचारित विज्ञप्ति के अनुसार हिन्दी रक्षा आन्दोलन दिवस मनाया गया। इस दिवस के अवसर पर सार्वजनिक सभा हुई जिसमें ब्रह्मचारियों के अतिरिक्त अध्यापकों तथा ग्रामीण जनता ने भी भाग लिया। भाषणों आदि के पश्चात् प्रस्ताव पारित कर मुख्य मन्त्री जी, पंजाब राज्य तथा प्रधान मन्त्री जी भारत सरकार की सेवा में भेजे गए।

पंजाब सरकार द्वारा "ओ३म् ध्वज" का अपमान नास्तिकता की पराकाष्ठा है।

श्री पं० नरेन्द्र जी, प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा मध्य दक्षिण का श्री मुख्य मन्त्री जी पंजाब राज्य को तार।

श्री मुख्य मन्त्री जी,

पूर्वी पंजाब, चण्डीगढ़।

आपके राज्य में शान्ति और सुरक्षा के लिए दायित्व रखने वाली राज्य मैशीनरी द्वारा ओ३म् के पवित्र ध्वज का घोर अपमान किए जाने का समाचार पाकर सम्पूर्ण आर्य जगत् में रोष व क्षोभ प्रकट किया जा रहा है कारण कि प्रत्येक आर्य के लिए ओ३म् ध्वज प्राणों से भी अधिक प्यारा है। साथ ही आपकी पुलिस द्वारा शान्त और निहत्ते सत्याग्रहियों के साथ हुए अत्याचार व दुर्व्यवहार के प्रति जो कि आपकी सरकार को भाषायी प्रान्तीय पक्षपात के दल २ से विमुक्त करने के लिए प्रयत्न शील हैं, किया जा रहा है सर्वथा अनुचित है। मैं इस किए जाने वाले अत्याचार व दुर्व्यवहार का आर्य प्रतिनिधि सभा मध्य दक्षिण की ओर से घोर विरोध प्रकट करता हूँ और साथ ही यह अनुभव करता हूं कि इस प्रकार का अत्याचार व दुर्व्यवहार निन्दनीय है। आशा है आप इसके रोकने में कृत संकल्प होंगे।

हिन्दी सत्याग्रह की दैनिक प्रगति

२१--७--५७ से २०--८--५७ तक

२१ जुलाई। पंजाब सचिवालय के बाहर आज तीन दलों में लगभग २ सौ व्यक्तियों ने सत्याग्रह किया। एक दल में लगभग १ सौ महिलाएं भी थीं। आज केवल ६० सत्याग्रहियों की गिरफ्तारी हुई।

इस आन्दोलन के सम्बन्ध में सार्वदेशिक भाषा स्वातन्त्र्य समिति के अध्यक्ष श्री घनश्यामसिंहजी गुप्त तीन बार केन्द्रीय शिक्षामन्त्री मौलाना आजाद से मिले परन्तु कोई समझौता न हो सका।

श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के १३ जून के पत्र का उत्तर आज समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया।

पञ्जाबी रक्षा दल ने अपनी लुधियाने की बैठक में यह धमकी दी कि यदि पंजाबी भाषा को ठीक स्थान न दिया गया तो वह आन्दोलन शुरू कर देंगे।

२२ जुलाई। श्री प्रियदर्शन जी सत्याग्रही की मृत्यु आज मध्यान्होत्तर शाहबाद जिला करनाल में हुई। वे श्री स्वामी भीष्म जी के जत्थे में सत्याग्रह के लिए चण्डीगढ़ जा रहे थे। इस वीर का शव अम्बाला ले जाया गया और वैदिक रीति से अन्त्येष्टि संस्कार किया गया। अर्थी को श्रीयुत घनश्यामसिंह जी गुप्त, ला० रामगोपाल जी, प्रि० भगवानदास जी तथा स्वामी अभेदानन्द जी ने उठाया हुआ था, और इनके पीछे हजारों नर-नारी वेदमन्त्रों का उच्चारण करते हुए जा रहे थे। रात्रि को अम्बाला नगर में एक बड़ी शोकःसभा हुई।

आज चण्डीगढ़ में दो दलों ने, जिनमें सत्याग्रहियों की संख्या १२० से अधिक थी सत्याग्रह किया। सत्याग्रह के समय बहुत जोरों की वर्षा हो रही थी।

२३ जुलाई। आज ३०० से अधिक हिन्दी सत्याग्रहियों ने सत्याग्रह किया। आज सत्याग्रहियों का नेतृत्व श्री कैप्टेन केशवचन्द जी अमृतसर निवासी ने किया। लगभग ६० सत्याग्रही गिरफ्तार हुए। सार्वदेशिक भाषा स्वातन्त्र्य समिति के प्रधान श्री घनश्यामसिंह जी गुप्त और सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान श्री स्वामी अभेदानन्द जी ने आज के सत्याग्रह का स्वयं निरीक्षण किया। आज सार्वदेशिक सभा के मन्त्री लाला रामगोपाल जी को कानपुर में २१००) रुपये की थैली भेंट की गई। वे वहां हिन्दी आंदोलन की स्थिति का निरीक्षण करने गये थे।

२४ जुलाई। आज पंजाब सरकार ने पंजाबी हिन्दी भाषाभाषी क्षेत्रों की सीमाओं की घोषणा की। रीजनल फार्मूला को लागू करने की दिशा में यह पहला कदम था। आज लगभग दो सौ सत्याग्रहियों ने सत्याग्रह किया, जिसमें से २५ सत्याग्रही गिरफ्तार कर लिये गये। पुलिस ने १६ सत्याग्रहियों को जबर्दस्ती उठाकर पुलिस लारी में डाला। इसके १५ मिनट बाद ही पठानकोट का २६ सत्याग्रहियों का जत्था आ गया। वह जमीन पर सीधा लेट गया। पुलिस ने ९ सत्याग्रहियों को जबर्दस्ती उठाकर लारी में ठूंस दिया।

आज देहली के आर्य समाज दीवान हाल में सार्वदेशिक भाषा स्वातन्त्र्य समिति की बैठक हुई, जिसमें सत्याग्रह को उग्र करने तथा रोहतक में सत्याग्रह मोर्चा ३० जुलाई से खोलने का निश्चय हुआ।

ज्ञानी गुरुमुखसिंह मुसाफिर प्रधान पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पंजाब युवक कांग्रेस दल को आज्ञा दी कि वह आर्य समाज चण्डीगढ़ के सम्मुख धरना देने के लिये न जांय।

२५ जुलाई। आज पञ्जाब के प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता और भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री ला० जगतनारायण जी एम० एल० ए० ने ५ सौ सत्याग्रहियों के साथ सत्याग्रह किया। इस जत्थे के साथ २ हजार से भी अधिक दर्शक थे। आज उत्तरप्रदेश के श्री राधेश्याम तिवारी मन्त्री उत्तरप्रदेश हिन्दू महासभा ने भी एक बड़े जत्थे के साथ सत्याग्रह किया आज पुलिस ने खेतों में सत्याग्रहियों का पीछा करते हुए उन्हें मारा पीटा। दर्शकगण एक जख्मी सत्याग्रही को अपने कन्धेपर ले करके श्री ला० जगतनारायण जी के जत्थे के पास ले आये, इससे जनता में बड़ी उत्तेजना फैल गई। श्री ला० जगतनारायण जी ने भीड़ को शान्त किया और जख्मी सत्याग्रही को अस्पताल ले गये। इसके कुछ देर बाद ही एक पुलिस कांस्टेबल ने अपने अधिकारियों से आज्ञा लिये बिना ही कुछ सत्याग्रहियों पर लाठी वर्षाई जिससे कई सत्याग्रही जख्मी हुए तथा अस्पताल भेजे गये। आज कुल ७१ सत्याग्रही गिरफ्तार हुए।

२६ जुलाई। आज १०५ सत्याग्रहियों ने ३ जत्थों में सत्याग्रह किया। पुलिस ने २ जत्थों को आधे घन्टे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया। अम्बाला के सनातनी कार्यकर्ता श्री बंशीलाल बाला के नेतृत्व में जिस जत्थे ने सत्याग्रह किया उसे पुलिस ने जबर्दस्ती उठाकर गाड़ी में डाला।

पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अन्तरङ्ग सभा ने श्री वीरेन्द्र जी एम० ए० सम्पादक प्रताप जालन्धर को हिन्दी आँदोलन में भाग लेने के कारण ५ वर्ष के लिये कांग्रेस से निकाल दिया।

२८ जुलाई। आज घरौंडा गुरुकुल के आचार्य तथा सत्याग्रह आंदोलन के दूसरे सर्वाधिकारी श्री स्वामी रामेश्वरानन्द जी महाराज की रोहतक में निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तारी हुई। यह गिरफ्तारी हरियाणा महा सम्मेलन के प्रधान श्री स्वामी अभेदानन्द जी के जलूस की समाप्ति और उसके सार्वजनिक सभा के रूप में बदल जाने के तत्काल बाद ही हुई। इसी दिन श्री स्वामी अभेदानन्द जी के सभापतित्व में हिन्दी सम्मेलन बड़ी सफलता के साथ सम्पन्न हुआ। जिसमें लगभग ६० हजार व्यक्तियों ने बड़ी शांति से भाग लिया। श्री स्वामी रामेश्वरानन्द जी ने कई बार चण्डीगढ़ में सत्याग्रह किया था और आंदोलन को अपने भाषणों और कार्यों से बड़ी प्रेरणा दी थी।

हिन्दू महासभा के कार्यकर्ता प्रधान श्री महन्त दिग्विजयनाथ ने एक प्रेस वक्तव्य के द्वारा सरकार से अपील की कि वह समस्या के हल के लिये रचनात्मक भावना से प्रयास करे। उन्होंने यह भी कहा कि आंदोलन को साम्प्रदायिक बताने से समस्या का हल न होगा। इसमें अभी देर नहीं हुई है। रचनात्मक राजनीति के द्वारा ऐसा हल निकाल लेना सम्भव है, जिससे पंजाब के सब दल सन्तुष्ट हो जाएं।

आज पंजाबके भाषाविभाग के सहायक डायरेक्टर श्री रजनीशकुमार ने राज्य के समस्त विभागों के उच्चाधिकारियों की एक मीटिंग में हिसार में कहा कि आगामी ३ वर्षों में राज्य सरकार के समस्त विभागों का कार्य हिन्दी और पंजाबी में होने लगेगा और इस बीच में राज्य कर्मचारियों को क्लासों का लाभ उठाना चाहिये जो सरकार ने हिन्दी और पंजाबी के शिक्षण के लिये चलाई हैं।

२९ जुलाई। आज चण्डीगढ़ में ६० सत्याग्रही गिरफ्तार किये गये। सत्याग्रह करने वालों की कुल संख्या १५०० के लगभग थी।

आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश ने मुरादाबाद में हुई अपनी एक बैठक में निश्चय किया कि उत्तर प्रदेश से २५ हजार सत्याग्रही भेजे जायेंगे।

३० जुलाई। पंजाब सरकार की आज्ञानुसार जालन्धर पुलिस ने अकाली समाचार पत्र दैनिक प्रभात के सम्पादक मुद्रक और प्रकाशक को आज्ञा दी कि वे अपने समाचार पत्र में हिन्दी आंदोलन सम्बन्धी कोई आपत्ति जनक रिपोर्ट, समाचार लेख व पत्र आदि न प्रकाशित करें। यह पत्र मास्टर तारासिंह जी के सरक्षण में प्रकाशित होता है। यह आज्ञा दोमाह तक लागू रहेगी।

आज श्री बलराम जी दास टन्डन एम० एल० ए० के नेतृत्व में लगभग ३ सौ सत्याग्रहियों ने अनेक जत्थों में सत्याग्रह किया। पुलिस ने बड़ी निर्दयता से उन्हें घसीट कर लारियों में डाला। इन जत्थों में बहुत से साधु और सिख भी थे।

आज सार्वदेशिक भाषा स्वातंत्र्य समिति की आज्ञानुसार रोहतक में दूसरा सत्याग्रह केन्द्र खोला गया और १०१ सत्याग्रही श्री डा० मंगलसेन एम०एल०ए० के नेतृत्व में डिप्टी कमिश्नर रोहतक के निवास स्थान पर अपनी मांग लेकर गये। उनके साथ हजारों नर नारियों की भीड़ थी। डा० मङ्गल सेन ने यह घोषणा कर दी थी कि वे आज जिलाजेलोंका पिकेटिंग नहीं करेंगे। जब सत्याग्रही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास पहुँचे तब लगभग पुलिस के १५० सिपाहियों ने उन्हें रोका परन्तु सत्याग्रही डिप्टी कमिश्नर के निवास स्थान तक पहुँचने में समर्थ हो गये। यहां भी डी० आई० जी० अम्बाला के नेतृत्व में पुलिस ने सत्याग्रहियों को रोका। डिप्टी कमिश्नर महोदय ने सत्याग्रहियों के प्रतिनिधि मण्डल की बात बड़े ध्यान से सुनी। डा० मङ्गल सेन ने घोषणा की कि वे अगले दिन से अदालत में पिकेटिंग करेंगे।

३१ जुलाई। आज लगभग ४ सौ सत्याग्रहियों ने चण्डीगढ़ में सत्याग्रह किया। जिनमें से १०० सत्याग्रहियों को विधान सभा भवन के सामने गिरफ्तार किया गया – जिनमें से ८५ सत्याग्रही पुलिस हिरासत में रखे गये और शेष छोड़ दिये गये। यह सत्याग्रह उस समय हुआ जब कि राज्य की कांग्रेस और उसके विधान सभा दल की सम्मिलित बैठक हिन्दी रक्षा आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के लिए हो रही थी।

रोहतक में आज पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर के बंगले पर तथाकथित आक्रमण के आरोप में 'दयानन्द मठ' पर प्रातःकाल छापामार कर ३६ व्यक्तियों को जिनमें ५ संन्यासी भी थे-गिरफ्तार किया।

७८ सत्याग्रहियों का एक जत्था दोपहर बाद सत्याग्रह करने के लिए जिला अदालत गया। इस जत्थे के पीछे लगभग ४ हजार नरनारियों की भीड़ हिन्दी समर्थक नारे लगाती हुई जा रही थी। आज घुड़सवार पुलिस ने सत्याग्रहियों को भीड़ से अलग कर दिया और सत्याग्रहियों को कम्पाउड में जाने दिया गया।

अगस्त

१ अगस्त। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी और राज्य कांग्रेस विधान पार्टी ने अपनी सम्मिलित बैठक में जो आज चण्डीगढ़ में समाप्त हुई, हिन्दी रक्षा समिति पंजाब से अपील की कि वे पं० जवाहर लाल नेहरू जी के पत्र के प्रकाश में अपना आन्दोलन वापस ले लें। मुख्य मन्त्री श्री प्रताप सिंह कैरों ने कहा कि सच्चर फार्मूला व्यवहार में हिन्दी के माध्यम से पढ़ने वाले छात्रों के मार्ग में बाधक न बनने दिया जाएगा-यदि एक भी विद्यार्थी हिन्दी के माध्यम से पढ़ना चाहेगा तो उसको सुविधा दी जाएगी। मुख्य मन्त्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार समिति की इस मांग को स्वीकार करने में असमर्थ है कि जिला और उसके नीचे के सरकारी रिकार्ड दोनों भाषाओं में रखे जांय। इस मीटिंग में इस धमकी की भी चर्चा हुई जोकि अकालीमन्त्री श्री ज्ञानी करतार सिंह ने विधान सभा में दी थी-- कि यदि रीजनल फार्मूले में कोई परिवर्तन किया गया तो पंजाबी

सूबे की मांग दस गुना जोश के साथ पुनर्जीवित कर दी जाएगी। इस बैठक में राज्य मन्त्रियों को अपने भाषण में विशेष सावधानता बर्तने की प्रेरणा की गयी। श्री हरवंस लाल एम० एल० ए० ने यह भी कहा कि जहां हिन्दी समिति की प्रगतियों का खण्डन किया जाए वहां मास्टर तारासिंह के बयानों और प्रगतियों का भी। पुराने और नये कांग्रेसी सिखों को पंजाबी रक्षा दल में सम्मिलित नहीं होना चाहिए।

आज चण्डीगढ़ में लगभग १२० सत्याग्रहियों ने सत्याग्रह किया। पुलिस ने ६० सत्याग्रही गिरफ्तार किए। आज सत्याग्रह का ढंग बदला हुआ था। सत्याग्रही एक एक करके आते थे और पुलिस की लारियों को रोकते हुए गिरफ्तार हो जाते थे। यह प्रक्रिया १ घण्टे तक चलती रही।

नारनौल निवासी श्री सोहनलाल जी के नेतृत्व में १२० सत्याग्रहियों ने रोहतक में सत्याग्रह किया। यह जत्था दयानन्द मठ से चल कर नहर के डाक बंगले पर गया। पुलिस ने सत्याग्रहियों को और प्रदर्शनकारियों को जो हजारों की संख्या में थे कोर्ट में जाने से रोक दिया। सत्याग्रही सड़क पर बैठ गये और हिन्दी समर्थक नारे लगाते रहे। ३१ ता० को जो ३६ सत्याग्रही गिरफ्तार हुए थे-उनमें से ३० सत्याग्रहियों को जेल भेजा गया। आज डिप्टी कमिश्नर की कोठी पर हुए तथाकथित हुल्लड़ के सिलसिले में ३ गिरफ्तारियां हुईं। इन तीन को मिलाकर संख्या ३७ हो गयी। आज रोहतक नगर के प्रमुख नागरिकों और समितियों के कार्यकर्ताओं का एक प्रतिनिधि मण्डल डिप्टी कमिश्नर से मिला और उनको शान्ति और व्यवस्था कायम रखने में सहयोग देने का आश्वासन दिया।

प्रातः ४॥ बजे पुलिस ने सत्याग्रह शिविर के स्थान दयानन्द मठ को घेर कर छापा मारा। वहाँ से स्वामी सुरेन्द्रानन्द जी, स्वामी सोमानंदजी स्वामी सत्यप्रकाशानन्द जी, पं० जयदयाल पुरोहित आचार्य शिवचरण जी आदि नेताओं के अतिरिक्त लगभग १ दर्जन सत्याग्रहियों को शहर में जाकर उनके घरों से पकड़ा। आज एक व्यक्ति देहली के 'प्रताप' की प्रति अपने पास रखने के अपराध में गिरफ्तार हुआ।

२ अगस्त। आज चण्डीगढ़ में ९० सत्याग्रही गिरफ्तार किए गये। इन्होंने कई कई जत्थों में सत्याग्रह किया।

रोहतक में ५४ सत्याग्रही 'वीर अर्जुन' और 'प्रताप' की प्रति हाथ में लिए हुए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हुए गिरफ्तार किए गये इसके अतिरिक्त ९० सत्याग्रही कोर्ट में दाखिल होने से पूर्व नहर के डाक बंगले के पास रोक दिए गए।

आज लोक सभा में गृह मंत्री श्री पं० गोविन्द वल्लभ पन्त ने प्रश्नोत्तर के समय इस बात पर जोर दिया कि हम सब को यह प्रयत्न करना चाहिए कि पंजाब हिन्दी सत्याग्रह आन्दोलन समाप्त हो जाय। उन्होंने श्री विभूति मिश्र को बताया कि अभी हाल में कुछ लोग मौलाना आजाद से मिले थे और उन्हें क्षेत्रीय फार्मूला ठीक तरह समझा कर आन्दोलन बन्द करने के लिए कहा गया था।

३ अगस्त। आज चण्डीगढ़ में पुलिस ने लगभग १५० सत्याग्रहियों को विविध स्थानों पर गिरफ्तार किया। लगभग ३०० दर्शकों को हवालात में डाला गया और बहुत से लोगों की साइकिलें छीन ली गयीं। आज बहुत सी स्त्रियों ने लगभग २ घण्टे तक प्रदर्शन किया। आज के जत्थे का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी, लुधियाना के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री वैद्य कुन्दन लाल जी ने किया था जो गिरफ्तार कर लिए गये। एक सत्याग्रही घायल हुआ जो अस्पताल पहुँचाया गया।

आज रोहतक में ७८ सत्याग्रही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सत्याग्रह करने गये-इनके साथ हजारों दर्शक हिन्दी समर्थक नारे लगाते हुए जा रहे थे।

सिटी मजिस्ट्रेट रोहतक ने २९ व्यक्तियों के जमानत के प्रार्थना पत्र रद्द कर दिए जिन्हें डिप्टी कमिश्नर के निवास स्थान पर तथाकथित हुल्लड़ के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया था।

४ अगस्त ! पं० जवाहरलाल नेहरू ने जालन्धर के हरिजन सम्मेलन को संदेश भेजते हुए हिन्दी रक्षा समिति से अपील की कि वह आन्दोलन को वापिस ले लें।

चण्डीगढ़ में आज सत्याग्रहियों ने दिल्ली के वीर अर्जुन और 'प्रताप' की कापियाँ ले कर जिनका पंजाब में दो मास के लिए प्रवेश निषिद्ध है, अपने को गिरफ्तारी के लिए पेश किया। ८ सत्याग्रही एक दूकान के पास गिरफ्तार हुए। वे तथा प्रदर्शनकारी इन पत्रों पर से प्रतिबन्ध हटाने के नारे लगा रहे थे।

५ अगस्त ! आज रोहतक में १३ महिलाओं सहित ११२ सत्याग्रही गिरफ्तार हुए। महिलाओंका जत्था दिल्ली का था, जिसका नेतृत्व श्रीमती सावित्री देवी जी कर रही थीं। महिलाओं के जत्थे में सार्वदेशिक सभा के मन्त्री ला० रामगोपाल जी की ९० वर्षीया माता श्रीमती निहाल देवी और धर्मपत्नी श्रीमती सत्यवती देवी भी थीं। श्री मंगल सेन एम० एल० ए० ने अपने को एक विशाल जुलूस में गिरफ्तारी के लिए प्रस्तुत किया। कहा जाता है कि जब एक पुलिस अधिकारी ने श्री मंगल सेन जी को आकर तमाचा मारा और एक पुलिस कान्स्टेबल ने लाठी चार्ज किया तो लगभग ५ हजार नर नारियों की भीड़ उत्तेजित हो गयी। पुलिस ने छः बार अश्रु गैस छोड़ी और अन्धाधुन्ध लाठी चार्ज किया। सत्याग्रही शान्त और अहिंसात्मक बने रहे।

चण्डीगढ़ में श्री स्वामी शमानन्द जी के नेतृत्व में लगभग २२५ सत्याग्रहियों ने सत्याग्रह किया और इनको गिरफ्तार करके रात्रि में खरड़ से १० मील दूर के जङ्गलों में छोड़ दिया गया।

इस जत्थे में भी वैद्य कुन्दनलाल सम्मिलित थे जिन्होंने कि ३ ता० को सत्याग्रह किया था। आज के जत्थे में कांग्रेसी और सिख भी सम्मिलित थे।

६ अगस्त—आज रोहतकमें ११५सत्याग्रहियोंने जिनमें १९ देवियां भी सम्मिलित थीं,सत्याग्रह किया। इनके साथ लगभग ५ हजार दर्शक भी थे। पुलिस ने इस जत्थे को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हुए नहर के एक बंगले के पास रोक दिया। पुलिस ने यह निराधार आरोप लगाया कि भीड़ ने पुलिसपर पत्थर फैंके जिससे १४ पुलिसमैन जख्मी हो गए। यह घटना उस समय की बतलाई जाती है जबकि सत्याग्रहियों को पुलिस नेमोटरोंमें बिठा कर वहां से हटा दिया था

आज चंडीगढ़ में १२३ सत्याग्रहियों ने सत्याग्रह किया और पुलिस उन्हें अज्ञात स्थान में छोड़ आई। पुलिस ने आर्य समाज चंडीगढ़ पर धावा बोला इस धावे का कारण यह बताया गया है कि पुलिस लाउडस्पीकर को उठाने आई थी जिस का प्रयोग समाज मन्दिर में अनधिकृत रूप से रात के १० बजे के बाद तक होता था। पुलिस ने समाज मन्दिर में जूते पहने हुए घुस कर वेदी की पवित्रता को भंग किया। कार्य कर्त्ताओं को बहुत मारने पीटने के बाद गिरफ्तार करके ले गई। इतना ही नहीं रिकार्ड, कैश वाक्स जिसमें २०००) के लगभग नकदी तथा खाने पीने का सामान भी था उठा ले गई। एक फोटोग्राफर को पास के मकान से फोटो लेते समय पुलिस ने बहुत मारा। इस घटना से आर्य जगत् में क्षोभ फैलना स्वाभाविक था। पुलिस बिना वारंट बा इच्छाकिये मन्दिरमें घुसी थी इससे बड़ी उत्तेजना फैली। सार्वदेशिक सभा के मंत्री श्रीयुत ला० रामगोपाल ने प्रधानमंत्री नेहरु, गृहमंत्री श्री पन्तजी श्री प्रतापसिंह कैरों मुख्य मंत्री पंजाब' राज्यपाल तथा श्री अलगूराय जी शास्त्री को तार भेजकर आर्य जगत् की रोषपूर्ण प्रतिक्रिया से उन्हें परि-

चित किया और निष्पक्ष जांच की माँग की

पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों को पुनः हिन्दी आन्दोलन से पृथक रहने की चेतावनी दी। अम्बाला में सिखों की उपद्रवी भीड़ को तितर बितर करने केलिये पुलिसनेअश्रु गैस के ४० गोले छोड़े। पुलिस ने जो अनाज मंडी के चारों ओर घेरा डाल रखा था जहां आर्य समाज की सभाएं होती थी और पंजाबी रक्षा दल अपनी सभा करना चाहता था ९ सिपाही घायल हुए।

७—आज चंडीगढ़ में श्री स्वामी आत्मानन्द जी के नेतृत्व में ६ प्रमुख आर्यों का शिष्ट मंडल सरदार रणबीर सिंह गृह मन्त्री पञ्जाब से मिला और आर्य समाज चन्डीगढ़ में प्रदर्शित नृशंसता का विरोध किया। शिष्ट मंडल ने पुलिस की हवालातों में पड़े हुए सत्याग्रहियों की शिकायतें समक्ष रक्खीं। उन्हें खुले में सोने नहीं दिया जाता। वर्त्तनों का प्रयोग नहीं करने दिया जाता और जब वे एक जेल से दूसरी जेल में भेजे जाते हैं तो उन्हें हथकड़ियां लगाई जाती हैं। इस समय जेल में ऐसे ३०० सत्याग्रही हैं।

सत्याग्रह के तीसरे सर्वाधिकारी श्री आचार्य रामदेव जी अधिकृत समय से बाद तक लाउडस्पीकर प्रयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किए गये और जमानत पर छोड़ दिए गये।

चन्डीगढ़ समाज मन्दिर पर हुए आक्रमण के विरोध में चन्डीगढ़, अम्बाला, अमृतसर, शिमला जालन्धर, लुधियाना आदि २ पंजाब के अधिक नगरों में हड़ताल रही।

आज २०० सत्याग्रहियों ने चन्डीगढ़ में सत्याग्रह किया। पुलिस की लाठियों की मार से अनेक व्यक्ति घायल हुये और लगभग १२ सत्याग्रही गिरफ्तार किये गये। इनके साथ लगभग ५००० दर्शक भी थे। इससे पूर्व बहु संख्यक महिलाओं ने एक पुलिस अधिकारी के घर के सामने आर्य समाज पर हमले के विरोध स्वरूप स्यापा किया।

रोहतक में स्थिति तनावपूर्ण रही परन्तु कोई दुर्घटना न हुई। पुलिस ने ९० सत्याग्रहियों के एक जत्थे को शहर में घुसने से पूर्व ही गोहाना अड्डे पर गिरफ्तार किया। विभिन्न दिशाओं से विभिन्न जत्थों में लगभग ५०० सत्याग्रहियों ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर सत्याग्रह किया जिसमें से ७६ गिरफ्तार किये गये।

स्वामी आत्मानन्द जी महाराज ने एक प्रेस कान्फ्रेंस में वक्तव्य देते हुए पंजाब के समस्त हिन्दी प्रेमियों को शान्त रहने की अपील की। उन्होंने सरदार प्रतापसिंह कैरों के इस आरोप का खण्डन किया कि हिंदी आंदोलन राजनैतिक हो गया है और जनसंघ के हाथ में चला गया है। सरदार महोदय ने यह आरोप नई दिल्ली में लोक सभा के सदस्यों की एक बैठक में भाषण देते हुये लगाया था। श्री स्वामी जी ने कहा कि हमारा आन्दोलन सांस्कृतिक है, राजनीति के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। हमारे आंदोलन में भाग लेने वाले कांग्रेस जनों की संख्या जनसंघियों की संख्या से बहुत अधिक है।

८—आज हिन्दी रक्षा समिति और पँजाब रक्षा दल के ७ व्यक्तियों को ६ ता० की अम्बाला की दुर्घटना के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। हिंदी रक्षा समिति के आठ व्यक्ति और पँजाब रक्षा दल के कुछ व्यक्ति रिमांड के लिये केन्टोमेन्ट के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किये गये इनका दफा १४७, १४८, ३०७, और ३३२ में चालान हुआ। ये सब हवालात में हैं।

दिल्ली के श्री रामकृष्ण गर्ग श्री किशन लाल श्री जयशंकर प्रसाद अग्रवाल श्री भागमल श्री त्रिलोकी चन्द सेठी श्री वी० पी० जोशी, श्री रणवीर साहनी, श्री राधाकृष्ण, श्री कृष्णगोपाल, श्री मक्खन लाल धवन, श्री नित्यानन्द धवन, श्री

सरदारी लाल, और मोहन लाल पठनी आदि वकीलों तथा सुप्रीम कोर्ट एवं हाईकोर्ट से सम्बद्ध दिल्ली के प्रतिष्ठत एडवोकेटोंने १ संयुक्त वक्तव्य में पंजाब में चल रहे, हिंदी आंदोलन को उचित ठहराते हुये कहा कि हिंदी भाषी लोगों पर बलात् गुरमुखी लादना उचित नहीं है।

आज श्री स्वामी आत्मानन्द जी ने एक प्रेस वक्तव्य के द्वारा श्री सरदार प्रताप सिंह कैरों के इस आक्षेप का खण्डन किया कि हिन्दी आंदोलन मर रहा है। आर्य समाज बड़ा व्यापक और उग्र बनता जा रहा है। श्री नेहरु और कांग्रेस हाई कमान को अंधेरे में रखा जा रहा है।

आज चण्डीगढ़ के ४ सत्याग्रही वीर अर्जुन और प्रताप की कापियां लिए हुए पकड़े गए। १०० सत्याग्रहियों ने सत्याग्रह किया परन्तु पुलिस ने कोई गिरफ्तारी न की। आज चण्डीगढ़ में श्री स्वामी आत्मानन्द जी के नेतृत्व में ४ आर्य नेताओं का एक शिष्टमंडल राज्यपाल से मिला और पुलिस के अत्याचार के सम्बन्ध में एक लिखित आवेदन पत्र दिया गया। राज्यपाल महोदय ने समझौते के लिए एक छोटी कमेटी बनाने का सुझाव दिया जो राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर अपने मतभेदों पर विचार विमर्श करें। श्री स्वामी जी ने यह निमन्त्रण स्वीकार कर लिया। श्री स्वामी आनन्द भिक्षु जी सरस्वती ने जो सद्भावना यात्रा के एक सम्मानित सदस्य थे आर्य समाज चण्डीगढ़ पर हुए आक्रमण के विरोध स्वरूप आमरण अनशन प्रारम्भ किया।

रोहतक में ८ सत्याग्रहियों को ४-५ मास की सजा सुनायी गई ये १ अगस्त को वीर अर्जुन और 'प्रताप' अपने पास रखने के अपराध में गिरफ्तार हुए थे।

महाशय जगदीश मित्र म्यूनिसिपल कमिश्नर और प्रधान आर्य समाज पानीपत निरोध अधिनियम ३ के अन्तर्गत गिरफ्तार हुए।

आज रोहतक में १५० से अधिक सत्याग्रही तीन जत्थों के रूप में गये थे।

९ अगस्त। श्री स्वामी आत्मानन्दजी महाराज ने समझौता वार्ता के लिए श्रीकृष्णलाल एम. एल. ए. श्री जगदेवसिंह सिद्धान्ती (आर्य प्रतिनिधिसभा, पंजाब के प्रधान मन्त्री) श्री प्रिंसीपल भगवानदास जी भाषा स्वातंत्र्य समिति के मन्त्री श्री रघुवीरसिंह जी शास्त्री, और श्री वीरेन्द्र जी एम. ए. को समिति की ओर से नियुक्त किया। यह निश्चय हिन्दी रक्षा समिति की बैठक में हुआ। कमेटी नियुक्त करते हुए श्री स्वामी आत्मानन्द जी ने यह घोषणा की कि सत्याग्रह जारी रहेगा। स्कूलों में पंजाबी लिपि में लिखित पंजाबी पढ़ने और राज काज में गुरुमुखी के प्रयोग की बाध्यता का निवारण आर्यसमाज की दो मौलिक मांगें हैं, जिन पर आर्यसमाज नहीं झुकेगा।

श्री स्वामी आत्मानन्द जी ने आज प्रधान मन्त्री जी को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्हें अम्बाला, रोहतक, और चण्डीगढ़ की घटनाओं से अवगत कराया गया।

९ अगस्त। स्वामी आत्मानन्द जी ने एक वक्तव्य द्वारा श्री मास्टर तारा सिंह जी से यह अपील की कि वे आर्य समाज की विनम्र मांगों से सहमत होकर राज्य में शान्ति स्थापना में अपना पूरा २ योग दें। श्री स्वामी जी ने यह भी कहा कि यदि वे आर्य समाज की उचित मांगें स्वीकार करलें तो मैं पंजाब में गुरुमुखी के पूरी तरह से फूलने फलने के लिए उनको (मास्टर तारा सिंह) पूरा सहयोग दूंगा।

पंजाब हिन्दी रक्षा समिति ने अपनी एक विशेष बैठक में यह निश्चय किया कि यदि हिन्दी रक्षा समिति की मांगे पूरी हो जायेंगी तो सत्याग्रह वापस ले लिया जाएगा।

रोहतक में आज आठ हिन्दी सत्याग्रही गिरफ्तार हुए।

१० अगस्त ! सार्वदेशिक भाषा स्वातन्त्र्य समिति के प्रधान श्री घनश्याम सिंह जी गुप्त मध्य-प्रदेश आंध्र का दौरा करके आज दिल्ली लौटे। श्री गुप्त जी ने अपने दौरे से लौटने पर बताया कि सारे देश में हिन्दी आन्दोलन का स्वागत किया जा रहा हैं।

आज पंजाब सरकार ने समझौते के लिये अपने ५ प्रतिनिधि नियत किए जिनके नाम इस प्रकार हैं:—पं० अमर नाथ विद्यालङ्कार (शिक्षामंत्री) ज्ञानी करतार सिंह (राजास्व मन्त्री) श्री वृषभान पेप्सू के भूत पूर्व मुख्य मन्त्री श्री राव वीरेन्द्र सिंह (पब्लिक वर्क्स मन्त्री) श्रीयुत यश। आज हिन्दी रक्षा समिति की मीटिंग में पारित एक प्रस्ताव में अकाली नेताओं पर यह आरोप लगाया गया कि वे राज्य में अराजकता को उत्तेजित करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

शिरोमणी अकाली दल की अन्तरंग सभा ने एक प्रस्ताव द्वारा पंजाब सरकार के समझौता विषयक निश्चय पर आपत्ति की। दल ने घोषणा की कि आर्य समाज के नेताओं को राज्य सरकार की ओर से जो आश्वासन दिए जायंगे दल उनसे बन्धा न होगा।

११ अगस्त ! पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान श्री गुरुमुख सिंह मुसाफिर ने चण्डीगढ़ में एक प्रेस वक्तव्य देकर समिति से यह अपील की कि वह नये सिरे से समझौते की बात को दृष्टि में रखते हुये आन्दोलन बन्द कर दें।

पंजाब सरकार ने जबर्दस्ती स्वामी आनन्द-भिक्षु जी को प्रातः काल ३ बजे आर्य समाज चण्डीगढ़ में गिरफ्तार किया और उनके अनशन को आत्महत्या की संज्ञा देकर उन्हें और भी अधिक अपमानित किया। श्री स्वामी आत्मानन्द जी ने इसका घोर प्रतिवाद किया। पुलिस उनको जबर्दस्ती लारी में डाल कर अम्बाला की जेल में ले गयी और उनकी नाजुक अवस्था पर भी जरा ध्यान नहीं दिया।

हिन्दी रक्षा समिति चण्डीगढ़ के दूसरे कार्यकर्ता श्री दीना नाथ बत्रा को गिरफ्तार किया गया।

आज श्री जगदेव सिंह जी सिद्धान्ती ने दिल्ली की गान्धीग्राउण्ड में हुई एक विराट सभा के समक्ष अपने को पुलिस के हवाले कर दिया। पंजाब की पुलिस ने ३० जुलाई को रोहतक में हुए सत्याग्रह के सम्बन्ध में गिरफ्तार करने के वारण्ट जारी कर दिये थे। श्री सिद्धान्ती जी का इस अवसर पर शानदार स्वागत हुआ और उन्हें दिल्ली की आर्य समाजों की ओर से आन्दोलन के सहायतार्थ १० हजार रुपये की थैली भेंट की गयी। श्री सिद्धान्ती जी अपने भाषण के बाद पुलिस की लारी में बैठ गये और पुलिस की लारी उन्हें रोहतक ले गयी।

१२ अगस्त ! आज चण्डीगढ़ में सचिवालय से १ मील दूर २ सौ सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया गया और जङ्गलों में छोड़ दिया गया।

श्री स्वामी आत्मानन्द जी महाराज को पं० नेहरू जी का पत्र मिला, जिसमें नेहरू जी ने रोहतक, अम्बाला और चण्डीगढ़ की घटनाओं के सम्बन्ध में स्वामी जी के पत्र का उत्तर दिया।

सार्वदेशिक सभा के प्रधान श्री स्वामी अभेदानन्द जी ११ ता० की प्रातः बिहार के दौरे से लौट कर दिल्ली आये और उसी रात्रि को चण्डीगढ़ चले गये। स्वामी जी ने अपने बिहारके दौरे में हिन्दी आन्दोलन के सम्बन्ध में जनता को ठीक २ बातें बताई और अनेक सभाओं में भाषण दिए।

१३ अगस्त ! आ० प्र० सभा हैदराबाद ने अपनी एक विशेष बैठक में एक जत्था श्री पं० मुन्ना लाल जी मिश्र के नेतृत्व में भेजने का निश्चय किया। इस सभा का प्रधानत्व श्री पं० नरेन्द्र जी सभा प्रधान ने किया।

आज सेशन जज अम्बाला ने २८ हिन्दुओं और सिक्खों को जमानत पर छोड़ दिया जो गत ३० जुलाई को शहर की शान्ति भंग करने के

अपराध में गिरफ्तार किए गये थे। आज पुलिस ने रोहतक में २५ सत्याग्रहियों पर भयंकर लाठी चार्ज किया जिसके फल स्वरूप अनेक सत्याग्रही जख्मी हुए। पुलिस ने ३० सत्याग्रहियों के एक और जत्थे को गिरफ्तार किया जो वीर अर्जुन और 'प्रताप' ले जा रहे थे। आज ८ मौ सत्याग्रहियों ने सत्याग्रह किया। सत्याग्रह का नेतृत्व असौदा के सरपंच महाशय खुशीराम कर रहे थे। पुलिस ने सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज किया, जिसके फल स्वरूप महाशय खुशीराम और महाशय नन्द लाल को भारी चोट आई। लगभग ८ अन्य सत्याग्रही भी घायल हुये। कहा जाता है कि लाठी चलाने वालों में डी० एस० पी० भी थे और लाठी चार्ज करने वाली पटियाला से मंगाई गई सिक्ख पुलिस थी।

श्री जगदेव सिंह जी सिद्धान्ती को मजिस्ट्रेट के सामने हथकड़ी लगाकर पेश किया गया। आज चण्डीगढ़ में ४० सत्याग्रही गिरफ्तार हुये।

१४ अगस्त। आज प्रातः १० बजे से पंजाब के सचिवालय में समझौतावार्ता आरम्भ हुई। समझौते की बहुत आशा नहीं दीख पड़ी। आर्यसमाज करनाल के मन्त्री चौधरी बलबीर सिंह को निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया। राज्य सरकार ने सत्याग्रहियों को गिरफ्तार करके पुलिस की हिरासत में रखने और उन पर मुकद्दमा चलाने का निश्चय किया। पुलिस ने १५ सत्याग्रहियों को धूलकोट रेलवे स्टेशन पर ही जो कालका अम्बाला सैक्शन पर है गिरफ्तार कर लिया।

हिन्दी रक्षा समिति की समझौता समिति ने पंजाब के गवर्नर से अपील की कि वे समझौता में भाग लेने के लिए श्री सिद्धान्ती जी को रिहा कर दें।

रोहतक में ७८० सत्याग्रहियों ने सत्याग्रह किया किन्तु बिजली घर के पास पुलिस ने उन्हें रोक दिया। ३०० सत्याग्रही पुलिस लाइन ले जाए गये शेष तितर बितर हो गये। जिला अदालत की ओर विविध जत्थों के रूप में बढ़ते हुए ५८० सत्याग्रहियों को पुलिस ने बीच में रोक दिया और ३२ व्यक्तियों को पुलीस ने गिरफ्तार कर लिया। हरियाना 'तिलक' के सम्पादक श्री रामचन्द्र शर्मा और प्रमुख कांग्रेसी कार्यकर्ता श्री जागेराम भी गिरफ्तार कर लिये गये।

रोहतक से ७ मील दूर ग्राम बहू अकबरपुर के व्यक्ति दंड विधान की ४४०, ३४१. ३५३, २२५ धाराओं के अधीन गिरफ्तार किये गये। उनके विरुद्ध आरोप यह था कि उन्होंने विचाराधीन हिंदी रक्षक सत्याग्रहियों को जबरदस्ती छुड़ाने का यत्न किया था। पुलीस के कथनानुसार १३ ता० की शाम को १०७ ग्रामीणों ने रोहतक से हिसार आती हुई सत्याग्रहियों की पुलीस लारियों को रोक कर सत्याग्रहियों को छुड़ाने का यत्न किया था।

१५-१६ अगस्त। पुलीस के सिपाहियों से भरी ७ लारियां ग्राम अकबरपुर पहुँची। ग्राम वालों को निर्दयता पूर्वक पीटा, बहुतों को उलटे लिटा कर पीटा गया, देवियों को मारा पीटा और सताया गया। बच्चों को माताओं की गोद से छीन कर तथा चारपाइयों से उठाकर फेंक दिया गया। घरों में ताले लगा दिये गये। जिस दिन भारत में स्वतन्त्रता पर्व उल्लास सहित मनाया जा रहा था उसी दिन इस ग्राम में पुलीस का आतंक व्याप्त था और अंधेरा छाया हुआ था।

ब्रह्मचारी बालकराम ने १६ ता० के प्रातः से (महात्मा आनन्द भिक्षु के स्थान पर जिन्होंने आमरण अनशन प्रारम्भ किया था) आमरण अनशन प्रारम्भ किया। उनकी मांग भी वही है जो महात्मा आनन्द भिक्षु जी की थी।

१७ अगस्त। अखिल भारतीय जनसंघ की भारतीय प्रतिनिधि सभा के द्वि दिवसीय अधिवेशन का बिलासपुर में उद्घाटन करते हुए भारतीय जन संघ के अध्यक्ष श्री देवप्रसाद घोष ने कहा कि जनसंघ पंजाब के हिन्दी आंदोलन को पूर्णतः

न्यायोचित मानता है और आन्दोलन के प्रति उसकी पूर्ण सहानुभूति है। शासन ने इस सम्बन्ध में जो नीति अपनाई है वह गलत है।

करनाल जिला हिन्दी रक्षा समिति के अध्यक्ष और पंजाब विधान सभा के स्वतन्त्र सदस्य चौधरी धरमसिंह राठी को निवारक निरोध अधिनियम की धारा ३ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया।

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के निर्देशानुसार आर्यसमाजों में विरोध दिवस मना कर चंडीगढ़ और श्री आनन्द भिक्षु जी को बलात् अपमान जनक ढंग से उठाकर अम्बाला जेल में बन्द करने की दुर्घटनाओं का विरोध किया गया और प्रस्ताव पास करके केन्द्रीय तथा पंजाब सरकार को भेजे गये।

१८ अगस्त। हिंदी रक्षा समिति तथा पंजाब सरकार द्वारा नियुक्त समझौता वार्त्ता समितियों की चंडीगढ़ में दूसरी बैठक हुई। आज की बात चीत बहुत आशापूर्ण वातावरण में हुई। अगली बैठक २१-८-५७ को होगी। जिससे दोनों समितियाँ अपने दलों व नेताओं से परामर्श कर लें। इस बैठक में हिंदी रक्षा समिति की सातों मांगों पर विचार हुआ। सरकारी समिति के प्रवक्ता पंडित अमरनाथ विद्यालंकार ने कहा हमारी कोशिश यह है कि भाषा समस्या पर मतभेद कम से कम रह जाय और सरकार की इच्छानुसार कोई समझौता हो जाय। हिंदी रक्षा समिति के प्रवक्ता श्री वीरेन्द्र जी एम० ए० ने कहा कि दोनों पक्षों के प्रतिनिधि एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझना चाहते हैं और दोनों पक्षों की ओर से समझौते का यत्न किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज की वार्त्ता से जो स्थिति उत्पन्न हुई है वह पहले से कुछ अच्छी है।

लोकसभा में कम्यूनिस्ट दल के उपनेता श्री ए० के० गोपालन ने अम्बाला में एक सभा में भाषण करते हुए कहा कि पंजाब में भाषायी विवाद का हल पारस्परिक विचार और समझौते से होना चाहिये और इस विवाद को साम्प्रदायिक रूप न लेने देना चाहिये इससे हिन्दुओं और सिखों की हानि होगी और देश में तनाव पैदा होगा। उन्होंने सिखों की ६२-८-५७ को होने वाली हड़ताल का विरोध किया। उन्होंने लुधियाने में कहा कि पंजाबी क्षेत्र में हिंदी और पंजाबी दोनों होनी चाहिएं परन्तु हिंदी क्षेत्र में पंजाबी अनिवार्य न होनी चाहिये।

श्री स्वामी आत्मानन्द जी ने एक वक्तव्य में पंजाब की वर्त्तमान तनावपूर्ण स्थिति सुधारने के लिये राज्य में प्रेम और सहिष्णुता का आंदोलन प्रारम्भ करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मा० तारासिंह के इशारे पर अकालियों ने घृणा का जो हिंदी विरोधी आंदोलन प्रारम्भ किया है वह सारे देश के लिए ही नहीं अपितु सिखों के लिए भी हानिकारक है। राज्य सरकार इस आंदोलन के लिए उत्तरदाता प्रतीत होती है क्योंकि उसने इसे बन्द करने का यत्न नहीं किया। उन्होंने सिक्खों को भी पंजाब में सहयोग सद्भाव और विश्वास का स्वस्थ वातावरण उत्पन्न करने की अपील की।

१९ अगस्त। आज १०० सत्याग्रहियों का एक जत्था कांग्रेस कमेटी अमृतसर के महामंत्री वैद्य किशनचन्द के नेतृत्व में चण्डीगढ़ गया। इस जत्थे में अधिकांश कांग्रेस जन थे।

आज श्री घनश्यामसिंह गुप्त तथा अन्य प्रमुख आर्य नेता ग्राम अकबरपुर गये। वहां उन्होंने ग्राम के निवासियों से पुलीस के अत्याचार की कहानी सुनी।

२० अगस्त। आज रोहतक में ५०० व्यक्तियों ने सत्याग्रह किया जिनमें से ३६ गिरफ्तार किये गये। ३ सत्याग्रहियों को देहली से वीर अर्जुन और प्रताप की प्रतियां लाने के अपराध में ६-६ महीने का सपरिश्रम कारावास का दण्ड दिया गया।

॥ ओ३म् ॥

स्थूलाक्षरीय सत्यार्थ प्रकाश का दूसरा संस्करण

विरजानन्द वैदिक संस्थान के संस्थापक महाविद्वान स्वर्गीय स्वामी वेदानन्द तीर्थ जी ने सत्यार्थ प्रकाश पर अद्भुत टिप्पणी लिखी है। इस टिप्पणी सहित सत्यार्थ प्रकाश का यह स्थूलाक्षरीय संस्करण अभी प्रेस में ही था कि श्री स्वामी जी महाराज का देहान्त हो गया। उनके महाप्रयाण के छः मास पश्चात् ३६ पाउण्ड के २२×२९/४ आकार के लगभग ७०० पृष्ठों का सुन्दर सजिल्द यह संस्करण जब आर्य जनता के सामने आया तो इस पर खोजपूर्ण टिप्पणियां एवं पृष्ठों की रंगीन बोर्डर के साथ सुन्दर छपाई और सुदृढ जिल्द को देखकर सबने इसे बहुत ही पसन्द किया जो कोई भी इसे देखता है लेने केलिये आग्रह करता है और निषेधात्मक उत्तर सुनकर निराश हो जाता है। चारों ओर से हमारे पास आर्य पुरुषों के अनुरोध भारी संख्या में पहुँच रहे हैं कि इसका द्वितीय संस्करण छपाया जाय। यह तो निर्विवाद ही कहा जा सकता है कि इस ग्रन्थ की एक प्रति प्रत्येक आर्य के घर में अवश्य होनी चाहिये, साथ ही बहुत से आर्य पुरुषों की यह सम्मति है कि विवाह आदि शुभावसरों पर यह ग्रन्थ उपहार में दिये जाने के योग्य है।

इस आग्रह के वशीभूत होकर संस्थान ने इस अमूल्य ग्रन्थ का पुनः सम्पादन करवा कर द्वितीय संस्करण छपवाने का निश्चय किया है। अतः आर्य बन्धुओं से अनुरोध है कि वे इस पवित्र कार्य में संस्थान को सहयोग दें और अधिक से अधिक संख्या में स्वयं ग्राहक बनें एवं अपने इष्ट मित्रों को बनायें।

पहिले संस्करण का अग्रिम मूल्य १५) रु० रखा गया था और वह सारे का सारा छपने से पूर्व ही बिक चुका था। कागज छपाई और जिल्द पर ही प्रति पुस्तक १५) रु० से अधिक व्यय हुआ है और इसका घाटा दानी महानुभावों के साहाय्य से पूरा किया गया है। इस समय कीमतें और भी बढ़ रही हैं। इस कारण द्वितीय संस्करण का मूल्य २०) रु० प्रति पुस्तक रखा जा रहा है। प्रयत्न किया जा रहा है कि यह संस्करण पहिले से भी बढ़िया हो।

जो भाई चाहें २०) रु० भेज कर अपनी प्रति सुरक्षित करालें ताकि बाद में निराश न होना पड़े। सब धन नीचे लिखे पते पर भेजने की कृपा करें। डाक व्यय पृथक्।

निवेदकः—

स्वामी विज्ञानानन्द सरस्वती

अध्यक्ष विरजानन्द वैदिक संस्थान

संन्यास आश्रम, गाजियाबाद (मेरठ)

आवश्यक सूचना

सार्वदेशिक आर्य्य प्रतिनिधि सभा देहली ६ के नाम में भेजे जाने वाले समस्त मनीआर्डरों की कूपन पर भेजने वाले को अपना पूरा पता स्वच्छ और सुवाच्य अक्षरों में लिखना चाहिए जिससे कार्य्यालय को किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

मन्त्री

सार्वदेशिक आर्य्य प्रतिनिधि सभा

देहली—६

Regd No. D 51.

आर्य समाज का इतिहास

(प्रथम भाग) सचित्र

इस सभा द्वारा श्रीयुत पण्डित इन्द्र विद्यावाचस्पति कृत आर्य समाज के इतिहास का प्रथम भाग छप कर बिकने लगा है। इतिहास की भूमिका आर्य समाज के प्रसिद्ध विद्वान तथा पंजाब सरकार के भूतपूर्व शिक्षामन्त्री श्रीयुत डा० गोकुलचन्द जी नारंग, एम० ए० पी० एच० डी० ने लिखी है। ग्रन्थ सजिल्द है जिसमें $\frac{१८ \times २२}{८}$ आकार के ३६४ पृ[illegible] कार प्रकार कागज व छपाई उत्कृष्ट है। स्थान २ पर ३२ लाइन ब्लाक दिये गये हैं।

महर्षि की जन्म तिथि, आर्य समाज स्थापना तिथि, महर्षि की मृत्यु कैसे हुई इत्यादि विवादास्पद विषयों पर परिशिष्ट रूप में मूल्यवान सामग्री दी गई है।

प्रारम्भ से सन् १९०० ई० तक के इतिहास में आर्य समाज की स्थापना से पहले की धार्मिक तथा सामाजिक स्थिति, महर्षि दयानन्द का आगमन, आर्य समाज की स्थापना, प्रचार युग, अन्य मतों से संघर्ष, संगठन का विस्तार, संस्था युग का आरम्भ आदि विषयों का समावेश है। शैली बड़ी रोचक और चित्ताकर्षक है।

सम्पूर्ण इतिहास ३ भागों में छपेगा। दूसरा भाग प्रेस में दे दिया गया है और तीसरा भाग तैयार किया जा रहा है।

इस ग्रन्थ की सामग्री के एकत्र करने, बढ़िया से बढ़िया रूप में इसकी ५००० प्रतियां छपाने में तथा चित्रादि के देने में सभा का बहुत व्यय हुआ है। इस राशि की शीघ्र से शीघ्र प्राप्ति आवश्यक है जिससे कि वह दूसरे भाग की छपाई में काम आ सके।

सभा ने यह विशाल आयोजन प्रदेशीय सभाओं, आर्य समाजों, आर्य नर नारियों के सहयोग के भरोसे बहुत खटकने वाले अभाव की पूर्त्यर्थ किया है। अत: प्रत्येक आर्य समाज और आर्य नर नारी को इस ग्रन्थ को शीघ्र से शीघ्र अपना कर अपने सहयोग का क्रियात्मक परिचय देना चाहिये।

प्रत्येक आर्य प्रतिनिधि सभा, आर्य समाज तथा आर्य संस्था के पुस्तकालय में अनिवार्य रूप से यह ग्रन्थ रहना चाहिये। यह विषय इच्छा या पसन्द का नहीं है अपितु एक स्थायी रूप से रहने वाले ग्रन्थ के संग्रह करने का है जिससे वर्तमान ही नहीं आने वाली सन्तति को भी लाभ उठाने का अवसर मिल सके।

प्रथमभाग का मूल्य ४) कर दिया गया है। एकप्रतिका डाक व्यय रजिस्ट्री डाकसे १≈)अतिरिक्त होता है। कम से कम ५ प्रतियां एक साथ मंगाने पर २० प्रतिशत कमीशन दिया जायगा। पुस्तकों का आर्डर भेजते समय डाकखाने और निकटतम रेलवे स्टेशन का नाम स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिये।

कृपया आर्डर भेजने में शीघ्रता करें। प्राप्ति स्थान —

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा,
श्रद्धानन्द बलिदान भवन, दिल्ली-६

चतुरसेन गुप्त द्वारा सार्वदेशिक प्रेस, पाटौदी हाउस, दरियागंज दिल्ली—७ में छपकर रघुनाथ प्रसाद जी पाठक प्रकाशक द्वारा सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा देहली-से प्रकाशित।